खण्ड-374, अंक-2
शुक्रवार, 18 माघ, शक संवत् 1907
(7 फरवरी, 1986 ई0)

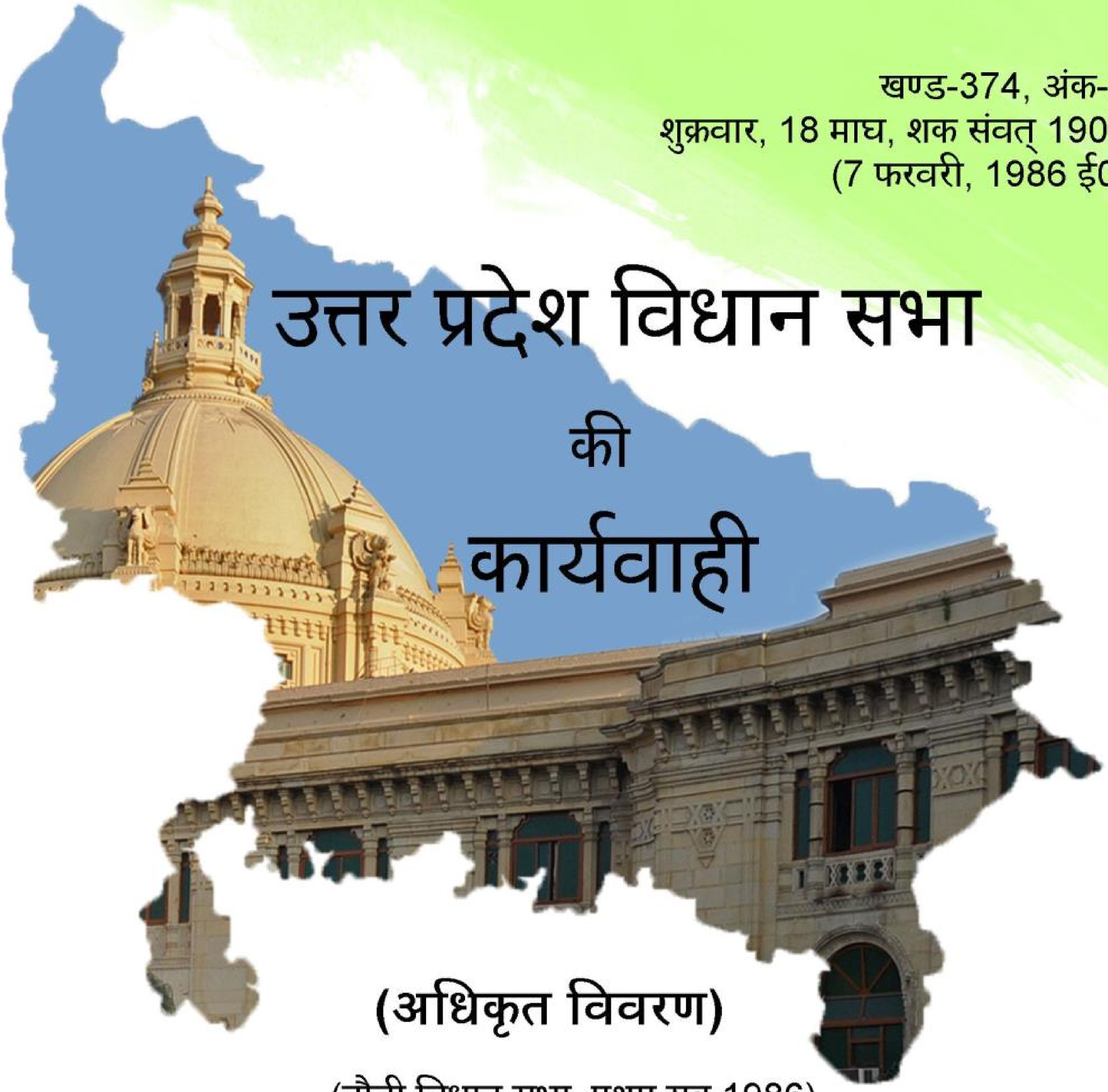

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1986)

खण्ड 374 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	(क)
प्रश्नोत्तर	1–73
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नत्थू सिंह के निधन की सूचना अधिकारियों द्वारा समय से न भेजे जाने पर आपत्ति	74
विधान सभा सदस्य, श्री डूंगर सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	74
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री महेन्द्र प्रताप सिंह, बल्देव सिंह, देवदत्त शर्मा, केदार नाथ अग्रवाल, राजेश कुमार सिंह, राम सूरत सिंह तथा उमा शंकर के निधन पर शोकोद्गार	77
नत्थियां	84–90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अमिताभ अनिल दुबे, श्री — गाजीपुर
अमीर आलम खां, श्री — मुजफ्फरनगर
अरविन्द तिवारी, श्री — जालौन
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
जफर अली नकवी, श्री — लखनऊ
नारायण हरि शर्मा, श्री — अलीगढ़
पद्मा सेठ, श्रीमती — सीतापुर
फागू चौहान, श्री — आजमगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
मंगलदेव, श्री — गोण्डा
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन) — बरेली
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री, (उर्फ नन्कू) — बुलन्दशहर
रामगोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
राम लाल, श्री — सीतापुर
लालता प्रसाद निषाद, चौधरी — गाजीपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
संजय सिंह. डा0 — सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री — गाजियाबाद
सखावत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
सन्तन बड़थ्वाल, श्री — चमोली
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी, 1986 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना

**1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जिला केन्द्रों से जो तहसील केन्द्र अत्यधिक दूरी पर हैं उनमें मुंसिफ न्यायालय स्थापित किये जाने हेतु शासन की कोई नीति और योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्या शासन ऐसी कोई नीति और योजना बनाने पर विचार करेगा?

न्याय राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

शासन ने वर्ष 1975 में प्रशासनिक प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया था जिसके फलस्वरूप सभी सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय जिला मुख्यालय से हटाकर तहसील मुख्यालयों पर स्थापित किये गये। इसी नीति के अनुसरण में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय भी तहसील मुख्यालयों पर स्थापित किये जा रहे हैं। न्यायालयों की स्थापना के लिये अत्यधिक दूरी का होना ही एक पर्याप्त आधार नहीं है बल्कि इसके लिये यह आवश्यक है कि तहसील मुख्यालयों पर न्यायालय कक्ष, कार्यालय भवन, आवासीय भवन, हवालात, मालखाना, सब-जेल, न्यायालय के लिए पर्याप्त कार्यभार, बारसंघ, जिला जेल से बन्दियों को लाने ले जाने की सुविधा आदि उपलब्ध होनी चाहिए। जिन तहसील मुख्यालयों पर उक्त सुविधायें उपलब्ध हैं वहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं।

1975 के पूर्व केवल 22 तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित थे। इस समय 48 तहसील मुख्यालयों/नगरों में 86 मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किये जा चुके हैं और 5 तहसील मुख्यालयों पर इसी वित्तीय वर्ष में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं। 6 तहसील मुख्यालयों पर जहां पर न्यायालय कक्ष, आवासिक भवनों आदि का निर्माण कार्य चल रहा है भवन पूर्ण होने पर न्यायालयों की स्थापना कर दी जायेगी ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने स्वीकार किया है कि 22 तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित हो चुके हैं, 5 तहसील मुख्यालयों पर इस वर्ष न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं और 6 में भवन बन रहे हैं, तो क्या शासन की ऐसी नीति है कि सबको सस्ता न्याय मिले और आसानी से न्याय मिल सके इस दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश में तहसील मुख्यालयों में यह न्यायालय कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुल 248 तहसीलें हैं जिनमें 58 मुख्यालय तहसीलों में अगले वित्तीय वर्ष के मध्य में यह न्यायालय स्थापित कर दिये जायेंगे । कुछ ऐसे इजलास हैं जो रेकार्ड पर नहीं हैं लेकिन चल रहे हैं, 58 न्यायालय उसके अगले वित्तीय

वर्ष तक स्थापित हो जायेंगे। शेष 190 तहसीलें बचती हैं उनमें 57 ऐसी तहसीलें हैं जो सदर हेडक्वार्टर हैं और वहां आलरेडी न्यायालय हैं। अब कुल शेष 133 हेडक्वार्टर बच जायेंगे जिनमें न्यायालय स्थापित करने में 10 वर्ष लग जायेंगे।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तहसील में एक सर्वे कराया गया था डुमरियागंज तहसील, बस्ती में और न्याय सचिव जो अब जज हो गये हैं उन्होंने पत्र लिखा है कि इसका औचित्य प्रतीत होता है कि न्यायालय स्थापित किया जाय। तो क्या मंत्री जी उस तहसील में जिसकी जांच हो चुकी है, मेरे पास पत्र है, क्या इस वर्ष वहां अदालत स्थापित करने की कृपा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इस समय जो भवन निर्माण कार्य चल रहा है और स्वीकृत है उनके लिये ही 41 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। स्वीकृत भवनों के लिये अभी पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो नया भवन निर्माण करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने मूल प्रश्न में जानकारी दी है कि सिद्धान्तः इस मामले को स्वीकार करते हुए कि ज्यों-ज्यों सुविधाएं उपलब्ध होती जायेंगी उसके अनुसार तहसीलों पर न्यायालय बनाये जायेंगे जिसके सम्बन्ध में 10 वर्ष लग जायेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा मूल प्रश्नकर्ता ने कहा है कि समाज को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने की आवश्यकता है इसलिए तहसील हेडक्वार्टर पर न्यायालय बनाये जायं, तो सरकार की ओर से इस संबंध में द्रुतगामी योजना न बनाने का क्या कारण है और दो वित्तीय वर्षों में यह योजना पूरे प्रदेश में पूरी हो जायेगी। क्या इस संबंध में सरकार की कोई नीति है या वह इस हेतु नीति पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, हमारे सीमित संसाधन हैं, उनको देखते हुए 10 वर्ष से तो कम लगने का प्रश्न ही नहीं है, और अधिक लग सकता है।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, इस वित्तीय वर्ष में 5 स्थानों पर मुंसिफ न्यायालय खोलने की योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है, तो क्या इसमें हमारे जनपद मुरादाबाद की हसनपुर तहसील में भी मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय देने का सरकार ने फैसला कर लिया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

हसनपुर में योजना है। उन 5 में से हसनपुर, जिला मुरादाबाद एक है।

श्री कल्यान सिंह–

पांच-पांच, छः-छः करके सरकार तहसीलों को ले रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह काम कैसे होता है? अर्थात् क्या इसके लिये कोई सिद्धान्त, मानक या मापदण्ड है, और यदि है तो वह मापदण्ड, सिद्धान्त या मानक क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

उसके लिये यह आवश्यक व्यवस्था होना चाहिए कि वहां पर सब-जेल हो, न्यायालय भवन हो, आवासीय सुविधा

हो और जिला जेल से अभियुक्तों को लाने और ले जाने की सुविधा उपलब्ध हो और इसके बाद ही इसे खोला जा सकता है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में हरैया तहसील के लिए मुंसिफ न्यायालय खोलने का प्रस्ताव पहले से था और जहां पर न्यायालय भवन न हो किराये का भवन लेकर उसको खोले जाने की भी व्यवस्था पहले से है, तो क्या हरैया के लिए किराये का भवन लेकर वह मुंसिफ न्यायालय खुलवाने की व्यवस्था करेंगे, जैसी कि इसके लिए आपके यहां से पहले ही सर्वे और जांच हो चुकी है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसको देख लेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो भी मानक उन्होंने बताये हैं, उनको इकट्ठा करने की भी जिम्मेदारी क्या सरकार पर ही नहीं है? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सारी तहसील मुख्यालयों पर 1 सालों में जो मुंसिफ न्यायालय स्थापित करने की योजना है, उसे पूरा करने के लिए वह कौन से मानक तैयार करेंगे कि कौन-कौन सी तहसीलें पहले ली जायेंगी और क्या वह इसमें इस बात की भी व्यवस्था करेंगे कि प्रदेश के चारों तरफ की तहसीलें उसमें ली जा सकें? अर्थात् अभी तक की पिक एण्ड चूज वाली जो प्रणाली है वह सरकार पर न छोड़ी जाए?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस बात का शासन की ओर से पूरा ध्यान रखा जायेगा, जो माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

हमारे जनपद फर्रुखाबाद की तहसील छिबरामऊ में मुंसिफ न्यायालय के लिए भवन निर्माण हो चुका है, फिर भी अभी तक उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया है, तो क्या मंत्री जी इसके विलम्ब का कारण बताने का कष्ट करेंगे और यह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

शीघ्र से शीघ्र करा देंगे।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जहां पर इमारत भी उपलब्ध है और हवालात भी उपलब्ध है और सब चीजें उपलब्ध हैं तो क्या वहां पर आप मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की अदालत प्रायरिटी के हिसाब से खोलने की चेष्टा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

शासन इस पर विचार करेगा।

(अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0-2 पुकारे जाने पर)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, एक प्रश्न करने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं ।

प्रदेश में नसबन्दी अभियान सम्बन्धी कथित आदेश

**2—श्री राम आसरे वर्मा, श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नसबन्दी अभियान को सफल बनाने के लिए जोर-जबरदस्ती एवं प्रलोभन सम्बन्धी आदेश शासन द्वारा अभी हाल में निर्गत किये गये हैं? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश भर में भूमि, अनुदानों, भांति-भांति के पुरस्कारों का प्रलोभन देकर गांव-गांव में हलचल मचा रखी गयी है, नसबन्दी के नाम पर? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि ज्यादातर नसबन्दी का पात्र हरिजनों को बनाया जा रहा है? मेरा आरोप है कि 99 फीसदी हरिजन इसके शिकार बनाये गये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जून 85 के बाद क्या कोई आदेश सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की तरफ से नसबन्दी को प्रोत्साहन देने के नाम पर दिया गया है जिसमें दण्ड मूलक कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो इस तरह की व्यवस्था होने के बावजूद इसको नकारने का क्या औचित्य है?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, परिवार नियोजन का कार्यक्रम प्रदेश के कल्याण के लिये और देश के कल्याण और प्रगति के लिये आवश्यक है। इसको चलाने के लिये प्रलोभन, दबाव और जोर नहीं बल्कि सभी के सहयोग की अपेक्षा की गयी है। इसमें जोर-दबाव डालने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इसमें पुलिस का कोटा भी निर्धारित कीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बड़े गम्भीर मामले में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, जहां तक परिवार कल्याण के राष्ट्रीय कार्यक्रम का सवाल है इसमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि इसे जोर जुल्म से कलंकित न किया जाय। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि ऐसे आदेश जारी नहीं हुये। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि चिकित्सा अनुभाग-10 से 17 अक्तूबर को राजाज्ञा संख्या 6552/16-11-84 जारी हुयी है। क्या माननीय मंत्री जी इसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? वह राजाज्ञा क्या है और उसमें क्या दण्डात्मक प्राविधान किया गया है उसको पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है उसकी ओर मैं आपका और माननीय गुप्त जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि प्रदेश में नसबन्दी अभियान को सफल बनाने के लिये जोर जबरदस्ती एवं प्रलोभन सम्बन्धी आदेश शासन द्वारा अभी हाल में निर्गत किये गये हैं। इसका उत्तर दिया गया है जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, जिस राजाज्ञा का संदर्भ दिया गया है उसको मैंने नोट कर लिया है वह राजाज्ञा इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं उस राजाज्ञा को प्राप्त करके उसकी कापी आपको भिजवा दूंगा और सदन के पटल पर भी रख दूंगा।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है। मैंने राजाज्ञा का हवाला दिया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ऐसे सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ? मान्यवर, आप देखें यह कापी मैंने आपके कार्यालय में भी दी है और इसमें मैंने यह पूछा है कि क्या सरकार इस राजाज्ञा के बावजूद सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी। यह मान्यवर, पहले हमने ही उठाया था, मेरा ही नाम होना चाहिए था किसी तरह भाई राम आसरे जी का आ गया, खैर मुझे कोई शिकायत आपके सचिवालय से नहीं है। लेकिन मान्यवर, राजाज्ञा को आप स्वयं देख लें जिसमें साफ-साफ इन चीजों का उल्लेख है लेकिन माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी उन तथ्यों को छिपा रहे हैं। इससे मान्यवर, साफ जाहिर है कि यह सरकार किस प्रकार से तथ्यों को छिपाकर आदरणीय सदन को गुमराह कर रही है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने इनकी बातों का स्पष्ट उत्तर दिया है कि किसी भी प्रकार का जोर-दबाव आदि डालकर इस कार्य के लिए नहीं कहा जा रहा है बल्कि सहयोग और प्रोत्साहन के द्वारा कार्य हो रहा है। दूसरी बात एक राजाज्ञा आपने पढ़ी और मुझ से यह कहा गया कि इसे सदन के पटल पर रक्खूं। मैंने उनसे यही कहा कि इसकी कापी आपके पास भेजूंगा। अगर इसका संदर्भ आप अपने प्रश्न में दिए होते तो मुझे कोई आपत्ति न होती। इसलिए जब यह बात इस प्रश्न में नहीं थी, उसी प्रकार से आपको उत्तर दिया गया।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि कोई जोर-जबरदस्ती इस काम में नहीं हो रही है सिर्फ सहयोग और प्रोत्साहन के आधार पर हो रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप प्रोत्साहन पैदा करने के लिए और इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए लोगों का और सरकारी कर्मचारियों का सहयोग ले रहे हैं तो क्या इस आदरणीय सदन के भी सारे सदस्यगण इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी-अपनी नसबन्दी करायेंगे?

(हंसी)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, निश्चित रूप से एक राजाज्ञा का हवाला दिया गया और मैंने भी इस सम्बन्ध में यह पूछा था कि इस राजाज्ञा में क्या दण्डात्मक कार्यवाही का उल्लेख है। इसी बात को माननीय गुप्ता जी ने भी पूछा है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि विभिन्न विभागों में एक कोटा निर्धारित हुआ है और उस निर्धारित कोटे को पूरा किया जाना है और जिस अधिकारी का यह कोटा पूरा नहीं होगा उसके प्रति दण्डात्मक कार्यवाही होगी और यहां तक है कि उसे निकाल दिया जायेगा। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी से इस राजाज्ञा को पढ़कर सुनवाएं और इस सम्बन्ध में विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे गये उनका साफ-साफ उत्तर भी दिलवाएं। यह मेरा आपसे अनुरोध है। इसको कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कर्मचारी अलग से नियुक्त हैं और उनका वेतन, हमारे सामने दो-दो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, भारत सरकार के कोष से दिया जाता है। उन कर्मचारियों के लिए अवश्य यह आदेश निकले हैं कि जो परिवार कल्याण

कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्मचारी हैं, उनका साल में एक लक्ष्य निर्धारित हुआ है, जिसे उन्हें देना होगा। श्रीमन्, यही अध्यादेश इस सम्मानित सदन में भी है जिसमें निर्णय हमें आपको लेना होगा अगर निर्णय ले लेंगे तो शिरोधार्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सन् 2 हजार तक क्या जन संख्या रहे इसके लिए निर्णय आपको लेना होगा।

इस समय श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन पौने आठ हजार लोग पैदा होते हैं, 7,676।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहिये, सुनिये।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इस प्रश्न को उठाने से पूर्व क्या स्थिति है इस प्रदेश की आप जान लें। श्रीमन्, पौने 8 हजार लोग, जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों हैं, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन पैदा होते हैं।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

क्या आप यह बजट भाषण दे रहे हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं, जो गति आज इस उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की है, सन् 2000 में लगभग 23 करोड़ की जन संख्या इस उत्तर प्रदेश की हो जायेगी। 25 करोड़ रुपया वेतन उन व्यक्तियों को दिया जाता है, जो स्वास्थ्य विभाग में परिवार कल्याण के लिए रखे गये हैं। इनसे यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को प्रति माह एक लक्ष्य जो निर्धारित है, वह लक्ष्य पूरा करना है और जिन्होंने श्रीमन्, नहीं पूरा किया विगत तीन वर्षों में, तो उनमें से कुछ लोगों को सेवा से हटाया गया और जिन लोगों ने पुनः लक्ष्य पूरा कर दिया, उन्हें सेवा में वापस ले लिया गया। शासन का यह उद्देश्य नहीं है कि किसी की रोजी-रोटी ली जाय। मान्यवर, सदन की आज्ञा से यह परिवार कल्याण कार्यक्रम चलेगा। क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सन् 2000 में 18 करोड़ रहे या 24 करोड़ रहे, यह सदन निर्धारित कर दे।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ने और रोकने का हवाला दिया, उससे तो हम सहमत हैं, लेकिन हमारा प्रश्न जिस प्रकार से सुनिश्चित है, उसी प्रकार से मैं मान्यवर, सुनिश्चित उत्तर चाहता हूं। क्या इस नसबन्दी के कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी यह चिकित्सा सेवा संघ के लोगों ने 21-22 तारीख को पूरे प्रदेश में हड़ताल किया, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनको क्या आश्वासन दिया?

(व्यवधान)

क्या यह सही नहीं है कि हर विभाग में चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे प्लानिंग विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, उनमें कोटा फिक्स्ड कर दिये गये हैं और कोटा न पूरा करने पर, उनकी वेतनवृद्धि रोक दी गयी है? इसके पीछे जो जन आन्दोलन और आक्रोश हो रहा है, जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री का क्या उत्तर है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप तरीका बता दीजिए?

स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मित्रसेन जी ने सवाल किया है।

श्री त्रिपाठी–

मान्यवर, कोई जोर-जबरदस्ती नहीं हो रही है। दूसरी बात जो परिवार कल्याण से सम्बन्धित कर्मचारी हैं किसी को सेवा से हटाया नहीं जा रहा है। तीसरी बात उत्तर प्रदेश के चिकित्सा सेवा संघ ने कोई इस तरह की बात नहीं की है। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के जो दायित्व हैं उससे परिवार कल्याण सम्बन्धित हैं। उनसे यह नहीं कहा गया कि लक्ष्य वापस लिए जायं। लक्ष्य वापस लेने पर उन्होंने कोई हड़ताल नहीं की।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हरदोई जिले की ग्राम सभा बोंहदर कला में भूमि का पट्टा

*1–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई के वि0 खं0 बोंहदर के ग्राम सभा बोंहदर कला के निवासी भूमिहीनों हेतु जो भूमि खरीदी गई थी, उस भूमि को उक्त ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उसी गांव के ही जिनके पास जमीन पहले से ही थी, उनसे पैसा लेकर अनियमित ढंग से पट्टे पर दे दी गई? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पट्टों को निरस्त करते हुए उक्त भूमि को पात्र व्यक्तियों (भूमिहीनों) में वितरित करवायेगी तथा साथ ही दोषी खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या दुबारा उन्हीं लोगों को पट्टे दिए गए जिनके पास जमीन थी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जिनको जमीन दी गई उनकी सूची संदर्भ में है, आपने पूछा है कि जिनके पास भूमि थी क्या उनको पट्टे दिए गये हैं? इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगी कि 10 लोगों को भूमि दी गई थी उसमें से छः लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है। बाकी चार लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी भूमि थी कि वह गरीबी की रेखा से नीचे आते थे, इतनी भूमि उसके पास नहीं थी कि वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। इन चार लोगों के पास कहने मात्र की भूमि थी। एक के पास पांच बिसवां भूमि थी, एक के पास आठ बिसवां भूमि थी, एक के पास 13 बिसवां भूमि थी। एक के पास 11 बिसवां भूमि थी।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, यह मेरा प्रश्न नहीं है।

(शोर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जिनके पास भूमि नहीं थी जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, उनको जमीन दी गई। ताकि वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का कहना है कि जिनके पट्टे निरस्त नहीं थे केवल उन्हीं लोगों को जमीन दी गई है या औरों को भी दी गई है।

(शोर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जिनके पट्टे निरस्त हुए उनको जमीन दी गई या नहीं दी गई यह सूचना मैं बाद में भिजवा दूंगी।

(घोर व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मंत्री जी क्या उल्टा-सीधा जवाब दे रही हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरिजनों से क्रय की गई भूमि का दायित्व हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के ऊपर है या खण्ड विकास अधिकारी के ऊपर ? दूसरा यह है कि भूमि वितरित करने के लिये कोई सूची बनाई गई है और भूमिहीन की परिभाषा क्या है?

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दो प्रश्न पूछे गये हैं। मैं एक-एक करके जवाब दूंगी। एक प्रश्न यह है कि किस नियम के तहत भूमि दी गई। हमारी एक योजना निकली 12 जनवरी, 1982 को जिसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के भूमिहीन लोगों को भूमि देनी थी।

(व्यवधान)

उसी के अन्तर्गत भूमि क्रय करके दी गई।

दूसरा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत जो सबसे गरीब हैं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो देने दीजिये।

श्री सुकपाल पाण्डे–

यह उत्तर दे रही हैं या भाषण दे रही हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं माननीय मंत्री के उत्तर से सम्बन्धित मान्यवर, मंत्री जी गायब हो गयीं।

श्री अध्यक्ष–

आपको देखते ही आपसे पर्दा करना चाहती हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जैसा मंत्री जी ने बताया कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को जमीन दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग में गरीबी की रेखा का मापदण्ड क्या है? किस आधार पर गरीबी की रेखा तय की गई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह जो आज की स्थिति है, उसको देखते हुए आप स्वयं समझ सकते हैं।

(व्यवधान)

बहराइच जिले के गांव फरेन्दा (पिपराघाट) में नाव दुर्घटना

*2–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि 19 सितम्बर, 1984 को बहराइच जनपद में राप्ती नदी में नाव डूब जाने से 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? शासन ने मृतकों के परिवारजनों को क्या मदद की ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया यह भी बतायेंगे कि शासन नाव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

दिनांक 15-9-84 को गांव फरेन्दा (पिपराघाट) नेपाल की सीमा से मिली हुई राप्ती नदी की तीव्र धारा में एक नाव दुर्घटना हुई थी।

नाव दुर्घटना के वास्तविक घटनाक्रम एवं सही तथ्यों की जानकारी डिस्ट्रिक्ट आफिसर, बांके, नेपाल गंज कार्यालय से प्राप्त की गई । उन्होंने यह अवगत कराया कि दिनांक 15-9-84 को प्रातः 11 बजे फरेन्दा गांव (पिपराघाट) में नाव का संतुलन बिगड़ जाने के कारण राप्ती नदी की तीव्र धारा में नदी के मध्य एक लठ्ठे से टकराकर नाव दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी । नाव पर मल्लाह सहित सवार 46 व्यक्तियों में से 27 को जीवित बचा लिया गया तथा शेष 19 व्यक्तियों का कोई पता नही चल सका । जो 27 व्यक्ति जीवित बचा लिए गए थे वे सभी नेपाल राष्ट्र के नागरिक थे तथा उन्होंने किसी भारतीय नागरिक का उक्त नाव दुर्घटना में डूबना नही बताया ।

चूंकि नाव दुर्घटना भारतीय सीमा में नही हुई तथा कोई भारतीय नागरिक दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। अतः राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

नाव दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उचित एवं प्रभावी नियंत्रण, क्षमता से अधिक यात्रियों को न बैठने देना, क्षमता का अंकन नाव पर प्रदर्शित करने तथा नाव पर एक स्पष्ट लाइन चारों तरफ पेन्ट करने आदि सम्बन्धी निर्देश दिए गए हैं ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले भी लखनऊ में गोमती में एक भयंकर नाव दुर्घटना हुई थी । शासन बार-बार यह कहता है कि नाव दुर्घटनाओं को रोकने के लिये शासन सजग है और तरह-तरह की व्यवस्था कर रहा है । लेकिन इसके बाद भी मान्यवर, कानपुर और आगरा में नाव दुर्घटनाएं हुई । मैं यह पूछना चाहता हूं कि शासन के इतनी एहतियात बरतने के बावजूद आगरा और कानपुर में नाव दुर्घटनाएं होने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न बहराइच के बारे में है ।

नैनीताल जिले में ओलावृष्टि से फलों को हुई हानि

*3–श्री किशन सिंह तड़ागी –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल जिले में मई, जून में ओलावृष्टि से फलों की फसल को जो अपार हानि हुई है, उसका सरकार ने सर्वेक्षण करवाया है ? यदि हां, तो फल उत्पादकों को राहत देने के लिए क्या प्राविधान किया गया ?

श्री गौरी शंकर–

जी हां, असहाय/निर्बल वर्ग के लोगों को माह मई व जून 1985 में निःशुल्क गेहूं दिया गया । ऋण व खाद सबसिडी पर दी जा रही है । पर्वतीय क्षेत्र में तकावी ऋण की सीमा भू-राजस्व के 300 गुने से बढ़ाकर 1000 गुने कर दी गई है ।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, जो सर्वेक्षण कराया गया है, नैनीताल जनपद में रामगढ़, रामनगर दो ही ऐसे ब्लाक हैं, जहां पर फल उत्पादन अधिक होता है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन दोनों स्थानों पर कितना-कितना नुकसान हुआ है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जिलाधिकारी नैनीताल से जो सूचना आयी है, उसके हिसाब से तहसील नैनीताल के 71 गांवों में 50–60 प्रतिशत की क्षति हुई है । इससे 7,574 एकड़ में खड़े बागों में क्षति हुई है। यहां की 29,230 जनसंख्या प्रभावित हुई है । मान्यवर, इस ओला-वृष्टि से 50–60 प्रतिशत क्षति अनुमानित है ।

श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी उन फल उत्पादकों का नाम बता सकते हैं, जिनको रुपया दिया गया है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, ओलावृष्टि से 71 गांव प्रभावित हुए हैं । जिस व्यक्ति के बारे में माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी । वे अलग से कृपया इस संबंध में पूछ लें ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूं कि तकावी ऋण के लिए अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के कितने गांवों को इसमें लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल इसमें नैनीताल का ही है ।

दिनांक 7 फरवरी, 1986 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

आगरा, साधन सहकारी समिति, उन्देरा के संचालक पदों के लिए भरे गये नामांकन पत्रों का निरस्तीकरण

*1—श्री बदन सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी की साधन सहकारी समिति लि0, उन्देरा के संचालक पदों के उम्मीदवारों द्वारा भरे गये नामांकन पत्रों को खारिज करने के संबंध में चुनाव अधिकारी द्वारा बरती गई अनियमितताओं के विरुद्ध दिनांक 27-9-85 को भेजे गये कुछ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

प्रश्नगत साधन सहकारी समिति के संचालक पदों के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों के सम्बन्ध में दो दिनांक रहित शिकायती-पत्र जिनमें नामांकन खारिज की अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था, जिलाधिकारी, आगरा के माध्यम से दिनांक 30-9-85 को जिला सहायक निबन्धक, आगरा को प्राप्त हुए थे ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 444 (ग) के प्राविधान के अनुसार नाम निर्देशन प्रपत्र अनुचित रूप से अस्वीकार किये जाने पर शिकायतकर्ता को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 70 (1) के साथ पठित नियम संख्या—229 (2) (ख) के अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय हेतु जिलाधिकारी को वाद प्रस्तुत करने की व्यवस्था उपलब्ध है । शिकायतकर्ता सम्भवतः उक्त प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही न कर सका क्योंकि निर्वाचन आगामी आदेशों तक के लिए स्थगित हो गये थे ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के प्रथम खण्ड में बताया है कि प्रश्नगत साधन सहकारी समिति के संचालक पदों के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों के संबंध में दो दिनांक रहित शिकायती पत्र जिनमें नामांकन खारिज की अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था, जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से दिनांक 30-9-85 को जिला सहायक निबन्धक, आगरा को प्राप्त हुये थे । दूसरे खंड में उन्होंने कहा है कि सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा

70 (1) के साथ पठित नियम संख्या 229 (2) (ख) के अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय हेतु जिलाधिकारी को वाद प्रस्तुत करने की व्यवस्था उपलब्ध है। जब जिलाधिकारी को मध्यस्थ निर्णय हेतु वाद प्रस्तुत करने की व्यवस्था उपलब्ध है, तो जिलाधिकारी आगरा ने शिकायत करने वालों का प्रार्थना-पत्र जिला सहकारी निबन्धक आगरा को क्यों भेज दिया ? स्वयं इसका निर्णय क्यों नहीं किया ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य स्वतः जानते हैं कि यह नियम जो है, इसके अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है किसी भी वादी को अगर यह वाद के परिप्रेक्ष्य में लाया गया होता तो यह सहायक निबन्धक आगरा को नहीं भेजा जाता। सूचना के आधार पर शिकायत की गयी थी। वाद दायर करने का अधिकार जो शिकायतकर्ता को उपलब्ध है, उसके तहत नहीं किया गया, इसलिये इसे भेज दिया गया।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि उसका नामांकन पत्र गलत ढंग से खारिज कर दिया गया, उसको बहाल किया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी जिलाधिकारी, आगरा ने इस मामले को सहायक निबन्धक, आगरा को प्रेषित कर दिया। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में है कि अनुचित ढंग से नामांकन पत्र खारिज किया गया था ? यदि हां, तो चुनाव अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, किसी भी अधिकारी के खिलाफ, वैसे यह विषय वादी का है, अगर न्यायालय के तहत दोष सिद्ध हो जाता है तब उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही सम्भव हो सकती है। प्रस्तावक का न होना, अनुमोदक का न होना, ये छोटे-छोटे कारण थे। इसके लिए उन्हें सचेत किया गया है कि वह भविष्य में ऐसी गलती न करें।

लखनऊ जनपद के ग्राम चन्द्रावल की हरिजन कालोनी के आवासों का आवंटन

*2–श्री शारदा प्रताप–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चन्द्रावल, विकास खण्ड सरोजनी नगर, जिला लखनऊ में हरिजन कालोनी का निर्माण किस सन् में हुआ था और उक्त कालोनी के निर्माण में शासन द्वारा कितना रुपया व्यय किया गया? कालोनी का निर्माण होने के पश्चात् उक्त कालोनी किन-किन हरिजनों के नाम आवंटित की गयी ? क्या सरकार को जानकारी में यह भी है कि उक्त कालोनी बनाने के तुरन्त बाद ही ध्वस्त हो गयी ? क्या सरकार ने उक्त कालोनी के निर्माण में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

ग्राम चन्द्रावल, विकास खण्ड, सरोजनी नगर जिला–लखनऊ में वर्ष 1980 में 30,800/- रुपये की लागत से श्रमिकों एवं निर्बल वर्ग के समुदाय के परिवारों के लिए ग्राम विकास विभाग ने 14 आवास बनाये थे। इनमें से एक घर गांव में था और 13 घर आबादी से दूर था।

इन आवासों को संलग्नक–1 में दिए हुए लाभार्थियों को आवंटित किया गया था।

जी नहीं । गांव से दूर 13 आवासों में लाभार्थी करीब एक वर्ष तक रहते रहे उसके उपरान्त सुरक्षा हेतु वे आकर गांव में रहने लगे और उन आवासों में दरवाजे, ईंटें इत्यादि निकालकर अपने साथ ले आये । गांव के पास वाले मकान में श्री अस्तीबाज अब भी रह रहे हैं।

इन आवासों को बनाने में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 84 पर)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया और 14 लोगों की जो सूची दी है, इस सूची में 14 वें नम्बर पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है, जिसकी वल्दियत नहीं लिखी गई है। मैंने इस मामले पर पहले भी भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री ब्रह्म दत्त जी का घेराव किया था। आज माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि गांव से दूर 13 आवासों में लाभार्थी करीब एक वर्ष तक रहते रहे और उसके उपरान्त सुरक्षा हेतु वे आकर गांव में रहने लगे । माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है यह बिलकुल सत्य से परे है। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज तक उसमें कोई भी आदमी कभी रहा ही नहीं । जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री ब्रह्म दत्त जी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया । जब उसकी जांच की गई तो फर्जी नाम पाये गये । क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इस कालोनी के बनने के बाद ये लोग आवासों के ईंटें, दरवाजे ले गये ? क्या इसकी कोई रिपोर्ट हुई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

जिले से जो सूचना आयी है उसके अनुसार ये लोग लगभग एक वर्ष वहां रहे । चूंकि यह गांव से कुछ दूरी पर बस्ती बसायी गयी थी, इसलिये अनेक असुविधायें थीं, मेरे संज्ञान में आया है, इसलिये अपनी पुश्तैनी जो सुविधाजनक व्यवस्था थी, ये लोग वहां चले गये । अपने साथ जो सामान वे ले जा सकते थे, ले गये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जिन लोगों को इन मकानों में बसाया गया था, उन्होंने कितने दिनों में वहां से ईंट पत्थर उखाड़े, वे वहां से कब गये ? क्या इसकी कोई रिपोर्ट लिखी गयी कि आपको कितना नुकसान हुआ? यदि यह तथ्य गलत है तो क्या जांच करायेंगी?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने दरवाजों का जिक्र किया, आप ईंट पत्थर की बात कर रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि उसमें कोई आदमी बसाया ही नहीं गया । इसका उत्तर दे दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

जब लोग वहां गये अधिकारियों से पूछा गया तब यह बात प्रकाश में आयी । यें तो उनकी मिल्कियत थी, जहां गये अपने साथ ले गये ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीया मंत्री जी ने कहा कि असुरक्षा के कारण ये लोग अपने पुश्तैनी मकान

में जहां सुविधा थी, चले गये । यह तो आपने स्वीकार किया है कि असुविधा की जगह बसाने का प्रयास शासन द्वारा किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह पंचायत की भूमि प्राप्त हुई थी, जहां प्राप्त हुई वहां बनाये गये। उस समय ये लोग खुशी-खुशी वहां गये। बाद में उनको कोई असुविधा हुई होगी, इसलिये वापस चले गये । आप जांच की बात कह रहे हैं । जांच कराकर तो वही हाल हो जायेगा कि मियां की जूती मियां का सर ।

(हंसी)

(तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर–घोर व्यवधान)

श्री राम सरन–

ये क्या हो रहा है ? मान्यवर, इनको शर्म आनी चाहिए, [* * *] ऐसे नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

अगर प्रश्न के उत्तर से माननीय राम सरन दास जी सन्तुष्ट नहीं थे तो वह अपनी बात को कहते लेकिन उन्हें मंत्री जी के लिये "बेशर्मी" शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये था बेशर्मी शब्द आपत्तिजनक है। मान्यवर, इस शब्द को आप कार्यवाही से निकलवा दीजिये ।

(व्यवधान)

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा डाइरेक्ट इगनीशन आफ पल्वराइज्ड कोल नामक तकनीक का विकास

*3–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने डायरेक्ट इगनीशन आफ पल्वराईज्ड कोल नामक एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे तापीय विद्युत इकाइयों में आयल का प्रयोग भारी मात्रा में घटाया जा सकता है और यदि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् इसे अपनाती तो करोड़ों रुपए की वार्षिक बचत की जा सकती है? यदि हां, तो सरकार उक्त तकनीक को अपनाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

जी हां, पर इस तकनीक का अभी कामर्शियल उपयोग शुरू नहीं हुआ है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह तकनीक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विकसित की है, जिससे कि जितने भी तापीय विद्युत गृह हैं उसमें यह लगायी जा सके। इसमें 200 मेगावाट क्षमता के आधार पर 50 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। तकनीक यहां उपलब्ध है और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि अभी तक इसका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। विद्युत इकाइयों में इसका उपयोग करने से जो फ्यूल आयल प्रयोग किया जा रहा है, उसके बनिस्वत इसमें लाभ होगा। भारत सरकार की नीति है विद्युत गृहों की उन्नति करने की, तो फिर क्या कारण है कि राज्य विद्युत परिषद् इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है?

नोटः- [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी इस पर अनुसंधान जारी है। निःसंदेह इससे फायदा होगा, यह हम मानते हैं लेकिन जो अनुसंधान जारी है उसकी रिपोर्ट आ जाने पर इसका उपयोग शुरू कराने पर विचार किया जा सकता है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि यह तकनीक आपके राज्य विद्युत परिषद् की विद्युत इकाइयों में वह उपलब्ध कराने को तैयार हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए अपने किसी एक तापीय विद्युत गृह में इस तकनीक को प्रारम्भ कराने की कृपा करेंगे? तापीय विद्युत गृहों में फ्यूल आयल का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है इसलिये विद्युत परिषद् नहीं चाहती है कि इस तकनीक को प्रारम्भ किया जाय, तो क्या माननीय मंत्री जी किसी एक तापीय विद्युत गृह में इसका उपयोग शुरु करायेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी तक देश के किसी कोने में इस तकनीक को विद्युत गृहों में नहीं शुरु किया गया है, सबसे पहले हम कैसे इसे शुरु कर सकते हैं। अभी तक इस तकनीक का कामर्शियल उपयोग शुरु नहीं हुआ है, जैसे ही इसका उपयोग शुरु हो जायेगा, हम भी इसे करायेंगे।

उन्नाव जिले में पुष्टाहार के प्रयोग के फलस्वरूप बच्चों की हुई मौतें

*4–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 व 84-85 में निदेशालय की गलत नीतियों एवं जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, उन्नाव की लापरवाही के कारण लाखों रुपये का पोषाहार सड़कर विषैला हो गया जिससे जनपद में विभाग द्वारा चलाये जा रहे कई आंगनबाड़ी केन्द्रों के दर्जनों बच्चों की मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो क्या पूरे प्रकरण की जांच संबंधित जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी एवं मुख्यालय के संबंधित अधिकारी को निलम्बित करके, करायेंगे जिससे जांच निष्पक्ष हो सके और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। वर्ष 1982-83 में तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी उन्नाव (हरिजन कल्याण) श्रीमती चम्पी आर्या द्वारा उन्नाव की तीनों परियोजनाओं हेतु 7,03,900/- रुपये का पुष्टाहार क्रय किया गया था, जिसमें से निम्नलिखित मूल्य के पुष्टाहार खराब हो गये थे:–

(1)–औरास = 1,32,794/- रुपये
(2)–सिकन्दरपुर
सरौसी = 50,537/-रुपये
(3)–सिकन्दरपुर
करन = 1,02,365/-रुपये

औरास परियोजना के अन्तर्गत जून, 1983 में चार बच्चों तथा सितम्बर, 1983 के अन्तिम सप्ताह में छः बच्चों के मरने का मामला प्रकाश में आया।

इस लापरवाही के कारण श्री प्यारे लाल बाल विकास परियोजना अधिकारी औरास को निलम्बित किया जा चुका है।

श्री कौशिक रमा शंकर–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव की लापरवाही के कारण लाखों रुपयों का पोषाहार सड़कर विषैला हो गया और उसके कारण

10 बच्चों की मृत्यु हो गयी। यह बड़े शर्म की बात है। सरकार ने केवल लापरवाही का कारण बताकर एक अधिकारी को निलम्बित कर दिया और इसी से अपनी जिम्मेदारी से बच जाना चाहती है। मान्यवर, यह दो ढाई साल पुराना मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पोषाहार द्वारा गरीब और पीड़ित बच्चों को समाप्त करने की योजना सरकार ने बनायी है। यह केवल लापरवाही का ही मामला नहीं है, एक जघन्य अपराध है। इस दृष्टि को देखते हुये 10 बच्चे मर गये। आप देखें कि 4 बच्चे जून के महीने में मर गये, तब भी अधिकारी नहीं चेते और सितम्बर में और बच्चे मर गये। आप क्या इस जघन्य अपराध के लिए जांच करायेंगी और दोषी लोगों को सजा देने का फैसला करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, यह बात बहुत ही गम्भीर है, गरीब बच्चों का मामला है और इसमें जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, इस मामले को बड़ी सीरियसली लिया जा रहा है और तुरन्त कार्यवाही हो रही है। प्यारेलाल जो परियोजना अधिकारी थे जिले के, उनको तुरन्त निलम्बित कर दिया गया है। यह घटना होने के उपरान्त वहां पर जो कार्यकर्त्री थीं उनको निलम्बित नहीं किया गया, बल्कि उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं। सस्पेन्ड नहीं किया गया बल्कि टरमिनेट कर दिया गया है। तो यह कार्यवाही की गयी है। मैं इसी कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं हूं और मैं चाहती हूं कि इस मामले की गम्भीर रूप से जांच करायी जाये। अगर किसी को एक्शन लेने में देरी हुई है तो यह देरी जिस अधिकारी के कारण हुई है और जो इसके दोषी हैं उन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी, एक्शन लिया जायेगा और किसी को बख्शा नहीं जायेगा। हमारे मुख्य मंत्री जी की यह नीति है कि दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जायेगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

इन्हीं के इशारे पर तो उसे खरीदा गया था।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, अब ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि जो भी सामान खरीदा जायेगा और जिसको वितरित किया जायेगा उस पर सी0 एम0 ओ0 की मुहर होगी और जब तक उस पर सी0 एम0 ओ0 की मुहर नहीं होगी किसी सामान को वितरित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, इनको आप बैठा दीजिये।

(व्यवधान)

लालबाग, लखनऊ स्थित पी0 सी0 एफ0 बिल्डिंग की कथित बिक्री

*5–श्री सरदार सिंह

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 सी0 एफ0 ने लालबाग स्थित अपनी बहुमूल्य इमारत एवं जमीन बेच दी है या लीज पर दे दी है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या लालबाग स्थित पी0 सी0 एफ0 बिल्डिंग को गिराकर लीज पर देने का विचार है या व्यावसायिक अथवा आवासीय उपयोग के लिए उस बिल्डिंग को गिराकर बड़े-बड़े लोगों को देने जा रहे हैं?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, शायद माननीय सदस्य भूल गये हैं, मुझे अच्छी तरह याद है सदन में पिछले सत्र में भी यह प्रश्न उठा था। इसको किसी व्यवसायिक आदमी को नहीं बल्कि सरकारी संस्था और अन्य संस्थाएं जो इससे सम्बद्ध हैं, उन्हीं का हवाला इसमें दिया गया है और उन्हीं को किराये पर देने की व्यवस्था है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पी0 डब्लू0 डी0 के तत्कालीन अधिशासी अभिन्ता श्री जी0के0 भट्ट ने उक्त भवन का निरीक्षण किया था और उन्होंने यह पाया कि इस भवन के जीर्णशीर्ण अवस्था में होने के कारण इसका पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस कारण यह बात तय हुई और बहुखण्डीय भवन बनाने की योजना पर विचार हुआ।

प्रदेश में वर्षा एवं बाढ़ से हुई क्षति

*6–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर एवं अक्टूबर, 1985 की भीषण एवं लगातार मूसलाधार वर्षा से प्रदेश के कितने जिलों में काश्तकारों की बाजरा, ज्वार, उर्द, मूंग, कातिक अरहर आदि का नुकसान हुआ, उसका क्षेत्रफल कितना रहा? क्या सरकार ऐसे बर्बाद किसानों की क्षतिपूर्ति हेतु कोई कदम उठायेगी? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री गौरी शंकर–

प्रश्नगत भीषण एवं लगातार मूसलाधार वर्षा व बाढ़ तथा भू-स्खलन आदि से प्रदेश के कुल 55 जिलों की खरीफ की फसल का 24,19,323 हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ।

राहत कार्यों हेतु कुल 31.75 करोड़ रुपयों का आवंटन दैवीय आपदा बजट से समस्त जनपदों को किया गया है। तकावी ऋण देने हेतु 135 लाख रुपये की धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है। 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्रों की मालगुजारी के छूट के प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा नियमानुसार यथा समय विचार किया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो धनराशि आपने आवंटित की है, उसमें केन्द्रीय सरकार का कितना अंश है? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो धनराशि आपने इस हेतु आवंटित की है, वह अभी तक कितने जिलों में आवंटित की है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मिली है। मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से 128 करोड़ 27 लाख रुपये की सहायता प्राप्त हुई है जो विभिन्न जनपदों को उपलब्ध कराई गई है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष जनपद के बारे में जानकारी करना चाहते हों तो मैं बता सकता हूं वैसे मेरे पास सारे जनपदों की सूचना है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मुख्य रूप से जिन किसानों को हानि हुई है उनमें किन-किन जिलों में कितने किसानों को यह धनराशि आवंटित की गई है? मेरी जानकारी है कि अभी तक इस दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को आगरा, मथुरा, एटा और मैनपुरी में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है, क्या यह सही है?

श्री गौरी शंकर–

जहां तक आगरा का सम्बन्ध है उसके लिये भी 2 लाख 3 हजार रुपये की धन-

राशि दी गई। एटा का भी संदर्भ दिया गया है लेकिन चूंकि एटा बाढ़ से प्रभावित नहीं था और चूंकि जनवरी में सूचना आयी और उससे पहले जो सूचना प्राप्त हो गई उसी के बारे में भारत सरकार से धन-राशि मांगी गई थी। इसी तरह से मैनपुरी में 5 लाख 71 हजार, इटावा में 6 लाख 23 हजार रुपये की धनराशि दी गई है। यह धनराशि दैवी आपदाओं की क्षतिपूर्ति के लिए पहले से ही उपलब्ध करा दी गई थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अहेतुक सहायता दैवी आपदाओं के लिये दी जाती है और उसका जो मानक बनाया गया है वह मात्र 200 रुपये ही रखा गया है? इस मानक के अनुसार जो धनराशि दी जाती है उसमें लेखपालों द्वारा भ्रष्टाचार भी होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मानक में संशोधन करके इस 200 रुपये की धनराशि को 400 रुपये करने की कृपा करेंगी?

श्री गौरी शंकर–

यह तो भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार के बीच की नीति है। वित्तीय संसाधनों को देखते हुये वर्तमान में जो प्राविधान चल रहा है उसी के अनुसार दिया जा रहा है। इससे पहले यह धनराशि कम थी। अब कुछ जनपद बढ़े भी हैं। ऐसी स्थिति में कुछ भी कह पाना सम्भव नहीं है।

आगरा एवं बलिया में विद्युत आपूर्ति

*7–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री मैनेजर सिंह तथा श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री दिनांक 26-7-85 के तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उत्तर के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के इस कथन को सही मानकर कि मार्च, अप्रैल व मई, 1985 में बलिया व आगरा जनपद में कभी भी विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 7 घंटा नहीं रही? क्या इसकी जांच कराकर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे और विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण किसानों को जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

प्रश्नकर्ता का यह कथन उचित नहीं है कि बलिया एवं आगरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, अप्रैल व मई, 1985 में कभी भी विद्युत आपूर्ति 7 घंटा नहीं रही। ऐसे हालात में विद्युत आपूर्ति में कमी के कारण किसानों को कोई क्षति नहीं होनी चाहिये क्योंकि औसत विद्युत आपूर्ति लगभग निर्धारित ही रही।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

श्रीमन्, माननीय ऊर्जा मंत्री प्रश्न का उत्तर तथ्य को छिपाकर दे रहे हैं। उनका यह उत्तर स्पष्ट भी नहीं है। जैसा उन्होंने अपने उत्तर में "लगभग" शब्द का प्रयोग किया है, यह स्पष्ट नहीं है। मेरा प्रश्न 26-7-85 का था और आज 7 महीने उसकी सूचना इकट्ठा करने में लग गए। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास कौन से आधार हैं जिस पर आप कहते हैं कि बिजली की आपूर्ति की वहां पर कमी नहीं रही? क्या आप किसी दूसरे विभाग के उच्च अधिकारी से इस मामले की जांच कराकर सदन को अवगत करायेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैं उन्हें उत्तर देना चाहता हूं। मैंने औसत विद्युत आपूर्ति की गई, कहा है। वहां पर 7 घण्टे बिजली दी गई। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा,

इसमें समय इसलिए लगा क्योंकि हम सही जानकारी देना चाहते थे कि बलिया और आगरा में कितनी बिजली औसतन दी गई। बलिया में साढ़े 6 घण्टे मार्च में और सात-पौने सात घण्टे अप्रैल में दी गई । लेकिन औसतन 7 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। कभी 3 घण्टे बिजली मिली, कभी आठ घण्टे मिली तो औसत की जानकारी मैंने दी है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने कहा साढ़े 6 घंटे और पौने 7 घंटे बलिया में बिजली दी । लेकिन आपने आश्वासन 8 घंटे का दिया था तो इससे किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, किसानों की क्षतिपूर्ति तब सम्भव होती अगर बिजली 3 घंटे से कम दी होती । औसत बिजली किसानों को दी गई है ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि औसत 7 घंटे बिजली दी गई है । मैं जानता हूं कि बलिया में 3 और साढ़े 3 घंटे से अधिक बिजली नहीं दी गई है । तो क्या आप बलिया के अधिकारियों से रिपोर्ट मंगायेंगे कि बलिया जनपद में विभिन्न केन्द्रों से अप्रैल और मई में कितनी बिजली दी गई ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, इस संबंध में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वह कोई स्पैसिफिक जगह बता दें कि इस लाइन में बिजली नहीं दी गई तो वहां पर अध्ययन किया जा सकता है । लेकिन बलिया में जो बिजली केन्द्र से सप्लाई की गई, उसमें कोई गलती नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी बैरिया और रेवती दो क्षेत्रों का बता दें कितनी बिजली दी गई है ?

श्री सुनील शास्त्री–

इसकी जानकारी करवा लेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तीन घंटे बिजली दी गई और कब चार घंटे बिजली दी गई । क्या कभी ऐसा भी रहा है कि 12 घंटे या 13 घंटे भी बिजली दी गई है ?

श्री सुनील शास्त्री–

मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि कब 3 घंटे बिजली दी गई इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है लेकिन औसत पौने सात घंटे दी गई तो उसमें कभी 10 घंटे भी दी गई होगी तभी इतना औसत आयेगा।

उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का मांग-पत्र

*8–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अख्तर हुसैन महामंत्री, उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ द्वारा कर्मचारियों का 20सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 15-10-85 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । यह मांगपत्र दिनांक 16-9-85 का है ।

मंगपत्र की प्रति संलग्न है ।

मांगों के संबंध में संघ के प्रतिनिधियों से माह अक्टूबर, 1985 में वार्ता हो गई है तथा इस पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 85 पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो माह अक्टूबर, 1985 में वार्ता हुई उसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए और उस संबंध में शासन के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, कई मांगें ऐसी थीं जो कि हमारे वेतन समिति को सुपुर्द थी तो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कोई निर्णय सम्भव नहीं है । जहां तक अन्य मांगें थीं उसमें से कुछ ऐसी थी जिनको स्वीकार नहीं किया गया है । अन्य मांगों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

इलाहाबाद, इस्टेट लैण्ड (राजकीय आस्थान भूमि) पर बनाए गए रिहायशी मकानों का नियमितीकरण

*9–श्री लाल प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में गवर्नमेन्ट स्टेट लैण्ड (राजकीय आस्थान भूमि) पर जिन लोगों ने रिहायशी मकान बना लिए हैं, उनका बोर्ड आफ रेवेन्यू के पत्रांक 1695/11-आस्थान-7/73 दिनांक 14 जुलाई, 75 एवं पत्र संख्या 1337/11-आस्थान-52/82 दिनांक दिसम्बर, 16/18, 1982 के अनुसार नियमितीकरण किया गया ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

जनपद इलाहाबाद में गवर्नमेन्ट इस्टेट लैण्ड (राजकीय आस्थान भूमि) पर विभिन्न लोगों द्वारा बनाये गये रिहायशी मकानों के नियमितीकरण के लिए अगस्त, 1985 तक कुल 105 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 11 मामलों में नियमितीकरण की कार्यवाही प्रश्न में उल्लिखित परिषद् के पत्र दिनांक 14-7-75 तथा 16/18 दिसम्बर, 1982 के अनुसार की जा चुकी है। शेष मामलों में नियमितीकरण की कार्यवाही शासन के अग्रिम आदेशों तक स्थगित है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम घोंखरिया के ग्राम प्रधान के चक की पैमाइश

*10–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम घोंखरिया, परगना रामनगर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के ग्राम प्रधान व उनके परिवार के सदस्यों के चकों की पैमाइश माह अगस्त, 1985 में तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की गई थी जिसमें उनके चकों में ग्राम समाज की अतिरिक्त भूमि निकली है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

जी हां ।

इस संबंध में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 बी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद तहसीलदार के न्यायालय में लम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर जिले के ग्राम पपरेंदा के विद्युतीकरण की मांग

*11–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ब्लाक अमौली (कोड संख्या 200404) के ग्राम पपरेंदा (कोड संख्या 246) को वर्ष 1983-84 में चयनित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का विद्युतीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं और उक्त ग्राम को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ?

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । स्वीकृत योजना का कार्यकाल वर्ष 1988 तक होने के कारण विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया जा सका । सूचनीय है कि उक्त ग्राम को इसी योजना अवधि में विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है ।

देवरिया जिले के फाजिलनगर में कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा निर्मित शीतगृह की बन्दी

*12–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में फाजिलनगर में कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा निर्मित शीतगृह अक्तूबर, 1984 से बन्द है ? यदि हां, तो बन्दी का कारण क्या है तथा उसके बन्दी से प्रतिवर्ष कितने धनराशि की क्षति है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जनपद देवरिया में फाजिलनगर स्थित यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा संचालित शीतगृह 1 जनवरी, 1985 से बन्द है ।

शीतगृह की छत से पानी टपकने तथा फर्श से पानी का रिसाव होने के कारण इंसुलेशन खराब हो गया, जिसके कारण कक्षों में आर्द्रता बढ़ जाने से शीतगृह संचालित नहीं किया जा सका ।

शीतगृह बन्द होने से वर्ष 1984-85 में इसे लगभग 2,85,000 रु0 की हानि हुई है ।

चकबन्दी अधिकारी अन्तिम अभिलेख, बलरामपुर, गोण्डा के न्यायालय में लम्बित मुकदमा

*13–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी अधिकारी अन्तिम अभिलेख बलरामपुर गोण्डा कैम्प नं0 5 के यहां 10-9-78 को मुकदमा नं0 2616 व 2617 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से निर्णीत होकर अमल दरामद करने के लिए आया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक लगातार लगभग 200 तारीखें देने का क्या औचित्य है ? क्या यह भी सत्य है कि चकबन्दी अधिकारी की अनियमितता के कारण इसको टाला जा रहा है ? यदि हां, तो इसको कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

यह सत्य नहीं है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय से वाद सं0 2616 व 2617 निर्णीत होकर अमल-दरामद हेतु दिनांक 10-9-78 को चकबन्दी अधिकारी अंतिम अभिलेख, बलरामपुर (गोण्डा) के न्यायालय से प्राप्त हुए बल्कि 7-9-78 को सहायक चकबन्दी अधिकारी औराडीह, गोण्डा के समक्ष दो आपत्तियां प्रस्तुत की गईं जो बतौर वाद सं0 2616 व 2617 चल रही हैं । यह दोनों वाद एक साथ चल रहे हैं तथा 118 तारीखें दी गई हैं जिसका कारण यह है कि न्यायिक कार्यवाही के विभिन्न स्तरों पर पक्षों द्वारा प्रति उत्तर, प्रति-आपत्तियां प्रस्तुत करना तथा कई बार स्थगन लेना है। यहां तक कि अन्तरिम आदेशों के विरुद्ध 7 बार निगरानियां प्रस्तुत की गयीं तथा 4 बार वादों को अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। इन सब कार्यवाहियों से मुकदमों के निस्तारण की कार्यवाही अवरुद्ध हुई। दोनों वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के आदेश दे दिये गये हैं।

ताप विद्युत गृह, पारीछा, झांसी में कथित खराबी

*14—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारीछा तापीय विद्युत गृह, झांसी की एक टरबाइन के चलते समय कम्पन होने का क्या कारण है? क्या इस कम्पन की समस्या के कारण पूरी परियोजना के निष्क्रिय हो जाने का खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

पारीछा परियोजना के निष्क्रिय होने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि परियोजना की प्रथम इकाई के आरम्भ में जो टरबाइन बियरिंग में स्वीकार्य सीमा से अधिक कम्पन थे, उनको मैसर्स बी0 एच0 इ0 एल0 ने रोटर और टरबाइन के रिएलाइनमेण्ट के बाद एवं अनेक बार ट्रिम बैलेन्सिंग करके स्वीकार्य सीमा में ला दिया है, जिसके फलस्वरूप इकाई इस समय संतोषजनक रूप से उत्पादन कर रही है। इसके लिए यू0 पी0 एस0 इ0 बी0 में कोई दोषी नहीं प्रतीत होता।

लखनऊ शहर में बाढ़ में डूब कर हुई मौतें

*15—श्री नरेश चन्द्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत सितम्बर, अक्टूबर, 1985 में लखनऊ में बाढ़ में कितने लोग शहर के नालों में डूब कर अथवा बह कर मर गये और शासन ने उन सबके आश्रितों को कोई मुआवजा दिया? यदि हां, तो किस व्यक्ति को कितना?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

कथित अवधि में लखनऊ शहर के नालों में डूब कर/बह कर कुल छः व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दैवीय आपदा बजट से प्रत्येक के वारिस को एक हजार रुपये की दर से राहत स्वीकृत की गयी। उसमें से पांच मृतक परिवारों के वारिसान को सहायता का वितरण किया जा चुका है। शेष एक मृतक परिवार ने सहायता लेने से इन्कार कर दिया है। इसके अलावा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से भी प्रति मृतक रुपये 3,700/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

*16—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

[22वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0-22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*17—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

निबंधक सहकारी समितियां, लखनऊ द्वारा लिया गया कृषि ऋण समिति के सचिव पद हेतु साक्षात्कार

*18—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, गोण्डा व अन्य जनपदों में प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति के सचिव पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार करने के पश्चात् चयनित सूची में निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु हेरा-फेरी करके नियुक्तियों में विलम्ब किया जा रहा है?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं।

श्री विष्णु अवतार चतुर्वेदी, अधिशासी अभियंता, विद्युत, सीतापुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप

*19—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विष्णु अवतार चतुर्वेदी अधिशासी

अभियन्ता (विद्युत) सीतापुर के खिलाफ जनपद की 24 यूनियन 12-8-85 से क्रमिक अनशन करने को उद्वेलित हैं और श्री चतुर्वेदी के खिलाफ 24 आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो उसके विरुद्ध जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और क्या उनका स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार अगस्त, 1985 में श्री विष्णु अवतार चतुर्वेदी, अधिशासी अभियंता (विद्युत) सीतापुर के खिलाफ जनपद सीतापुर की 24 यूनियनों द्वारा कोई क्रमिक अनशन अथवा आन्दोलनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। श्री चतुर्वेदी के खिलाफ 24 आरोपों एवं 12-8-85 से क्रमिक अनशन किये जाने से संबंधित हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन के पैम्फलेट शासन में प्राप्त हुए थे जिन्हें दिनांक 24-7-1985 को मूलरूप में राज्य विद्युत परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। उक्त पैम्फलेट राज्य विद्युत परिषद् में दिग्भ्रमित हो जाने के कारण इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

आजमगढ़ के ग्राम धर्मपुर व बिशुनपुर का घाघरा नदी से कटाव

*20–श्री विष्णुदेव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील घोसी जनपद आजमगढ़ के ग्राम धर्मपुर, बिसुनपुर टोला बिनटोलिया के सैकड़ों परिवार जो हरिजन भूमिहीन गरीब पिछड़े लोग हैं जिनके पुराने मकान घाघरा के कटाव में धारा में विलीन हो गये थे और उन्हें नयी झोपड़ी डालकर रहना पड़ा क्या इन परिवारों के लिये घर पटाई का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त पर कब तक अमल किया जायेगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद आजमगढ़ तहसील घोसी के ग्राम धर्मपुर विशुनपुर के पुरवा बिन्टोलिया का कोई घर घाघरा नदी के कटाव से नदी में विलीन नहीं हुआ है और वहां के निवासी अपने स्थान पर यथापूर्ववत् हैं।

जनपद आजमगढ़ के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में नीची सतह के आबादी वाले 234 ग्रामों की सतह को ऊंचा कराने के संबंध में सर्वेक्षण कराने हेतु एक सूची बनाई गई थी, जिसमें ग्राम धरमपुर विशुनपुर की सतह को भी ऊंचा कराने का उल्लेख था। यह प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा परशुरामपुर के प्रधान का श्री चन्द्रभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

1–श्री काजी कलीमुररहमान–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री कमला प्रसाद, प्रधान ग्राम सभा परशुरामपुर, ब्लाक भटहट, जिला गोरखपुर व उसी गांव के अन्य ग्राम वासियों के हस्ताक्षर-युक्त कोई शिकायती पत्र उसी गांव के श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी उर्फ विभूति त्रिपाठी पुत्र श्री ब्रह्मदेव त्रिपाठी के विरुद्ध उनके द्वारा ग्राम सभा की 65,000 ईंट जबरन उठा ले जाने से सम्बन्धित शिकायती पत्र को संलग्न करते हुए श्री मिठाई लाल गुप्त, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (जे), गोरखपुर ने उचित कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 6-4-85 को कोई पत्र लिखा था? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का उपभोक्ताओं पर बकाया शुल्क

2–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ऐसे कौन-कौन विद्युत उपभोक्ता हैं जिन पर दिनांक 20-5-85 तक उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की पचास हजार रुपये तथा उससे अधिक की देय धनराशि बकाया है? इस बकाया धनराशि को वसूल न करने के क्या कारण हैं तथा यह कब तक वसूल कर ली जायेगी? क्या सरकार ऐसे बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं की सूची बकाया धनराशि सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री सुनील शास्त्री–

विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कुल 901 ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं, जिन पर 20-5-85 तक 50,000 रुपया तथा उससे अधिक के विद्युत देयों की धनराशि बकाया है, इनके विरुद्ध कुल बकाया धनराशि लगभग 70.30 करोड़ रु0 है। बकायेदारों की जानकार सूची संलग्न† है। सूची में दर्शाये गये मामलों में से लगभग 212 मामले न्यायालय/पंच निर्णय में लम्बित हैं लगभग 139 मामलों में उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेदन किया जा चुका है लगभग 297 मामले सरकारी विभागों, सिंचाई विभाग, जल संस्थान इत्यादि के हैं और जनहित में विद्युत विच्छेदन नहीं किया गया है। शेष 253 मामले ऐसे हैं जिनमें वसूली नहीं होने के अन्य कारण हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद विद्युत परिषद् तत्परता से वसूली के प्रयास कर रहा है।

प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ के चर्मकला के छात्रों की संख्या एवं निर्मित वस्तुओं का भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा किया गया उपयोग और प्रधानाचार्य को डबल ड्यूटी भत्ते का भुगतान

3–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ में बालकों को चर्मकला की शिक्षा दी जाती है? यदि हां, तो कितने बच्चे चर्मकला की शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा इसके निमित्त निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा अनुदान रूप में कितना रुपया दिया जाता है और 'रा मैटीरियल' से किन-किन वस्तुओं का निर्माण कराया जाता है? निर्मित वस्तुओं का उपयोग किस रूप में किया जाता है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

वर्ष 1983-84 में 9 छात्र तथा वर्ष 1984-85 में 8 छात्र चर्मकला की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा हैण्डीक्राफ्ट्स हेतु धनराशि आवंटित की जाती है। चर्मकला की शिक्षा के अतिरिक्त मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है।

"रा मैटेरियल" से पर्स, एयर बैग, ब्रीफकेस, चप्पल व चश्मा-कवर आदि का निर्माण कराया गया है।

निर्मित वस्तुओं के उपयोग के बिन्दु पर स्वैच्छिक संस्था के अभिलेखों में कोई विवरण उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

4–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई

†छापी नहीं गयी।

स्कूल बालागंज, लखनऊ में डब्लू0 सी0 एवं एल0 सी0 के अन्तर्गत सरकार द्वारा 'रा-मैटीरियल' के निमित्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि से निर्मित वस्तुओं का उपयोग अध्यक्ष द्वारा अपने निजी कार्यों में किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने मूल्य के रा मैटीरियल से निर्मित वस्तुओं का उपयोग अध्यक्ष द्वारा अपने निजी हित में किया गया है? स्टाक पंजिका के अनुसार क्या इसका मूल्य अध्यक्ष से वसूल किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब और कितना? क्या इस संबंध में श्री रेवती रमण सिंह एम0एल0ए0 का कोई ज्ञापन मंत्री/सचिव/निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 26-4-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित प्रमुख बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत संस्था के चर्मकला (लेदर क्राफ्ट तथा उड क्राफ्ट प्रशिक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार "रा मैटीरियल" से निर्मित वस्तुओं को संस्था के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा निजी उपयोग में लाया गया है ।

वर्ष 1983 में रुपये 435, वर्ष 1984 में रुपये 1264 तथा वर्ष 1985 में रुपये 454 का "रा मैटीरियल" खरीदा गया । स्टाक पंजिका या अन्य अभिलेखों में उक्त "रा मैटीरियल" से बनी वस्तुओं के उपयोग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय जिसका संचालन अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति (स्वैच्छिक संस्था) द्वारा किया जाता था के विरुद्ध अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं । अनियमितताओं के अलावा अव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शासन के शिक्षा विभाग द्वारा 9 अगस्त, 1985 के आदेश द्वारा उक्त विद्यालय का प्रबन्ध प्राधिकृत नियंत्रक श्री के0सी0 धीर, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को नियुक्त करके एक वर्ष के लिए सौंप दिया गया है । भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा बन्द किए गए विद्यालय को खोल कर बच्चों को भर्ती कर लिया गया है और शिक्षा सत्र सुचारु रूप से चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

5–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण के आदेश संख्या 1710-11/8-81/105 हसक/82, दिनांक 21-12-82 के क्रम में अध्यक्ष प्रगति आश्रम बालागांज, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 12-1-85 द्वारा प्रधानाचार्य तथा प्रभारी अधीक्षक के कार्य का विभाजन किया था ? यदि हां, तो प्रधानाचार्य श्री आर0 वी0 सिंह को डबल ड्यूटी भत्ता का भुगतान किस आधार पर किया गया ? क्या यह सही है कि निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण ने प्रधानाचार्य को 1-8-82 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 700-1600 स्वीकृत किया था और अध्यक्ष ने निदेशक के आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्हें 1-8-81 से उक्त वेतनमान स्वीकृत कर वेतन का भुगतान किया है ? यदि हां, तो इसका विधिक औचित्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

प्रधानाचार्य को डबल ड्यूटी भत्ते का भुगतान अनियमित है ।

जी नहीं । प्रधानाचार्य श्री आर0पी0 सिंह का वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान रु0 700-1600 में निदेशक द्वारा दिनांक 1-8-81 से ही स्वीकृत

किया गया तथा अध्यक्ष द्वारा भुगतान भी दिनांक 1-8-81 से ही किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विवेकानन्द बाल सदन, फिरोजाबाद, जिला आगरा के छात्रों की संख्या एवं श्रम जीवी महिला छात्रावास की महिलाओं की संख्या

6—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में विवेकानन्द बाल सदन जलेसर रोड व श्रम जीवी महिला छात्रावास में कितने छात्र और महिलायें हैं ? क्या यह सही है कि उक्त संस्था में एक भी छात्र नहीं है ? यदि हां, तो संस्था के खिलाफ कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री विवेकानन्द बाल सदन जलेसर रोड, फिरोजाबाद (आगरा) में 9 बच्चे रह रहे हैं तथा श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास में 8 महिलायें रह रही हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

7—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83-84, 84-85 में तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद के कितने गांवों में विद्युतीकरण किया गया ? क्या सभी प्रस्तावित गांवों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि बहुत से गांवों में विद्युतीकरण के नाम पर खम्भे गड़े हैं मगर उनमें तार नहीं लगाये गये ? यदि हां, तो कौन-कौन से ऐसे गांव हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1983-84 व 84-85 में तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के किसी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

जी नहीं । जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 83-84 में कोई ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित नहीं था । वर्ष 84-85 में 16 गांव प्रस्तावित थे परन्तु लक्ष्य केवल 5 गांवों का था । कुछ तकनीकी व्यवधानों तथा आवश्यक सामान व संसाधनों की कमी के कारण किसी भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हो सका ।

जी नहीं । केवल ग्राम अन्नावा बाजार ऐसा गांव है जहां खम्भे गड़े हैं और तार नहीं लगे हैं । यह ग्राम अभी विद्युतीकृत घोषित नहीं है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में दिये गये विद्युत कनेक्शन

8—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में गत दो वर्षों से कितने लोगों ने व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए अग्रिम धनराशि के साथ आवेदन किया है ? क्या उन लोगों को कनेक्शन दे दिये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों तथा कनेक्शन देने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में गत दो वर्षों में 3897 लोगों ने व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए अग्रिम धनराशि के साथ आवेदन किया । उसमें से 1881 को कनेक्शन दे दिये गये हैं तथा 425 व्यक्तियों ने औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हैं तथा इनके प्राक्कलन स्वीकृत कर मीटर लगाने की कार्यवाही की जा रही है । 1591 व्य-

वित्तयों को विभागीय वांछित औपचारिकतायें पूर्ण न किए जाने के अभाव में कनेक्शन नहीं दिए गये हैं। इस संबंध में राज्य विद्युत परिषद् स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बलिया जिले की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

9—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के किन-किन विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चालू है तथा जिले से किन-किन विकास खण्डों में विद्युतीकरण हेतु संस्तुति आयी है तथा कब तक वे विद्युतीकृत कर दिये जायेंगे?

श्री सुनील शास्त्री—

बलिया जनपद के पांच विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चालू है जो इस प्रकार हैं:—(1) नगरा (2) बेरूआरबारी (3) रेवती (4) बांसडीह तथा (5) बेलहरी। उक्त विकास खण्डों के अतिरिक्त निम्न 11 विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तैयार की जा रही है:—(1) मनियर (2) नवानगर (3) बैरिया (4) पन्दह (5) मुरली छपरा (6) सीयर (7) सोहांव (8) दुबहड़ (9) गड़वार (10) हनुमानगंज तथा (11) रसड़ा जिनको सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकृत किये जाने की सम्भावना है।

बाराबंकी जनपद के रेलवे स्टेशन सफेदाबाद को विद्युत आपूर्ति

10—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन को विद्युत आपूर्ति हेतु रेलवे विभाग ने अलग लाइन व फीडर के लिए लगभग 5 वर्ष पूर्व पैसा जमा किया था? क्या यह सही है कि रेलवे स्टेशन के लिए अलग फीडर का निर्णय नहीं किया गया है? यदि हां, तो रेलवे स्टेशन को किस फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री जय कृष्ण मूक बधिर विद्यालय, साकेत फैजाबाद को दिया गया अनुदान

11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जय कृष्ण मूक बधिर विद्यालय साकेत, फैजाबाद को राज्य सरकार की ओर से कितना अनुदान वर्ष 84-85 में दिया गया उक्त विद्यालय के छात्रावास में पूरे वर्ष औसतन कितने छात्र रहे तथा उनके भोजन पर कितना रुपया व्यय किया गया? क्या इस विद्यालय में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 1980 से 84 तक की जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में मुख्य मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस संस्था को इस विभाग द्वारा वर्ष 1984—85 में कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

वर्ष 1984—85 में छात्रावास नहीं चला, अतएव छात्रों की संख्या तथा भोजन पर व्यय की सूचना देने का प्रश्न ही नहीं है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षक ने वर्ष 1980—84 तक के लेखों की संपरीक्षा की आडिट रिपोर्ट में महत्वपूर्ण आपत्तियां अभिलेखों का रखरखाव ठीक न होना तथा व्यय सम्बन्धी बाउचर आदि प्रस्तुत न करना है। इस सम्बन्ध में संस्था को परिपालन हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

इटावा जनपद के दिलीपनगर की भूमि सम्बन्धी शासनादेश

12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व अनुभाग-2 के उप सचिव (श्री राम रतन श्रीवास्तव) ने मई 7, 1979 को जिला अधिकारी, इटावा को एक शासनादेश में यह अपेक्षा की थी कि ग्राम दिलीपनगर विकास खण्ड महेवा जिला इटावा में जो 500 बीघा जमीन ग्राम प्रधान द्वारा शासन की पुष्टि से ग्राम के विकास हेतु दी है वहां एक विकास नगर बनाया जाय? यदि हां, तो विकास नगर बनाने की दृष्टि से शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न में शासनादेश का पूर्ण विवरण उपलब्ध न होने के कारण इसकी तलाश नहीं की जा सकी।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत भूमि यमुना नदी की तलहटी में स्थित होने के कारण विकास नगर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

13—श्री बलराम यादव—

[प्रथम मंगलवार में अता0 प्र0 सं0-162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत विभाग सीतापुर के सेवा निवृत्त लाइनमैन, श्री भुल्लू की ग्रेच्युटी भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान

14—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सब स्टेशन विद्युत खण्ड हुसैनगंज (सीतापुर) में कार्यरत लाइन मैन श्री भुल्लू लाल जो कि अक्तूबर, 84 में रिटायर्ड हुए उन्हें अब तक भविष्य निधि कोष, पेंशन, ग्रेच्युटी का पैसा न मिलने का क्या कारण है? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री—

सम्बन्धित लाइनमैन का नाम श्री भुल्लू है, जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 को सेवा निवृत्त हुए थे। उन्हें दिनांक 2 जनवरी, 1985 को ग्रेच्युटी के रूप में देय धनराशि की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है। पेंशन प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु क्षेत्रीय उप मुख्य लेखाधिकारी (पारेषण) इलाहाबाद को निर्देशित कर दिया गया है। भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान हेतु दिनांक 15 जनवरी, 1986 को अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड, सीतापुर को अधिकृत कर दिया गया है तथा उसकी सूचना श्री भुल्लू को भी दे दी गई है।

15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 2-8-85 को ता0प्र0सं0-2 द्वारा उत्तरित]

सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेंडी के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सम्बन्धी पत्र

16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा सितम्बर, 85 के दूसरे पखवारे में उन्हें (बिजली मंत्री) को कोई इस आशय का मांग पत्र मिला कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेंडी का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए दोबारा सर्वेक्षण कराया जाय? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस बारे में सरकार तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। इन विकास खण्डों की चालू योजनायें समाप्ति पर हैं, जिनके समाप्त होने पर शीघ्र ही नयी योजनायें बनायी जायेंगी।

हरदुआगंज, ताप विद्युत परियोजना के अवर अभियन्ता, श्री शिव चरन सिंह यादव के विरुद्ध आरोपों की जांच

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर अलीगढ़ में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री शिव चरन सिंह यादव के विरुद्ध उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ द्वारा लगाए गए अनियमितता व भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों की जांच श्री आर0 के0 रे, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) द्वारा की जा रही है तथा कुछ अभिलेख भी सील किए गए हैं? यदि हां, तो क्या श्री शिव चरन सिंह यादव को कोई चार्जशीट दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों तथा विभागीय जांच की कार्यवाही कितनी अवधि में पूरी कर ली जायेगी?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, शिकायत एवं अनियमितताओं की जांच अधिशासी अभियन्ता (सिविल) द्वारा की जा रही है।

जी नहीं।

जी नहीं।

विभागीय जांच एवं कार्यवाही लगभग छः माह में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का मांग-पत्र, आन्दोलन एवं वार्ता

18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ने गत दिनांक 20-7-84, 30-4-85 व 14-6-85 को उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों/आन्दोलन नोटिस पर संघ प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु आमंत्रित किया तथा वार्ता की? यदि हां, तो विद्युत मजदूरों की किन-किन मांगों/समस्याओं पर वार्ता हुई तथा क्या-क्या निर्णय लिए गए? क्या उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ने उक्त तिथियों में उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ के साथ हुई वार्ताओं का विवरण जारी कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

संघ ने दिनांक 20-7-84 को हरदुआगंज परियोजना के मस्टर-रोल/लेबर सप्लाई के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी। इस मांग पर संघ के प्रतिनिधियों से विद्युत परिषद् के अतिरिक्त सचिव द्वारा विचार-विमर्श किया गया था। उक्त वार्ता के समय संघ को इंगित कर दिया गया था कि इस मांग पर बिना गहनता से विस्तृत अध्ययन किये राज्य विद्युत परिषद् के लिए निर्णय लेना सम्भव नहीं होगा। इसी कारण राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिनांक 20-7-84 को हुई वार्ता का कार्यवृत्त नहीं जारी किया गया।

संघ के मांग पत्र दिनांक 3-4-85 में उल्लिखित मांगों पर दिनांक 30-4-85 एवं 14-6-85 को विद्युत परिषद् के अतिरिक्त सचिव एवं संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई थी। वार्ता का कार्यवृत्त संलग्न है, †जिसकी प्रतिलिपि संघ के महामंत्री को भी प्रेषित की गई थी। अतः किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जनपद के ग्राम तिलोकापुर के श्री मनोहर लाल की विद्युत दुर्घटना से मृत्यु

19—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्न-कर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0

† (छापी नहीं गयी)

110 के उत्तर के संबंध में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संदर्भित मामले में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड सीतापुर की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये और अनुग्रह धनराशि कब तथा कितनी दी गई है? यदि रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है तो कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सीतापुर ने अपनी रिपोर्ट में दुर्घटना का घटित होना बताया है ।

परिषदाज्ञा संख्या 597–डब्लू सी/ग्रविप (औ0 सं0-19)/86-13 (6) एच/84, दिनांक 31 जनवरी, 1986 द्वारा मृतक श्री मनोहर लाल के वैध आश्रितों को भुगतान हेतु रु0 5,000/ (पांच हजार) की अनुग्रह धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन की शिक्षा योजना में कार्यरत शिक्षा प्रशिक्षकों के स्थायीकरण की मांग

20–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी यूनियन में कार्यरत सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों को ही आज तक स्थायी क्यों नहीं किया गया जब कि अन्य कर्मचारी 3 वर्ष की सेवा के उपरान्त ही स्थायी कर दिए जाते हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन द्वारा चलायी जा रही शिक्षा योजना एक अस्थायी योजना है जिसका व्यय अनिश्चित राजकीय अनुदान व संस्थागत चन्दा प्राप्त करके किया जाता है । अतः सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों को स्थायी किया जाना सम्भव नहीं है।

जिला सहकारी बैंक लि0, लखीमपुर खीरी के सचिव, श्री पी0 एन0 सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच

21–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, जिला सहकारी बैंक लि0 लखीमपुर खीरी के झांसी, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ के कार्यकाल में की गयी अनियमितता तथा गबन के विषय में मंत्री यू0 पी0 बैंक इम्प्लाइज यूनियन लखीमपुर खीरी यूनिट का एक शिकायती पत्र दि0 18-6-85 प्राप्त हुआ है तथा क्या श्री सिंह पर शिकायती पत्र में वर्णित आरोप सिद्ध हो चुके हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप सिद्ध होने पर सहकारी अधिनियम की धारा 68 एवं 38 के अधीन क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरनगर के मामले में क्षेत्रीय सहायक निबन्धक मेरठ की प्रारम्भिक जांच के आधार पर उप निबन्धक, मेरठ द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68(1) के अन्तर्गत जांच के आदेश किये गये थे। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उप निबन्धक, मेरठ ने श्री पी0 एन0 सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

झांसी बैंक की आडिट रिपोर्ट के आधार पर उप-निबन्धक, झांसी ने उक्त अधिनियम की धारा 68(1) के अन्तर्गत जांच के आदेश दिये थे। जांच अधिकारी, सहायक निबन्धक, झांसी की रिपोर्ट के आधार पर उप-निबन्धक,

झांसी द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध धारा 68 की कार्यवाही कराने का औचित्य नहीं पाया गया।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ तथा लखीमपुर के सम्बन्ध में श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी जिसे रिवोक कर दिया गया परन्तु इस पूरे प्रकरण पर अब पुनः विचार किया जा रहा है।

प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों के सचिवों को महंगाई भत्ता दिये जाने की मांग

22—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा0 सहकारी ऋण समितियों में कार्यरत सचिवों को महंगाई भत्ता न देने के क्या कारण हैं? क्या महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था की जायेगी?

श्री अरुण कुमार सिंह—

समितियों की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सचिवों को महंगाई भत्ता देना स्वीकार नहीं किया गया।

वर्तमान समय में महंगाई भत्ता देना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन के सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों को अनुमन्य सुविधायें

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी यूनियन द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली समस्त सुविधायें क्या सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों को भी मिल रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन द्वारा सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की भांति केवल बोनस तथा स्थायीकरण की सुविधा नहीं दी जा रही है, क्योंकि इसके वित्तीय संसाधन सीमित हैं।

24—26—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[प्रथम मंगलवार में अता0 प्र0 सं0-159, 160 व 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों के सचिवों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग एवं उनका यात्रा भत्ता

27—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि न्याय पंचायत स्तरीय प्रा0 सहकारी ऋण समितियों के सचिवों की सेवायें सरकारी किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं, क्योंकि प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों के सचिव, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा—122-क के अन्तर्गत गठित की गयी उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा के सदस्य होते हैं तथा इनकी सेवाओं को सरकारी सेवा घोषित किया जाना सहकारी सिद्धान्तों तथा भावनाओं के अनुरूप न होगा।

28—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों के सचिवों को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने का यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता, माइलेज, चार्जेज आदि अन्य कर्मचारियों की भांति दिया जाना अनुमन्य है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सचिवों को मैदानी क्षेत्र में रुपया 25/- तथा पर्वतीय क्षेत्र में 50/- रुपया प्रतिमाह नियत यात्रा भत्ता अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमण के लिये अनुमन्य है। उन्हें ट्रेनिंग में जाने अथवा जिले के मुख्यालय पर किसी मीटिंग में भाग लेने हेतु यात्रा करने पर द्वितीय श्रेणी रेल का किराया अथवा बस का किराया अनुमन्य है।

समितियों की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सचिवों को अन्य कर्मचारियों की भांति यात्रा भत्ता, माइलेज चार्जेज आदि दिया जाना संभव नहीं है।

प्राइमरी सहकारी समितियों के अभिलेखों के लिये अभिलेखागार बनाये जाने एवं शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की मांग

29–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण रिकार्ड के रखरखाव हेतु जिला स्तर पर सहकारी अभिलेखागार बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, क्योंकि सहकारी समितियों के अभिलेखों की आवश्यकता समय-समय पर समिति के कार्यालय में ही पड़ती रहती है।

30–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियों को जो कि ग्रामीण क्षेत्र में लाखों का लेन देन करती है और उनकी स्थिति मिनी बैंक के रूप में है, की सुरक्षा व्यवस्था हेतु शस्त्र लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, क्योंकि आवश्यकता होने पर समिति के सचिव द्वारा शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी से नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है।

प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के विवाद हेतु सहकारी न्यायालय के गठन की मांग

31–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शासन बताने की कृपा करेगा कि सहकारी संस्थाओं के विवादों के निस्तारण हेतु विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को आर्बिट्रेटर (मध्यस्थ निर्णायक) नियुक्त करने की परम्परा समाप्त कर निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से सहकारी न्यायालय गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में कोई दोष प्रकाश में नहीं आया है ।

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत गोदामों का निर्माण

32–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गोदाम एवं सचिव निवास के निर्माण पर जो करोड़ों रुपया व्यय किया गया है और उन संस्थाओं के ये भवन असुरक्षित, अनुपयोगी एवं खस्ता हालत में हैं, की उपयोगिता तथा उक्त ऋण वापसी के साधन के संबंध में क्या नीति अपनाई गयी है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत बनाए गए गोदाम खस्ता हालत में एवं असुरक्षित नहीं हैं ।

जहां तक गोदामों की उपयोगिता का संबंध है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण गोदामों के निर्माण के पश्चात् सहकारी समितियों की सदस्यता तथा उनके व्यवसाय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। गोदामों के माध्यम से कृषकों, विशेषकर निर्बल वर्ग के लोगों, को ऋण, कृषि निवेश तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति एक ही स्थान से की जा रही है।

गोदामों के निर्माण हेतु समितियों द्वारा लिए गए ऋण की किस्तों की अदायगी के अनुश्रवण हेतु परियोजना स्तर पर एक वसूली कोष्ठक का गठन किया गया है, जिसके फलस्वरूप वसूली की प्रगति संतोषजनक है।

लखनऊ राजकीय महिला संरक्षण गृह की संवासिनियों की मांग

33—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, 85 के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ स्थित राजकीय महिला संरक्षण गृह की संवासिनियों ने अपनी मांगों तथा गृह में व्याप्त कुप्रबन्ध तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन किया तथा जुलूस निकाला ? यदि हां, तो मांगें तथा वस्तुस्थिति क्या थी तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

संवासिनियों ने जो मांगें/शिकायतें मौखिक रूप से मैजिस्ट्रेट के सम्मुख रखी उन पर कृत कार्यवाही निम्न प्रकार है:—

1—आजाद करो या सिन्दूर भरो

इस संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट (नगर) के आदेश दिनांक 4-6-85 द्वारा 6 संवासिनियों को उनके घर के पते पर भेजने एवं 10 संवासिनियों को दूसरी संस्था में स्थानान्तरित करने के आदेश किए गए। दिनांक 11 जनवरी, 86 को राजकीय संरक्षण गृह की संवासिनियों को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

सिन्दूर भरने के संबंध में संवासिनियों को पूर्व में अवगत कराया गया कि शादी के संबंध में गठित समिति की बैठक मंडलीय उपनिदेशक की अध्यक्षता में हो चुकी है जिसमें 16 संवासिनियों के विवाह हेतु वरों का चयन किया गया है, जिनमें से 11 संवासिनियां पलायित कर चुकी हैं। शेष अन्य संवासिनियों के विवाह के लिए वरों के चारित्रिक एवं अन्य आवश्यक तथ्यों की जांच पुलिस द्वारा नियमानुसार की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही शादी कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2—खाद्य सामग्री में वृद्धि करना—

संवासिनियों की मांग के अनुसार खाद्य सामग्री में वृद्धि कर दी गई है।

3—साड़ियों के स्थान पर सलवार कुर्ते की मांग—

संवासिनियों की रुचि के अनुसार सलवार कुर्ते एवं साड़ियां तथा बच्चों के लिए फ्राक चप्पलें उपलब्ध करा दी गई हैं।

4—नवीन क्रय किए गए बक्सों का वितरण—

नवीन क्रय किए गए 50 बक्से एवं ताले भण्डार से दिनांक 27-5-85 को संवासिनियों को वितरित किए गए।

5—अच्छे किस्म के मंजन तथा तेल साबुन की मांग—

संवासिनियों को अच्छे किस्म के मंजन तेल तथा साबुन उनकी मांग के अनुसार बाजार से मंगवाकर दिनांक 27-5-85 को उपलब्ध करा दिए गए।

संवासिनियों में व्याप्त असंतोष के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई :—

1—श्रीमती कुन्ती रानी चौधरी तत्कालीन अधीक्षिका को दिनांक 3-8-1985 को निलम्बित कर दिया गया ।

2—नर्स-कम-कम्पाउन्डर कु0 कृष्णावती का स्थानान्तरण दिनांक 30-5-1985 को राजकीय अनुमोदित विद्यालय कानपुर को कर दिया गया ।

3—श्री अशोक कुमार चौकीदार का स्थानान्तरण शिशु सदन, सीतापुर को दिनांक 3-7-85 को कर दिया गया ।

4—श्री कन्हैया लाल, चौकीदार की सेवायें दिनांक 8-7-85 को समाप्त कर दी गई ।

5—श्रीमती कमला अग्रवाल, स्टोर कीपर को दिनांक 18-7-85 को निलम्बित कर दिया गया ।

प्रदेश में विकलांगों तथा निराश्रित विधवाओं को अनुमन्य सहायता

34—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकलांगों तथा निराश्रित विधवाओं को दी जाने वाली धनराशि इतनी कम है कि उससे उनका मासिक खर्च नहीं चल पाता ? यदि हां, तो क्या सरकार सहायता की दर दुगुनी करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विकलांगों तथा निराश्रित विधवाओं को सहायता के रूप में रु0 50 प्रतिमास की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है । शासन की वित्तीय स्थिति व विकास की अन्य योजनाओं की महत्ता को देखते हुए सहायता की दर दुगुनी करना सम्भव नहीं है ।

समाज कल्याण विभाग की व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतनमान ।

35—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को बिना किसी मंहगाई भत्ते अथवा कोई अन्य राहत के प्रधानाध्यापक को रु0 120—300, वरिष्ठ अध्यापक को रु0 85-150, कनिष्ठ अध्यापक को रु0 60-100, क्लर्क रु0 80-130 या रु0 60-100, चपरासी/चौकीदार/सफाई मजदूर रु0 27-1/2 31-1-40 वेतनमान मिलता है, जबकि उनकी योग्यता को देखते हुए ये वेतनमान बहुत कम हैं ? क्या सरकार उनको बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ये वेतनमान उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0 कानपुर द्वारा 1980 में निर्धारित किये गए थे और इसी आधार पर इन कर्मचारियों को वेतनमान दिया जा रहा है । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान 27-32 है न कि जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है सम्प्रति वेतनमान पुनरीक्षण विचाराधीन है ।

उत्तर काशी जिले के खाई क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग

36—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि संस्तुति भारत सरकार को कब भेजी गयी? क्या अब तक भारत सर-

कार से कोई निर्णय प्राप्त हुआ है । यदि नहीं, तो निर्णय शीघ्र कराने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

संस्तुति भारत सरकार को 22 जून, 1984 को भेजी गयी ।

जी नहीं ।

भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है ।

लखीमपुर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड के विरुद्ध शिकायती-पत्र

37–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण खण्ड) लखीमपुर के विरुद्ध वर्ष 83-84 में शासन तथा प्रमुख अभियंता (बिजली) को कितने शिकायती-पत्र मिले ? प्रमुख शिकायतें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुनील शास्त्री –

वर्ष 1983-84 में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित एक परिवाद दिनांक 1-9-1983 इलेक्ट्रिक कान्ट्रेक्टर्स एण्ड मर्चेन्ट्स एसोशियशन लखीमपुर से अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम/द्वितीय, लखीमपुर के विरुद्ध प्राप्त हुआ था । शिकायती पत्र में मुख्य शिकायतें निम्नवत थीं :--

(1) अवर अभियन्ताओं द्वारा सही इस्टीमेट न देना ।

(1) एक मकान पर विद्युत भुगतान बकाया होने के बावजूद भी अन्य नाम से उसी मकान पर नया विद्युत कनेक्शन देना।

(3) कार्य ठेकेदारों को न देकर बाजार से चार-पांच गुनी कीमत पर कराना ।

(4) अधिशासी अभियन्ता श्री गिरवर सिंह, सहायक अभियन्ता श्री आर0के0 वैश्य तथा श्री जफर अब्बास, लिपिक द्वारा पैसा लेकर उपभोक्ताओं के देयकों को कम कर देना ।

(5) अधिशासी अभियन्ता श्री एम0 रोहिदास द्वारा एक ही दिन में रु0 72, 000/-की टी0 आई0 विभिन्न अवर अभियन्ताओं के नाम खोल कर, पैसा अपनी लड़की की शादी में व्यय करना ।

(6) ठेकेदारों को केवल कागज पर कार्य दिया जाता है, परन्तु सामान की आपूर्ति नहीं करायी जाती ।

परिवाद में निहित बिन्दुओं के संबंध में परिषद् द्वारा प्रारम्भिक जांच में कोई विशिष्ट मामला नहीं पाया गया ।

बाराबंकी जिले के ग्राम धोखरिया की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

38–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम धोखरिया परगना रामनगर, तहसील-फतेहपुर जिला-बाराबंकी के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के कारण उसके विरुद्ध जमीन से बेदखली का मुकदमा कायम हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमित कार्य के कारण ग्राम प्रधान को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

जी नहीं ।

ग्राम प्रधान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा-95- के अधीन कार्यवाही की जा रही है ।

तहसील मुख्यालय, सादाबाद, छाता व मांट में निर्मित एस0 डी0 ओ0 काम्पलेक्स (भवन)

39—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील मुख्यालय सादाबाद, छाता व मांट में एस0 डी0 ओ0 काम्पलेक्स निर्मित हो चुका है और क्या यह सही है कि अभी तक इन इमारतों का उपयोग नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इमारत क्षतिग्रस्त होती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । इन भवनों का उपयोग विद्युत फिटिंग, वाटर सप्लाई फिटिंग तथा अन्य फिनिशिंग कार्य के पूर्ण न होने के कारण नहीं किया जा रहा है । यह भवन अभी निर्माण इकाई की देखरेख में हैं । इस कारण इनके क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

40—श्री सरदार सिंह—

क्या शासन अविलम्ब संबंधित अधिकारियों को तहसील मुख्यालयों पर आवास हेतु भेजने का कष्ट करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

शासनादेश सं0—6354 / दो-6-12 (4)/75, दिनांक 28 अगस्त, 1975 में तहसील मुख्यालय पर ही आवास हेतु आदेश निर्गत किए गए हैं । तद्नुसार जनपद के समस्त परगनाधिकारी तहसील मुख्यालयों पर ही रहकर समस्त कार्य करते हैं ।

41—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दूसरे मंगलवार में अता0प्र0सं0—177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के सचिवों की पदोन्नति के अवसर

42—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्याय पंचायत स्तरीय प्रा0 सहकारी ऋण समितियों के सचिवों के पदोन्नति के अवसर क्या-क्या सृजित किए गए हैं और अब तक कितने सचिवों की पदोन्नति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के सचिवों की पदोन्नति के निम्न अवसर सृजित किए गए हैं :—

(1) सहकारी पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर 30 प्रतिशत पदोन्नति ।

(2) प्रवर्ग एक व दो की कृषक सेवा सहकारी समितियों के 80 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति ।

अभी तक किसी भी सचिव की पदोन्नति नहीं की गई है ।

उक्त (1) में पदोन्नति न होने का कारण पर्यवेक्षकों की संख्या में कमी तथा (2) के संबंध में नियमावली के विचाराधीन होने के कारण सचिवों की पदोन्नति नहीं हो सकी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के विभिन्न कर्मचारियों का कार्य एवं उत्तरदायित्व

43—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक, अनुभाग अधिकारी, दैनिक श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक/पाण्डुलिपिक, वरिष्ठ पाण्डुलिपिक, मुख्य सहायक पदनाम के कर्मचारियों के क्या-क्या कार्य व उत्तरदायित्व परिषद् द्वारा निर्धारित हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक, अनुभाग अधिकारी, दैनिक श्रेणी लिपिक,

कनिष्ठ पाण्डु लिपिक/पाण्डु लिपिक, वरिष्ठ पाण्डु लिपिक, मुख्य सहायक के पदों के कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन के सचिवालय की अनुरूपता में तथा अधीनस्थ कार्यालय राज्य शासन के अधीनस्थ कार्यालयों की अनुरूपता में गठित हैं एवं पदों का सृजन भी उन्हीं पदनामों से किया गया है तथा परिषद् के गठन के समय से ही इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व भी शासनाधीन उपरोक्त पदों के समान हैं ।

44—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत चीफ केमिस्ट, केमिस्ट ग्रेड-प्रथम, केमिस्ट ग्रेड-द्वितीय, लैब सहायक पदधारकों के क्या-क्या कार्य व उत्तरदायित्व परिषद् द्वारा निर्धारित हैं?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत चीफ केमिस्ट, केमिस्ट ग्रेड-प्रथम, केमिस्ट ग्रेड-द्वितीय एवं लैब सहायक पदधारकों के निम्नलिखित कार्य एवं उत्तरदायित्व हैं :—

1—मुख्य रसायनज्ञ के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

(1) विद्युत गृह के रसायन अनुभाग का वह सम्पूर्ण प्रभारी होता है एवं विद्युत गृह से सम्बन्धित जल शुद्धीकरण संयंत्र एवं अन्य रसायनिक डोजिंग के उपकरणों तथा रसायनशाला के समुचित संचालन एवं रख-रखाव के प्रति उत्तरदायी होता है।

(2) वांछित स्तर के पोषण जल की सम्पूर्ति सुनिश्चित करना ।

(3) विद्युत गृह में उपयोग में लाये जाने वाले जल, वाष्प, कोयला, राख, गैस तथा तेल की गुणवत्ता पर लगातार नियंत्रण रखना।

(4) विद्युत गृह में कार्यरत समस्त रसायन कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना ।

(5) जल शुद्धीकरण संयंत्र एवं प्रयोगशाला हेतु उपार्जित किये जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना ।

(6) विद्युत गृह की रसायनशाला के लिए उपयुक्त कर्मचारियों का चुनाव तथा प्रयोगशाला को उपयुक्त उपकरणों से सज्जित करने हेतु उत्तरदायी होना ।

(7) रसायन अनुभाग की कार्य पद्धति को इस प्रकार संगठित तथा निर्देशित करना जिससे कि विद्युत गृह में मितव्ययिता के साथ सर्वोच्च गुणवत्ता के आधार पर कार्य हो सके ।

(8) परीक्षण परिणामों में से कम से कम दो प्रतिशत की स्वयं जांच करना ।

(9) नैत्यिक परीक्षण के समय दो विभिन्न माध्यमों द्वारा किए गए परीक्षणों में प्राप्त अलग-अलग परिणामों के कारणों की जांच करना ।

(10) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर सौंपे गए अन्य उचित कार्यों को सम्पादित करना ।

2—रसायनज्ञ प्रथम श्रेणी के कार्य एवं उत्तरदायित्व—

(1) तापीय विद्युत गृहों के जल शुद्धीकरण संयंत्र का सम्पूर्ण प्रभारी होना ।

(2) अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कर्मचारियों का नियंत्रण करना ।

(3) परीक्षण परिणामों में से कम से कम 20 प्रतिशत की स्वयं जांच करना एवं अपने प्रभारी को उसकी सीधी सूचना देना ।

(4) अपने अधीनस्थ संयंत्र में हुई किसी असाधारण परिचालन प्रक्रिया के प्रति उत्तरदायी होना ।

(5) विद्युत गृहों में अत्याधुनिक परिष्कृत उपकरणों द्वारा परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु विशेष रूप से उत्तरदायी होना ।

(6) ब्यालरस्केल्स तथा टरबाइन ब्लेड्स डिपोजिट के परीक्षण द्वारा विभिन्न संयंत्रों में घटित किसी त्रुटि के कारणों की छानबीन करना एवं दैनिक तथा सामयिक दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम तैयार करना ।

(7) डिजाइन डेटा तथा कार्य की परिस्थितियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुभव के आधार पर विद्युत गृह के लिए आदर्श परिमाणों की स्थापना करना।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त रसायनशाला के संबंधित उन सभी कार्यों को निष्पादित करना जो रसायनज्ञ द्वितीय श्रेणी द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं ।

(9) समय-समय पर सौंपे गए अन्य उचित कार्यों को सम्पादित करना।

3—रसायनज्ञ, द्वितीय श्रेणी के कार्य व उत्तरदायित्व :—

(1) जल शुद्धीकरण संयंत्र तथा अन्य सहायक संयंत्रों का समुचित रूप से संचालन करना ।

(2) संयंत्र की कुशलता का परीक्षण एवं उसके संचालन के दौरान सामयिक नैत्यिक परीक्षणों को सम्पादित करना ।

(3) जल शुद्धीकरण संयंत्र के परीक्षण एवं संचालन हेतु भारी एवं हल्के रसायनों की क्षमता का परीक्षण तथा रसायनों को तैयार करना ।

(4) जल शुद्धीकरण संयंत्र को पुनः अस्तित्व में लाना ।

(5) जल शुद्धीकरण संयंत्र में पाली का प्रभारी होना एवं अधीनस्थ कार्यरत सभी कनिष्ठ कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण रखना ।

(6) पाली में परिचालन के प्रभारी अभियन्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना ।

(7) कोयला, गैस, राख, तेल, जल एवं भाप का नैत्यिक परीक्षण करना तथा स्तरीय री-एजेन्ट को तैयार करना ।

(8) रसायनशाला के संयंत्रों का नैत्यिक एवं ठीक-ठाक रख-रखाव करना ।

(9) महत्वपूर्ण तथा सम्बद्ध आंकड़ों का दैनिक लेखा-जोखा रखना तथा उनके आधार पर सर्वोच्च गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु सुझाव देना ।

(10) समय-समय पर सौंपे गए अन्य उचित कार्यों को सम्पादित करना ।

4—प्रयोगशाला सहायक के कार्य एवं उत्तरदायित्व :—

(1) जल, वाष्प, गैस, भाप के नैत्यिक परीक्षण का सम्पादन करना तथा कोयला और राख का विश्लेषण करना ।

(2) परिष्कृत उपकरणों की सहायता से कोयला, राख, तेल का विश्लेषण और विशेष परीक्षण को सम्पादित कराने में रसायनज्ञ की सहायता करना ।

(3) रसायनिक संयंत्र तथा प्रयोगशाला के रसायनों और जल-शुद्धीकरण संयंत्र का सम्पूर्ण लेखा-जोखा रखना ।

(4) कोयला, राख, जल तथा तेल आदि के नमूनों की तैयारी करना तथा संग्रह का पर्यवेक्षण करना ।

(5) "ट्राई सोडियम" फासफेट हाइ-ड्रोजन के घोल आदि की डोजिंग तथा डिकार्बोनाइजेशन के लिए चूना व एलम घोल का समुचित पोषण करना ।

(6) अन्य समुचित कार्य जो समय-समय पर उन्हें सौंपे जायें ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के जूनियर मीटर टेस्टर एवं मीटर टेस्टर, रिपेयरर की शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता

45—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत जूनियर मीटर टेस्टर, जे0 एम0 टी0 एण्ड आर0 तथा मीटर टेस्टर एण्ड रिपेयरर पदों पर नियुक्ति हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित शैक्षिक व तकनीकी योग्यता क्या है तथा इन पदधारकों की अलग-अलग क्या-क्या जिम्मेदारियां/कार्य निर्धारित हैं?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में जूनियर मीटर टेस्टर तथा मीटर टेस्टर एण्ड रिपेयरर के कोई पदनाम नहीं हैं । केवल जे0 एम0 टी0 एण्ड आर0 के पद हैं, जिन पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक व तकनीकी योग्यता हाईस्कूल के साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आई0 टी0 आई0 परीक्षा उत्तीर्ण है । जे0 एम0 टी0 एण्ड आर0 के कर्तव्य निम्नलिखित हैं :—

(अ) विद्युत मीटरों, ट्राइवेक्टर मीटरों, उपकरण, रिलेज, कण्ट्रोल उपकरणों, सी0 टी0 तथा पी0 टी0 आदि का परीक्षण, केलीब्रेशन, मरम्मत, अधिष्ठापन का कार्य ।

(ब) उपभोक्ताओं के परिसर पर चेक मीटर लगाना तथा उसके परिणाम से अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराना ।

(स) उपकेन्द्रों/विद्युत गृहों के स्विच-गेयरों, ट्रान्सफारमरों, रिलेज तथा अन्य विद्युत उपकरणों के परीक्षण में सहायता करना ।

(द) उपभोक्ताओं के परिसर पर लगे हुए मीटरों की हालत तथा उसकी सील आदि की जांच करना तथा जांच आख्या से अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराना ।

(य) अन्य उचित कार्य जो उसे सौंपा गया हो ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के पंजीकृत श्रमिक संगठन

46—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कितने पंजीकृत श्रमिक संगठन कार्यरत हैं तथा इनके क्या-क्या नाम हैं? प्रत्येक यूनियन की सदस्य संख्या क्या है तथा परिषद् ने किन-किन श्रमिक संघ को मान्यता प्रदान की है तथा मान्यता प्रदान करने का आधार क्या है?

श्री सुनील शास्त्री—

51 श्रमिक संगठन।

विवरण संलग्न† है।

यूनियनों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सूचना विद्युत परिषद् को नहीं दी जाती है।

विवरण संलग्न† है।

ट्रेड यूनियन के अधिनियम के अन्तर्गत यूनियनों को मान्यता प्रदान करने का कोई प्राविधान नहीं है। जो यूनियन विद्युत परिषद् के कामकाज में सहयोग प्रदान करती हैं तथा अच्छा आचरण दिखाती हैं, उनको ही राज्य विद्युत परिषद मान्यता देने पर विचार करती है।

†छापी नहीं गयी

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

47—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 85 तक कितने सेवा निवृत्त/मृतक परिषदीय कर्मचारियों के पेंशन/ग्रेच्युटी/जी0 पी0 एफ0 के मामलों का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है तथा विचाराधीन है? इन सेवा निवृत्त कर्मचारियों तथा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अंतिम भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री—

पेंशन तथा ग्रेच्युटी से सम्बन्धित सितम्बर, 1985 तक कुल 536 प्रकरण केन्द्रीय (लेखा) कार्यालय स्तर पर एवं 519 प्रकरण क्षेत्रीय (लेखा) स्तर पर अन्तिम निस्तारण हेतु विचाराधीन थे। इनमें से 167 प्रकरणों का अन्तिम निस्तारण केन्द्रीय स्तर पर किया जा चुका है, क्षेत्रीय स्तर पर 519 लम्बित प्रकरणों में से 276 प्रकरण केसा, कानपुर से सम्बन्धित हैं, जिनमें से अधिकांश प्रकरण ऐसे हैं जिनमें ग्रेच्युटी एवं सी0 पी0 एफ0 पहले ही दिया जा चुका है, किन्तु परिषदादेश संख्या 5021, दिनांक 17-9-84 के आधार पर पेंशन भी अनुमन्य कर दी गयी है, अतः यह केसेज पुनरोद्धारित किये गये हैं।

केन्द्रीय स्तर पर सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अन्तिम निस्तारण हेतु 510 प्रकरण हैं। इनमें से अधिकांश प्रकरण निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने से या खाता संख्या का उल्लेख न होने के कारण लम्बित हैं। कुछ प्रकरण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध न होने के कारण अनिर्णीत हैं। उपरोक्त में से 60 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। उपरोक्त संख्याओं में वही प्रकरण सम्मिलित हैं जो लेखा विभाग को भेजे गये हैं।

पेंशन तथा भविष्य निधि से सम्बन्धित अवशेष सभी प्रकरणों के शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर के अन्तर्गत पेट्रोल मैन व ड्यूटीमैन का कार्य और श्रीमती लक्ष्मी देवी लिपिक को कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के पद पर पदोन्नति

48—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर के अधीन कार्यरत पेट्रोलमैन, ड्यूटीमैन पद धारकों से लाइनमैन का कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं तथा इन्हें लाइनमैन का पदनाम तथा वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा।

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

49—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मीदेवी, दैनिक श्रेणी लिपिक की कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के पद पर पदोन्नति का मामला कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर के अन्तर्गत कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के केवल 3 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से कोई भी पद रिक्त नहीं है। कनिष्ठ पाण्डुलिपिक का कोई पद मण्डल कार्यालय में रिक्त

होने पर श्रीमती लक्ष्मी देवी की पदोन्नति के प्रश्न पर नियमानुसार विचार करना सम्भव होगा।

प्रदेश में दैवी आपदाओं पर दी जाने वाली अहेतुक सहायता में वृद्धि किये जाने की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान महंगाई तथा गरीबी को ध्यान में रखते हुए दैनिक आपदा के समय जनता को दी जाने वाली अहेतुक सहायता तथा गृह अनुदान की अधिकतम प्रति व्यक्ति राशि में 3 गुना वृद्धि न करने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

संसाधनों का अभाव अहेतुक एवं गृह अनुदान सहायता की दरें तीन गुना न बढ़ाने के कारण है।

प्रदेश में नायब तहसीलदारों के रिक्त पद

51–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि इस समय प्रदेश में नायब तहसीलदारों के 1000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं परन्तु राजस्व परिषद् एवं राजस्व विभाग के विवाद के कारण भरे नहीं जा रहे हैं? यदि हां, तो पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं। राजस्व विभाग एवं राजस्व परिषद् में इस प्रकरण को लेकर कोई विवाद नहीं है। नियमित रूप से पदों को भरने के लिये लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराया जा रहा है।

52–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[प्रतिनिहित विधायिन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

फैजाबाद की तहसील बीकापुर में बाढ़ आपदा अहेतुक सहायता के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

53–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ आपदा अहेतुक सहायता हेतु वर्ष 80-81 में जो धनराशि तहसील बीकापुर जि0 फैजाबाद में दी गई थी उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच राजस्व परिषद् द्वारा अपने उपायुक्त (श्री जे0 डी0 पुरी) द्वारा नवम्बर, 81 में कराई गई? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त जांच के बाद राजस्व परिषद् द्वारा अपने लेखा दल से विशेष जांच भी वर्ष 84-85 में कराई गई? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रारम्भिक जांच अधिकारी श्री जे0 डी0 पुरी, तत्कालीन सहायक प्रतिकर आयुक्त राजस्व परिषद् की जांच आख्या दिनांक 14-8-81 के अनुसार 2 तहसीलदारों, 6 नायब तहसीलदारों तथा 6 पर्यवेक्षक कानूनगोओं को राहत वितरण में अनियमितता बरतने एवं धनराशि के दुरुपयोग के लिये प्रथम-दृष्टया दोषी पाया गया था। एक तहसीलदार (श्री रमा शंकर शुक्ल) को निलम्बित करके उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई, परन्तु विभागीय कार्यवाही के जांच अधिकारी की आख्या के आधार पर मई, 1984 में निलम्बन समाप्त करके फिर से विभागीय कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई जो अभी अन्तिम नहीं हुई है।

उक्त के आधार पर अन्य प्रथम-दृष्टया दोषी पाये गये उल्लिखित तहसीलदार/नायब तहसीलदारों/पर्यवेक्षक कानूनगोओं के

विरुद्ध आरोपपत्र तैयार करने को जिलाधिकारी फैजाबाद को कहा गया। उक्त अवधि के लेखों की विशेष जांच सहायक लेखा अधिकारी, राजस्व परिषद्, फैजाबाद मंडल ने की है। यह जांच भी दिनांक 6-11-85 को जिले को प्राप्त करा दी गयी है। इस आधार पर आरोप पत्रों को राजस्व परिषद् व जिला स्तर पर तैयार किया जा रहा है।

मुरादाबाद जिले के ग्राम रहीमाबाद की ग्राम समाज की भूमि का श्री अतर सिंह व श्री दर्शन सिंह के नाम से किया गया पट्टा

54—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सलेमपुर तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद के मौजा रहीमाबाद में सन् 1958 में प्रधान, ग्राम सभा द्वारा लगभग 200 बीघा भूमि के दो पट्टे अतर सिंह व दर्शन सिंह के नामों पर किये गये थे जो अनियमित होने के कारण तत्कालीन एस0 डी0 ओ0 अमरोहा ने दिनांक 19-3-60 को निरस्त कर दिये थे परन्तु इस भूमि पर अब तक उक्त पट्टेदारों का नाम तहसील रिकार्ड में अंकित चला आ रहा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन अवैध नामों को कटवा कर उस भूमि पर ग्राम समाज का नाम दर्ज किये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

श्री अतर सिंह व दर्शन सिंह पट्टेदारान ने बाद में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-229-बी के अन्तर्गत असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर लिये थे, इसलिये उनके नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित चले आ रहे हैं। इसके विरुद्ध गांव सभा की दो निगरानियां माननीय राजस्व परिषद् में लम्बित हैं जिनके निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

तहसील सीतापुर के लेखपाल स्व0 श्री केदार नाथ के आश्रितों को पेंशन आदि दिये जाने की मांग

55—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तह0 सीतापुर जिला सीतापुर में कार्यरत एक लेखपाल (श्री केदार नाथ) जो कि सेवारत रहते हुए वर्ष 1975 या 1974 में दिवंगत हो गये उनके आश्रितों को पेंशन तथा अन्य लाभ जो नियमानुसार देय हैं अभी तक न दिये जाने के क्या कारण हैं? कब तक दे दिये जायेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

श्री केदार नाथ, तहसील सीतापुर के क्षेत्र भदियासी, परगना खैराबाद, में लेखपाल थे। परगनाधिकारी सीतापुर के आदेश दिनांक 5-7-67 द्वारा उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया था, तत्पश्चात् 16-12-74 को उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि मृत्यु के समय श्री केदार नाथ सेवा में नहीं थे, अतः उनके आश्रितों को पेंशन तथा अन्य लाभ दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

एसोसिएटेड जर्नल्स लि0, पर श्रम विभाग की बकाया धनराशि

56—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संबंध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो रुपया अभी तक नहीं वसूल किया जा सका उसे वसूल किये जाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? बकाये की धनराशि 30-9-85 तक कितनी हो गई?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, लखनऊ के विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली हेतु उक्त संस्था के विज्ञापन बिलों में नगर महापालिका लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर महापालिका कानपुर, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ के बिलों को कुर्क किया गया है।

दिनांक 30-9-85 तक मु0 1,23,540.60 पैसे की धनराशि वसूल किये जाने के पश्चात् मु0 12,24,416-60 पैसे वसूली हेतु अवशेष है।

57-58–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जौनपुर जिले के ग्राम चौखड़ा की चकबन्दी सम्बन्धी वाद

59–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर त0 सदर परगना रारी के ग्राम चौखड़ा के अन्तर्गत 1-51 डि0 भूमि ग्राम जिसके संबंध में एस0 ओ0 सी0 श्री वी0 एम0 सिंह के आदेश दिनांक 24-5-63 जिसकी निगरानी श्री कन्हई ग्राम बरचौली ने न्यायालय डी0 डी0 सी0 के यहां किया था जो खारिज हो गयी जिसकी अमल दरामद संबंधित मामलात में हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उपरोक्त भूमि से संबंधित वाद चकबन्दी अधिकारी मड़ियाहू द्वितीय बाबत आदेश अमल दरामद बिगत चार वर्षों से लम्बित है यदि लम्बित है तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

ग्राम चौखंडा परगना रारी तहसील सदर जिला जौनपुर के अपील संख्या 1873 तारीख फैसला 24-5-63 द्वारा गाटा सं0 378 व 379 को ग्राम समाज की भूमि मानते हुए राम लखन का नाम जिमन 7 में दर्ज होने का आदेश पारित हुआ। जबकि जिमन 7 काश्तकारों की ही भूमि पर बतौर आसामी जिमन 7 में दर्ज होते हैं। ग्राम समाज में आसामी जिमन 3 में दर्ज होते हैं। बंदोबस्त अधिचकबंदी के आदेश के अमलदरामद के संबंध में चकबन्दी अधिकारी मडियाहूं (द्वितीय) के यहां वाद लम्बित नहीं है बल्कि जिमन 7 के निराकरण के लिए धारा 48 (3) के अन्तर्गत संदर्भ उप संचालक, चकबन्दी के न्यायालय में विचाराधीन है जो न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है।

चकबन्दी आकार पत्र 41 के अन्तर्गत मेड़ों का निर्माण

60–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो चकबन्दी आकार पत्र 41 जो बनाया जाता है उसमें ड्राफ्ट मैन मेड़ों की लम्बाई चौड़ाई नाप कर ही नक्शा मूरत्यम करते हैं लेकिन ड्राफ्टमैन उन मेड़ों की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं अन्य दिशाओं को कागज पर नहीं दर्शाते ऐसा न होने से लगभग 25 प्रतिशत वादकारिता की बढ़ोत्तरी होती है ? यदि हां, तो इसे दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 ड्राफ्टमैन द्वारा नहीं बल्कि चकबन्दी लेखपाल द्वारा बनाया जाता है। इसमें मेड़ों की दिशाओं का उल्लेख नहीं होता है मेड़ों की दिशाओं का उल्लेख कब्जा परिवर्तन से पूर्व चक बन्दी मैनुअल आकार पत्र 35-क म। किया जाता है जिसकी एक प्रति चकदार को वितरित करने के विभागीय निर्देश हैं। आकार पत्र 35-क जारी होने के बाद

वादकारिता में बढ़ोत्तरी का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जिले के ग्राम मलहा के निष्प्रयोज्य नलकूप

61—श्री विष्णुदेव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड मलिहाबाद, ग्राम मलहा पोस्ट काकोरी, लखनऊ में कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजन लघु किसानों के लिए दो ट्यूबवेल अर्ध निर्मित अवस्था में लगभग विगत दो साल से निष्प्रयोजन रूप में पड़े हुए हैं तथा उनके इर्द-गिर्द सैकड़ों एकड़ भूमि पर खड़ी फसलें सूख जाती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई की भीषड़ समस्या को देखते हुए उक्त दोनों ट्यूबवेलों को तुरन्त पूर्ण कराकर चालू करने हेतु आदेश देने की कृपा करेगी तथा किस अधिकारी की लापरवाही से कार्य रुका है उसके विरुद्ध क्या कार्य वाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

उक्त दोनों ट्यूबवेलों को शीघ्र पूर्ण कराने के आदेश दे दिये गये हैं । दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश भी दे दिये हैं ।

निबन्धक सहकारी समितियों के सहकारी निरीक्षकों का बकाया वेतन और उनको सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण का अधिकार

62—श्री शारदा प्रताप—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित तथा निबंधक सहकारी समितियां उ0 प्र0 द्वारा नियुक्त 230 सहकारी निरीक्षकों का उनके योगदान के समय का कुछ दिनों से लेकर तीन माह तक का वेतन विभाग ने अवैधानिक रूप से रोक रखा है ? क्या शासन उन निरीक्षकों का वेतन भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह —

जी नहीं, वरन् लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित तथा निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त 140 सहकारी निरीक्षकों को उक्त अल्प अवधि का वेतन कतिपय कारणों-वश भुगतान नहीं किया जा सका है ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 4-2-86 को निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

63—श्री शारदा प्रताप—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी विभाग में नियुक्त सहकारी निरीक्षकों को सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण का अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्या शासन निरीक्षकों की कार्य क्षमता बढ़ाने तथा सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार रोकने हेतु निरीक्षकों को निबंधक की निरीक्षण इत्यादि की शक्तियां प्रदान करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अरुण कुमार सिंह —

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित लेसू के कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी आदेश और उनका अनुपालन

64—श्री शारदा प्रताप —

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत जून माह के दौरान स्थानीय लेसू में कुल कितने कर्मचारियों को लखनऊ के बाहर स्थानान्तरित करने के आदेश निर्गत किए गये और उनमें से कितने आदेशों का अनुपालन किया गया ? क्या अनियमित तरीके अपनाकर तबादला रुकवाने की जांच हेतु श्री राजेन्द्र सिंह विधायक का पत्र दिनांक 25-7-85 माननीय राज्य

मंत्री ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री –

विगत माह जून 1985 के दौरान कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा आठ अवर अभियन्ताओं एवं तीन परिचालकीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर किया गया था । जिनमें एक अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये एवं दो अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश 30-4-86 तक के लिए स्थगित किए गये । इसके अलावा तीन परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों में से एक के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किए गये थे ।

जी हां, इसे विचारार्थ उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को भेज दिया गया था। यह श्री पी0एस0 खोसला, सहायक भण्डारी, लेसू के स्थानान्तरण को भ्रष्ट तरीके अपनाकर रुकवाये जाने के संबंध में था। श्री खोसला के स्थानान्तरण आदेश परिषदीय कार्य तथा औद्योगिक शान्ति के हित में निरस्त किये थे । अतः विचारोपरान्त उनमें कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया ।

आजमगढ़ विकास खण्ड लालगंज के सेवा निवृत्त सहायक विकास अधिकारी श्री गंगा प्रसाद यादव के अवकाश नगदीकरण का भुगतान

65–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गंगा प्रसाद यादव सेवा निवृत्त सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खण्ड लालगंज, जनपद आजमगढ़ का शेष अर्जित अवकाश का नगदीकरण का भुगतान कर दिया गया ? क्या सरकार उक्त भुगतान कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरूण सिंह आर्य–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बक्शी का तालाब, लखनऊ के कर्मचारी श्री लक्ष्मी नारायण का स्थानान्तरण

66–श्री शारदा प्रताप–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थिनी श्रीमती निर्मला देवी कुरील ने दिनांक 11 जून, 85 को एक पंजीकृत पत्र भेजकर अपने पति के प्रति न्याय करने की मांग की है? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

श्रीमती कुरील के पत्र पर विचारोपरान्त उनके पति श्री लक्ष्मी नारायण का स्थानान्तरण उनकी सुविधानुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बक्शी का तालाब, लखनऊ से राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पालीटेक्निक लखनऊ में ही कर दिया गया है, जहां पर वे कार्यरत हैं । उक्त संस्था के कैशियर श्री राम नाथ का स्थानान्तरण जनपद खीरी में कर दिया गया है । तथा उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में विशेष सम्परीक्षा(स्पेशल आडिट) कराने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के हाईडिल विजिलेंस में प्रतिनियुक्त कान्सटेबिल व ड्राइवर

67–श्री शारदा प्रताप –

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हाईडिल विजिलेंस में कितने ऐसे कान्सटेबिल ड्राइवर हैं जिनका प्रति-

नियुक्ति काल पूरा हो जाने के बावजूद उन्हें अभी तक उनके मूल विभाग में वापस नहीं भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे सभी ड्राइवरों को तुरन्त वापस किये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

सम्प्रति मात्र ऐसे 6 कान्सटेबिल ड्राइवर हैं जिनको प्रतिनियुक्ति काल पूरा हो जाने के उपरान्त भी प्रत्यावर्तित करना सम्भव नहीं हो सका है । उनके विषय में प्रत्यावर्तन आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस (मुख्यालय) द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं । प्रतिस्थानियों के कार्य-भार ग्रहण करते ही वे कार्यमुक्त हो जायेंगे।

ओम सुखी उद्योग, मोहल्ला भोला खेड़ा आलमबाग, लखनऊ को दिया गया विद्युत कनेक्शन

68–श्री शारदा प्रताप –

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओम सुखी उद्योग को मोहल्ला भोला-खेड़ा (सुभाषनगर) आलमबाग लखनऊ की आबादी के बीच में लगाने हेतु 70 एच0 पी0 का कनेक्शन लेसू, लखनऊ द्वारा किस आधार पर दिया गया ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री –

ओम सुखी उद्योग को लेसू द्वारा 70 एच0 पी0 का कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

69–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

[करण संख्या 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

70–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

संग्राम सिंह बघेल इण्टर कालेज, अहिरौली, बघेल, जिला देवरिया के विकलांग छात्र, श्री कौशल किशोर वर्मा की छात्र वृत्ति का भुगतान

71–श्री नरेश चन्द्र –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संग्राम सिंह बघेल इण्टर कालेज, अहिरौली बघेल जनपद देवरिया के शिक्षा सत्र 1984-85 के कक्षा 10 के संस्थागत विकलांग छात्र श्री कौशल किशोर वर्मा आत्मज श्री अयोध्या प्रसाद को 13 माह की छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? छात्र-वृत्ति के भुगतान आदेश कब तक हो जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री कौशल किशोर वर्मा, कक्षा 10 की विकलांग छात्रवृत्ति माह अप्रैल, 84 से अप्रैल, 85 तक रुपये 80/-प्रतिमास की दर से रुपये 780/-का बैन्क ड्राफ्ट संख्या-ओ0 टी0/सी0 ए0/028855, दिनांक 2 दिसम्बर, 85 द्वारा भुगतानार्थ प्रधानाचार्य, संग्राम सिंह बघेल इण्टर कालेज, अहिरौली बघेल, देवरिया को भेज दिया गया है ।

उन्नाव जिले की ग्राम सभा दयालपुर के तालाबों की नीलामी से प्राप्त धनराशि एवं जारी की गई फर्जी रसीद

72–श्री सरदार सिंह –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा दयालपुर, परगना मोहान जिला उन्नाव में विगत 3 वर्षों में तालाबों की नीलामी से प्राप्त कितनी धनराशि को सरकारी कोष में जमा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

73—श्री सरदार सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तालाबों की नीलामी से ज्यादा धनराशि प्राप्त कर कम धनराशि की रसीदें संबंधित व्यक्तियों को दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ जिले के ग्राम निजामुद्दीनपुर की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा

74—श्री गौरी शंकर भइया—

उ0 प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 1ले शुक्रवार के ता0 प्र0 सं0-1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करा कर भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत भूखण्ड क्षेत्रफल 2 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी के 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर फारूक पुत्र हारून का अवैध कब्जा है । अवैध कब्जा हटाने के संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, लखनऊ के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया गया है, जो विचाराधीन है।

बरेली, आंवला में इफ्को के निर्माणाधीन कारखाने हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा

75—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में आंवला में इफ्को के निर्माणाधीन कारखाने हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के स्वामियों को उनकी भूमि का मुआवजा उन्हें दे दिया गया है? यदि हां, तो मुआवजे की दर क्या थी तथा अभी कितने व्यक्तियों को कितना मुआवजा मिलना शेष है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। समस्त भूस्वामियों को प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। प्रत्येक ग्राम की भूमि के लिए उसकी किस्म के अनुसार बाजार दर के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित की गईं। सभी भू-स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है, इसलिये शेष व्यक्तियों एवं मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षति

76—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 85 से अक्टूबर, 85 तक प्रदेश में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से कुल कितनी क्षति हुई? केन्द्र सरकार से इस क्षति पूर्ति द्वारा कितनी सहायता प्राप्त हुई है तथा केन्द्र से प्राप्त हुई सहायता का वितरण जिलानुसार किस-किस प्रकार हुआ है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

बाढ़, अतिवृष्टि, भू:स्खलन आदि से निजी सम्पत्ति को 1215.92 करोड़ रुपये तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को 1185.33 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति होने का अनुमान अभी तक लगाया गया है। केन्द्र सरकार से अभी तक 128.27 करोड़ रुपये की सहायता मिली है जिसका विभागवार फांट संलग्न है।† अहेतुक सहायता आदि का जिले-

(छापी नहीं गयी)

वार विवरण भी संलग्न है विभागीय आवंटन क्षति एवं आवश्यकतानुसार सार्वजनिक मदों में खर्च किये जाते हैं।

गाजियाबाद जिले के ग्राम डेरी स्कनर के 37 परिवारों को विद्युत कनेक्शन

77—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डेरी स्कनर विकास खण्ड दादरी, जिला गाजियाबाद के 37 परिवारों ने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पूरी धन अदायगी (स्टीमेट सहित) 14-6-1973 में लगभग 130 रु0 प्रति कनेक्शन जमा की थी और उन्हें अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है? इस विलम्ब के प्रति कौन जिम्मेदार है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

राज्य विद्युत परिषद् के नियमानुसार 15 प्रतिशत रिटर्न प्राप्त होने पर बिजली के लाइन बना कर कनेक्शन दिए जाते हैं । प्रश्नगत मामले में 15 प्रतिशत रिटर्न न प्राप्त होने के कारण अभी तक कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं ।

गाजियाबाद जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इकाई के लेखपालों की भविष्य निधि का हिसाब

78—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जिले के 30 चकबन्दी लेखपालों की भविष्यनिधि की वर्ष 1962 से 1974 तक की धनराशि का हिसाब जिला मुख्यालय में क्यों नहीं भेजा गया है? इसके अभी तक न भेजे जाने के क्या कारण हैं? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद गाजियाबाद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इकाई की स्थापना माह जुलाई, 1981 में हुई थी। इस इकाई की स्थापना के फलस्वरूप विभिन्न जिलों से 29 चकबन्दी लेखपाल ऐसे स्थानान्तरित होकर आये जिनकी जी0-पी0 एफ0 पास बुकों पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा इन लेखपालों के खातों में प्रविष्टियां अद्यावधिक नहीं की गई और इनके खाते भी हस्तान्तरित नहीं किये गये । अतः महालेखाकार कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क स्थापित कराकर 8 लेखपालों की पास बुकें ठीक करा दी गई हैं। शेष के बारे में भी प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही हेतु महालेखाकार का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है ।

गाजियाबाद विसरख में विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की मांग

79—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में विसरख में 33/11 के0 वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त सब स्टेशन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद, दादरी में एस0डी0ओ0 विद्युत के कार्यालय की स्थापना की मांग

80—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में तहसील मुख्यालय दादरी में एस0 डी0 ओ0 विद्युत का कार्यालय क्यों नहीं स्थापित किया गया? उक्त कार्यालय कब तक स्थापित करा दिया जायेगा?

---

†छापा नहीं गया ।

श्री सुनील शास्त्री–

दादरी क्षेत्र की विद्युत लाइन उपभोक्ताओं की देख-रेख के लिए नियुक्त किये गये एस0डी0ओ0 का कार्यालय गाजियाबाद में स्थित है, क्योंकि वह गाजियाबाद के आस-पास के गांव तथा दादरी, कोट व सूरजपुर बिजली घरों को जाने वाली सभी 33 के0 वी0 लाइनों की देख-भाल भी करते हैं जो कि गाजियाबाद से निकलती है। यदि उसका कार्यालय दादरी में रखा जायेगा तो ब्रेक डाउन एवं रोस्टरिंग, इत्यादि की सूचना में विलम्ब होगा तथा कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद जनपद के अन्य उपभोगताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा एवं विद्युत की लाइनों जिनके द्वारा तहसील दादरी के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की जाती है, के रख रखाव में कठिनाई उत्पन्न होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, वाराणसी के कार्मिक अधिकारी द्वारा जमा की गयी धनराशि

81–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में वाराणसी क्षेत्र में तैनात कार्मिक अधिकारी द्वारा वर्ष 1979-80 में अपने हस्ताक्षरान्तर्गत प्राप्ति रसीदों के माध्यम से प्राप्त धनराशि परिषद् को नियमानुसार जमा न करने पर तत्कालीन मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता उ0 प्र0 रा0 विद्युत परिषद् वाराणसी के अर्द्ध शासकीय पत्रांक 411/सी0 जेड0 ई0 बी0-(आई0 आर0) जी–1 दिनांक 10-2-81 द्वारा उन्हें समुचित निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उपरोक्त कार्मिक अधिकारी ने अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक 262/सी0 जेड0 ई0 बी0/पी0 ओ0(एस0)/पी0 एफ0 दिनांक 26-2-81 द्वारा मार्च, 1981 के प्रथम सप्ताह में उक्त धनराशि जमा करने का वचन देने के उपरान्त भी अब तक जमा नहीं किया है? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारी को निलम्बित कर अग्रेतर विस्तृत जांच शासन/विद्युत परिषद् द्वारा आज तक न कराये जाने का समुचित औचित्य एवं कारण क्या है?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, वाराणसी के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 10-2-81 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार कार्मिक अधिकारी ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 26-2-81 द्वारा रु0 600/- की धनराशि जमा कर दी, जो वर्ष 1980-81 के क्रीड़ा लेखा में पूर्ण रूप से समायोजित कर दी गई। अतः उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले की ग्राम सभा करोरा की ग्राम समाज के तालाब पर अवैध कब्जा

82–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले की तहसील रामसनेही घाट के अन्तर्गत ग्राम सभा करोरा में ग्राम समाज की भूमि तथा तालाब पर कुछ लोगों ने अपना जबरिया अवैध कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि ग्राम प्रधान करोरा ने इसकी लिखित सूचना जिलाधिकारी बाराबंकी, परगनाधिकारी, रामसनेही घाट तथा थाना अध्यक्ष, सफदरगंज को दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

ग्राम सभा के तालाब संख्या–248 क्षेत्रफल 4 बीघा 18 बिस्वा 2 बिस्वांसी पर श्री राम लखन पुत्र राम प्रसाद व श्री राम खेलावन पुत्र राम नरायन सिंघाड़ा बो लिये हैं।

जी हां।

उक्त अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122-बी के अन्तर्गत तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, रामसनेहीघाट के न्यायालय में वाद कायम कराया जा चुका है।

न्यायालय के निर्णय के उपरान्त विधि संगत कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी स्थित साहूपुरी, विद्युत केन्द्र में अग्निकाण्ड से सम्बन्धित प्रतिवेदन

83–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी स्थित साहूपुरी विद्युत केन्द्र में लगी आग से संबंधित प्रतिवेदन **(1984-85) के पृष्ठ नौ पर समिति** द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के तीन अभियन्ता अधिकारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां कर दी गई हैं ? क्या यह सही है कि उक्त प्रतिवेदन के पृष्ठ नौ में उपलब्ध प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में शासन को हुई रु0 4.00 लाख की हानि में अधीनस्थ कर्मचारियों का भी योगदान रहा है? यदि हां, तो इस हानि की विपुल धनराशि की वसूली कर पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या प्रभावी और ठोस प्रशासनिक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चेनमैन, श्री शराफत अली क्षेत्र जैदपुर, जिला बाराबंकी द्वारा दायर की गयी अपील

84–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कि श्री शराफत अली चेनमैन क्षेत्र जैदपुर तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की अपील दिनांक 5-6-79 तथा दिनांक 12-11-83 कमिश्नर फैजाबाद मण्डल के यहां पर अभी तक विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त अपीलों को इतने लम्बे समय तक निस्तारण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

85–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शराफत अली, चेनमैन तहसील नवाबगंज, बाराबंकी की प्रथम अपील दिनांक 5-6-79 तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी के तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो श्री नियाज अहमद ने प्राप्त की थी और दूसरी अपील दिनांक 12-11-83 रजिस्टर्ड पत्र द्वारा कमिश्नर महोदय, फैजाबाद मण्डल को भेजी गयी थी, कमिश्नर महोदय को प्राप्त हुई है? क्या यह भी सही है कि उक्त शराफत अली ने कई रिमाइन्डर भी उचित माध्यम से कमिश्नर फैजाबाद को भेजे हैं? यदि हां, तो अपीलों के निस्तारण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गोरखसिंह, सहायक फील्ड आफिसर, भूमि विकास बैंक, देवरिया का स्थानातरण

86–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि विकास बैंकों के सहायक फील्ड

आफीसर अपने मूल जनपद में तैनात किये जा सकते हैं? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री गोरख सिंह सहायक फील्ड आफीसर भूमि विकास बैंक अपने जनपद देवरिया में कई वर्षों से तैनात हैं? क्या यह भी सही है कि उक्त गोरख सिंह ने अपने स्थानान्तरण हेतु अपना मूल जनपद फैजाबाद लिखाया था और उसी के आधार पर अपने जनपद में स्थानान्तरण करा लिया था?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं।

श्री गोरख सिंह जनपद देवरिया में वर्ष 1983 से तैनात थे।

जी हां, अपर जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर श्री गोरख सिंह ने अपना मूल जनपद देवरिया के स्थान पर फैजाबाद परिवर्तित कराया, जिसके आधार पर मूल जनपद फैजाबाद मानते हुए, उनका स्थानान्तरण देवरिया जनपद कर दिया गया था। अब श्री गोरख सिंह को जनपद देवरिया से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर व नवाबगंज में बाढ़ से हुई क्षति

87–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि सितम्बर, 85 की बाढ़ में बाराबंकी जनपद की तहसील फतेहपुर व नवाब गंज के कुल कितने गांव प्रभावित हुए और कितने और कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जिनमें आधे से अधिक मकान गिर गये तथा आधे से अधिक फसलें क्षतिग्रस्त हो गयी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन ग्रामों के निवासियों को क्या-क्या राहत पहुंचाई गई तथा शासन द्वारा क्या सहायता दी जा रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद की तहसील फतेहपुर में बाढ़, अतिवृष्टि एवं जलप्लावन से कुल 435 ग्राम प्रभावित हुए। उनमें से 19 ग्राम ऐसे हैं जिनमें आधे से अधिक मकान गिर गये हैं और 317 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक फसलों की क्षति हुई है।

जनपद की तहसील नवाबगंज में बाढ़, अतिवृष्टि एवं जल प्लावन से कुल 200 ग्राम प्रभावित हुए। इनमें से 11 ग्राम ऐसे हैं जिनमें आधे से अधिक मकान गिर गये हैं और 200 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक फसलों को क्षति हुई है।

प्रभावित व्यक्तियों को राहत के रूप में गृह अनुदान, खाद्य सामग्री, तेल तथा अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं आदि पहुंचाई गयीं। गांव की सूची व राहत के विवरण किसी भी समय कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

श्री सूबेदार शर्मा, ग्राम माडलशकरपुर जिला फर्रुखाबाद के खेतों की पैमाइश

88–श्री राम बदन एडवोकेट–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 3रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–54 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीमांकन करते समय श्री सूबेदार शर्मा को लिखित सूचना दी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों? यह सीमांकन किसके द्वारा किस दिनांक को किया गया? उक्त भूखण्ड पर किन-किन व्यक्तियों का अवैध कब्जा हटवाया गया है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

श्री शर्मा लगभग 25 वर्षों से ग्राम में नहीं रहते हैं और उन्होंने अपने पत्र में भी अन्यत्र रहने का पूरा पता अंकित न कर केवल कमालगंज लिखा था जो एक बड़ा कस्बा है। इसके कारण तलाश करने

पर भी उनका पता नहीं चल सका। किन्तु श्री शर्मा के भाई श्री रामचन्द्र सीमांकन के समय उपस्थित थे।

सीमांकन श्री रामशंकर भूलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 20-5-1985 को किया गया।

उक्त भूखण्डों पर किसी का अवैध कब्जा नहीं पाया गया जिसके कारण इसे हटवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सुल्तानपुर जिले के सहकारिता विभाग में सचिव पद हेतु चयन

89—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में सुल्तानपुर जनपद के सहकारिता विभाग में सचिव पद पर अभ्यर्थियों का चयन करके उप निबन्धक सहकारिता ने सूची स्वीकृति हेतु शासन को फरवरी, 85 में भेज दी है? यदि हां, तो इस सूची को कब तक शासन से स्वीकृति दे दी जायेगी?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सचिव पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची शासन को नहीं बल्कि राज्य संवर्ग प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा को भेजी गई जो उन्हें 20-2-85 को प्राप्त हुई।

संदर्भित चयन सहकारी समिति निबन्धक, उत्तर प्रदेश के चयन सम्बन्धी निर्देशों के अनुसार न किये जाने के कारण उसका अनुमोदन नहीं हो सका और आपत्ति सहित सूची उप निबन्धक, फैजाबाद को वापस कर दी गयी है।

देवरिया जिले की हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान

90—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जनपद देवरिया के विभिन्न प्राइमरी पाठशालाओं के 140 अध्यापक/अध्यापिकाओं को मार्च 85 से वेतन नहीं मिल रहा है जिसके कारण उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र वेतन भुगतान हेतु आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

जनपद देवरिया के हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक/अध्यापिकाओं को माह अक्टूबर, 85 तक का वेतन का भुगतान कर दिया गया है। अवशेष वेतन इत्यादि के भुगतान के सम्बन्ध में विद्यमान परिव्यय तथा आय-व्ययक प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जिलाधिकारी देवरिया, जोकि जिला स्तरीय नियोजन समिति के अध्यक्ष हैं, पुनर्विनियोजन करके वेतन इत्यादि भुगतान करने हेतु निर्देश टेलेक्स द्वारा दिनांक 13-1-86 को निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर जिले में सहकारिता विभाग के सचिव पद हेतु चयन में अनियमितता सम्बन्धी पत्र

91—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर जनपद में सहकारिता विभाग में सचिव पदों पर नियुक्तियों में की जा रही गड़बड़ियों से सम्बन्धित कोई पत्र दिनांकित 6-2-80 को अविनाश चन्द्र शुक्ल निवासी ग्राम व पोस्ट परसरामपुर जिला सुल्तानपुर का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में अंकित विवरण क्या है तथा की गई जांच पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

सुल्तानपुर जनपद के लिए सचिवों के सम्बन्ध में श्री अविनाश चन्द्र शुक्ल का पत्र

दिनांक 6-2-80 को नहीं बल्कि दिनांक 25-7-83 एवं दिनांक 23-7-85 को प्राप्त हुए। दिनांक 25-7-83 के पत्र में श्री शुक्ल ने मार्च, 82 में हुए चयन के अनुमोदन का अनुरोध किया था, जिससे चयनित सूची में अंकित श्री बृजबिहारी मिश्र की नियुक्ति सचिव पद पर हो सके। दिनांक 23-7-85 के पत्र में वर्ष 85 में हुए चयन के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था।

वर्ष 82 में हुए चयन के सम्बन्ध में शिकायत होने पर जांचोपरान्त चयनित सूची को निरस्त कर दिया गया था तथा वर्ष 85 में किये गये चयन को नियमानुसार न होने के कारण अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सका।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सुलतानपुर के ग्राम दूल्हापुर के श्री बृज बिहारी मिश्र का सचिव सहकारिता के पद हेतु प्रार्थना पत्र

92—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृज बिहारी मिश्र, ग्राम दूल्हापुर, पोस्ट महादेवा, जिला सुल्तानपुर के द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या 3731 दिनांक 20-3-80 का कोई पत्र अपनी समस्याओं से सम्बन्धित सचिव, उ0प्र0 सहकारी समितियां, लखनऊ को भेजा गया प्राप्त हुआ? यदि हां, तो प्राप्त पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है तथा संबंधित मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं, श्री बृज बिहारी मिश्र का दिनांक 20-3-80 का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ बल्कि माननीय विधायक श्री सरदार सिंह के पत्र दिनांक 2-8-85 के साथ श्री मिश्र का पत्र दिनांक 2-8-85 राज्य संवर्ग प्राधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ।

श्री मिश्र के पत्र में यह उल्लेख था कि उन्होंने सहकारी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, गरीब परिवार के हैं तथा उनकी घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए सचिव पद पर नियुक्ति हेतु आदेश निर्गत किये जायं।

जांचोपरान्त यह पाया गया कि श्री बृज बिहारी मिश्र का नाम उप निबन्धक, फैजाबाद द्वारा 24-1-85 को भेजे गये चयनित सूची में नहीं था। अतः इनके नाम के अनुमोदन का प्रश्न नहीं उठता।

93—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 लखनऊ के परिपत्र संख्या सी-117/अधि0 दिनांक 16-4-81 के आधार पर कार्यालय उप निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 फैजाबाद के पत्रांक 14876—15128 कैडर दिनांक फैजाबाद अप्रैल 19, 1982 के द्वारा श्री बृज बिहारी मिश्र ग्राम दूल्हापुर पो0 महादेवा जिला सुल्तानपुर को प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति के सचिव पद पर चयनित किए जाने हेतु साक्षात्कार के लिए दिनांक 24-8-82 को बुलाया गया था? यदि हां, तो क्या साक्षात्कार हो जाने के बाद चयनित सूची पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली गई है? यदि हां, तो क्या उक्त अभ्यर्थी का नाम चयनित व स्वीकृत सूची में शामिल है?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां, किन्तु साक्षात्कार के लिए दिनांक 24-8-82 को नहीं बल्कि दिनांक 3 मई, 1982 को बुलाया गया था।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची सक्षम अधिकारी को अनुमोदनार्थ भेजी गयी थी, जिसका अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया था परन्तु बाद में इसमें कतिपय विसंगतियां पायी गयीं जिसके कारण सक्षम

अधिकारी द्वारा ही इसे निरस्त कर दिया गया।

उक्त अनुमोदन आदेश की प्रतीक्षा सूची में श्री बृज बिहारी मिश्र का नाम शामिल था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया।

यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक लि0, सुल्तानपुर में सचिव पद हेतु नियुक्तियों में योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा संबंधी पत्र

94—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक लि0, सुल्तानपुर के अन्तर्गत सचिव पदों पर नियुक्तियों में प्रशिक्षित व अनुभवी अभ्यर्थियों की उपेक्षा के संबंध में श्री कौशल किशोर पाण्डेय अध्यक्ष, छात्र संघ, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का पत्र दिनांकित 4 सितम्बर, 84 का उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच कराई गई तथा कौन-कौन प्रशिक्षित एवं अनुभवी अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हुए और परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों को सरकार दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

चयन प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच करने के पश्चात् सूची को 17-8-84 को ही निरस्त कर दिया गया था ।

जांच में किसी अधिकारी को दोषी नहीं बताया गया । अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धकों की पदोन्नति

95—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों की पदोन्नति न करके उन पदों पर सहकारी निरीक्षक वर्ग—1 को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है ? क्या यह सही है कि वर्ग—1 के निरीक्षक बैंक के कार्य से अनभिज्ञ भी होते हैं और उन्हें बैंकों द्वारा बीस प्रतिशत अतिरिक्त वेतन का भुगतान भी करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या बैंकों में वरिष्ठ शाखा प्रबन्धकों को पदोन्नति करके ऐसे प्रतिनियुक्ति पर आये निरीक्षकों को बैंक की सेवाओं से मुक्त करने पर विचार करेंगे? यदि नहीं? तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

नियमों के अनुसार ही इन्हें "की-परसोनेल" के पदों पर भेजा गया है ।

संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीय सेवा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार "की—परसोनेल" के रिक्त पदों में से 75 प्रतिशत पद जिला सहकारी बैंकों के वर्ग—2 (क), जिसके अंतर्गत वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक/अनुभाग अधिकारी के पद आते हैं, से भरे जाने हैं तथा शेष 25 प्रतिशत पदों पर बाहर से व्यवस्था की जानी है । बाहर के पदों पर सीधी भर्ती के अतिरिक्त निरीक्षकों की भी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जा सकती हैं, जिसके सम्बन्ध में कैडर अथारिटी निर्णय लेने हेतु सक्षम है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम कुसवारा, बड़ा-गांव, नमका आदि का घाघरा नदी से कटाव

96—श्री फरीद महफूज किदवई—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की फतेहपुर तहसील में घाघरा तथा दूसरी नदियों से कुसवारा तथा बड़ागांव तथा ग्राम पंचायतें रैकुलवा, नमका, फाजिलपुर बहरा तमस्सेपुर आदि गांव की जमीन कट चुकी है तथा अब उन जमीनों पर नदी बह रही है परन्तु उन काश्तकारों से आज भी उन जमीनों का लगान वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त लगान वसूली की कार्यवाही को तुरन्त स्थगित करने का आदेश देगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में घाघरा नदी से कुसौरा, बड़ागांव, रैकोलवा, जमका, फाजिलपुर, परसरामपुर, बेहटा तम्बस्सेपुर गांवों की जमीन घाघरा नदी के कटान से कट चुकी है। इन ग्रामों की दरियाबुर्द जमीन की मालगुजारी तथा सीलिंग लगान की वसूली नहीं की जा रही है ।

सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का स्थगन एवं नामांकन धनराशि की वापसी की मांग

97—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी ऋण समितियों के जो विगत निर्वाचन दोबारा स्थगित हुए उनमें उम्मीदवारों द्वारा जमा की गयी नामांकन राशि संबंधित उम्मीदवारों को वापिस कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त नामांकन राशि को आने वाले निर्वाचन में संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी नहीं।

उम्मीदवारों से नामांकन राशि नहीं वरन् उम्मीदवारों को नामनिर्देशन प्रपत्र दिये जाने हेतु उनसे फीस ली गयी है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 442 के प्राविधान के अनुसार उम्मीदवार निर्धारित फीस देकर निर्वाचन अधिकारी से नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त करते हैं। ऐसी दशा में उम्मीदवारों को नाम निर्देशन प्रपत्र दिये जाने के बाद उनसे प्राप्त फीस को वापस किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्व में नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवारों द्वारा दी गई फीस को अगले निर्वाचन के लिए आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि नियम 442 के अन्तर्गत प्राप्त की गई फीस के एवज में उन्हें नाम निर्देशन प्रपत्र निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिये जा चुके हैं ।

98—श्री राम आसरे वर्मा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी ऋण समितियों के सचिवों को बैंक कर्मचारी बनाये जाने की मांग

99—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी ऋण समितियों के सचिव जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों जबकि बैंकों का सारा कारोबार सचिव के परिश्रम पर निर्भर है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, क्योंकि न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी ऋण समितियों के सचिव उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा के सदस्य हैं अतः बैंक कर्मचारी होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

100–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन सचिवों को बैंक कर्मचारियों की भांति वेतन व अन्य सुविधाएं देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, जब सचिव बैंक के कर्मचारी ही नहीं हैं तो उन्हें बैंक कर्मचारियों की भांति वेतन व अन्य सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश प्रारंम्भिक कृषि ऋण समिति के कैडर फण्ड में सहकारी शीर्ष संस्थाओं द्वारा जमा धनराशि

101–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 प्रारंभिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा विनियमावली, 1976 की व्यवस्थानुसार कैडर फण्ड में सहकारी शीर्ष संस्थाओं द्वारा अंश धन जमा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों जबकि भारत सरकार ने भी इसी प्रतिबंध के साथ अनुदान दिया था ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, संस्थाओं द्वारा वित्तीय कठिनाइयों के कारण अंशदान देने में असमर्थता व्यक्त की गई । भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था बल्कि केवल यह प्रतिबन्ध था कि राज्य सरकार कुल अनुदान का 50 प्रतिशत भाग वहन करे जो कि राज्य सरकार द्वारा किया गया ।

102–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त देय अंश धन शीर्ष सहकारी संस्थाओं से वर्ष 1976 से मय सूद के कैडर फण्ड में जमा कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, क्योंकि शीर्ष संस्थाओं की वित्तीय स्थिति इस योग्य नहीं पायी गयी।

श्री जगदीश नरायण अग्निहोत्री मुख्य लिपिक, चकबन्दी विभाग उन्नाव का स्थानान्तरण

103–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य लिपिक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी उन्नाव (श्री जगदीश नरायन अग्निहोत्री) जो सन् 1977 से अब तक लगातार जनपद उन्नाव में ही एक स्थान पर कार्यरत हैं, के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 1568/82/विधि/83-84 एस0 टी0 दिनांक 25 जून, 1984 जो अतिरिक्त आयुक्त चकबन्दी उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित था, भेजा गया, जिसके उत्तर में अतिरिक्त आयुक्त चकबन्दी द्वारा अपने अर्ध शा0 पत्र संख्या 1699/ई0/1253/54 दिनांक 20 मई, 1985 द्वारा जिलाधिकारी, उन्नाव को श्री अग्निहोत्री का स्थानान्तरण जनपद फतेहपुर को किये जाने की जानकारी देते हुए उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करके आख्या एवं संस्तुति हेतु लिखा गया? यदि

हां, तो उक्त मुख्य लिपिक को अब तक उन्नाव में ही बने रहने का क्या कारण है और कब तक इन्हें स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। श्री जगदीश नरायण अग्निहोत्री मुख्य लिपिक उन्नाव के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में माह सितम्बर, 1985 में शासन स्तर पर विचार करने के बाद चकबंदी आयुक्त को यह निर्देश भेज दिए गए थे कि इस समय मध्य सत्र में स्थानान्तरण करना उचित नहीं है। अगले वर्ष स्थानान्तरण सत्र में विचार कर लें। अप्रैल, 1986 के बाद सामान्य स्थानान्तरण के समय श्री अग्निहोत्री के स्थानान्तरण पर चकबंदी आयुक्त द्वारा विचार किया जाएगा।

इस आदेश से श्री अग्निहोत्री के विरुद्ध जांच आदेश निरस्त नहीं किए गए हैं।

मैनपुरी, ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना की ग्राम समाज की भूमि का पट्टा

104—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के दिनांक 22 जनवरी, 82 के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 10 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्रावली संख्या 421/377 में अब तक किस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की और उसका क्या परिणाम हुआ? यदि नहीं, तो विलम्ब क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत वाद में पारित अतिरिक्त कलेक्टर, मैनपुरी के आदेश दिनांक 3-2-81 द्वारा भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव दिनांक 26-6-70 द्वारा स्वीकृत किये गये सभी 19 व्यक्तियों के पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं।

मैनपुरी, ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

105—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहाना का अनाधिकार कब्जा का मौका मुआयना परगनाधिकारी जसराना ने दिनांक 25-3-83 व 16-11-84 को किया? यदि हां, तो किस नम्बर पर किसका कब्जा पाया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्राप्त सूचना अनुसार परगनाधिकारी द्वारा प्रश्नगत तिथियों पर स्थल निरीक्षण किये जाने के अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

परगनाधिकारी की आख्या दिनांक 26-3-83 के आधार पर गाटा संख्या-55 पर किताब सिंह, 107 पर श्री लायक सिंह, 117 पर समीपवर्ती चकदार, 163 पर मुंशीलाल, 225 पर सुनहरी लाल व उनके भाई का अनधिकार कब्जा पाया गया जिनमें से सर्वश्री लायक सिंह, गहब सिंह पुत्र श्री मुंशी सिंह, अमर सिंह, पद्म सिंह पुत्रगण अतराम (भाई श्री सुनहरी लाल) को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—122 बी के अन्तर्गत बेदखल कर क्षतिपूर्ति की वसूली की जा चुकी है। अन्य अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री श्रीराम अस्थाना, लेखपाल, तहसील हसनगंज, उन्नाव के जी0 पी0 एफ0 की धनराशि का भुगतान

106—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीराम अस्थाना, पुत्र श्री मानिक चन्द्र अस्थाना, लेखपाल,

तहसील हसनगंज, उन्नाव, जो सन् 1971 को सेवा निवृत्त हो गये थे, को जी0 पी0 एफ0 खाते में जमा धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो इतनी लम्बी अवधि के बाद भी भुगतान न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या माननीय मंत्री जी तत्काल संबंधित व्यक्ति को भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

भुगतान त्रुटिवश इसी नाम के एक अन्य मृतक लेखपाल श्री श्रीराम की विधवा को कर दिया गया था। शासन द्वारा कलेक्टर उन्नाव को सेवा निवृत्त श्री श्रीराम अस्थाना को जी0 पी0 एफ0 धनराशि के शीघ्र भुगतान करने हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। गलत भुगतान करने वाले दो कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही एवं गलत भुगतान प्राप्त करने वाली से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

सहकारिता विभाग के लेखा वर्ग के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

107–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में लेखा वर्ग कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन वे0 आ0-1-1802/दस-34(उम)-83 दिनांक 11-8-83 के अनुरूप ही हो रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त संशोधन को पटल पर रखने की कृपा करेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सहकारिता विभाग में लेखा वर्ग कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन वे0 आ0-1–1802/दस-34 (उम)-83, दिनांक 11-8-83 के अनुरूप ही किया गया है।

संशोधन नियमावली की अधिसूचना संख्या 2895-12 सी-2-276-83, दिनांक 22 जुलाई, 85 को उसी तिथि के असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित किया जा चुका है। उसके पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

सहकारिता विभाग के सहायक लेखाकारों की पदोन्नति सम्बन्धी शासनादेश

108–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या वे0 आ0-1-11802/दस-34 (एम0)-83 दिनांक 11-8-83 के तहत 10 वर्ष या उससे भी अधिक अनुभव रखने वाले सभी सहायक लेखाकारों की पदोन्नति लेखाकार के पद पर कर दी गई है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, शासनादेश संख्या वे0 आ0 1-1802/दस-34 (एम0)/83, दिनांक 11 अगस्त, 1983 के द्वारा लेखाकार के पद पर रिक्तियों के भरने के संबंध में जो अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं, उनका यह आशय नहीं है कि लेखाकार के पद की सभी रिक्तियां प्रथमतः 10 वर्ष या उससे अधिक अनुभव रखने वाले सहायक लेखाकारों की पदोन्नति द्वारा ही भरी जायें।

प्रश्न नहीं उठता।

लेखाकार के पद पर होने वाली रिक्तियां उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1985 के द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1977

के नियम 5 के अनुसार भरी जाती है, जिसके अन्तर्गत लेखाकार की 50 प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत रिक्तियों को ऐसे स्थायी सहायक लेखाकार (मुख्यालय) में से, जिन्होंने सहायक लेखाकार (मुख्यालय) और या सहायक लेखाकार (क्षेत्रीय) के पद पर कम से कम दस वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है।

आगनवाड़ी आदि कार्यक्रमों के कार्यकत्रियों की पदोन्नति एवं स्थायीकरण की मांग

109—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनबाड़ी में जो 3 वर्षों से लगातार स्नातक समाज शास्त्र कार्यकत्री के पद पर कार्य कर रही है, को क्या सरकार सुपर वाइजर पद पर विभागीय पदोन्नति देने व साथ ही स्थायी करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां मानदेय पोषित है, न कि पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विभागीय पदोन्नति तथा स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता।

110—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत 3 वर्षों से लगातार कार्य कर रही कार्यकत्रियों को जो (स्नातक) समाज शास्त्र कर चुकी हैं, उन्हें रिक्त मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

मुख्य सेविकाओं के पद सृजित होने पर अर्हतायें पूरी करने वाली कार्यकत्रियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार का अवसर, यदि उनके द्वारा आवेदन किया जाता है, प्रदान किया जाता है, तथा चयनित अभ्यर्थी की ही मुख्य सेविका के पद पर नियुक्ति की जाती है।

भेषज विकास योजना, सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण और मिर्जापुर, झांसी, बांदा जिलों में भेषज विकास योजना लागू किये जाने की मांग

111—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत भेषज विकास योजना के अन्तर्गत राजकीय कर्मचारियों का वर्ष 1979 से वेतन का संशोधन नहीं हुआ है और न ही इन कर्मचारियों का स्थायीकरण ही हुआ है जबकि इन कर्मचारियों की सेवा अवधि 20 साल से ऊपर होने जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

भेषज विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पदों में केवल ग्रेडिंग असिस्टेंट के वेतन का संशोधन नहीं हुआ है। 17 पदों में से 15 पद नियुक्त कर्मचारियों का स्थायीकरण भी किया जा चुका है तथा अवशेष दो पदों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

112—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि भेषज विकास योजना का विस्तार पर्वतीय जनपदों के अलावा अन्य जनपदों में क्यों नहीं हो पा रहा

है जबकि अन्य जनपदों में भेषज प्रजातियां काफी पायी जाती हैं? क्या यह सही है कि सन् 1965 में योजना का विस्तार मिर्जापुर, झांसी, बांदा जनपदों के लिए विचाराधीन था ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सहकारिता विभाग में इस समय भेषज विकास योजना का पर्वतीय जनपदों के अलावा अन्य जनपदों में विस्तार किये जाने की कोई योजना नहीं है। वर्ष 1965 में मिर्जापुर, झांसी तथा बांदा जनपदों में योजना के विस्तार किये जाने के विषय में, 20 वर्ष पुराने अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण, सूचना देना सम्भव नहीं है।

बरेली, बहेड़ी तहसील के ग्राम प्रधानों को दिया गया चार्ज

113–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की बहेड़ी तहसील में किन-किन ग्राम सभाओं में संबंधित प्रधानों को किन-किन कारणों से ग्राम समाज का पूरा चार्ज नहीं दिया गया है ? इन्हें कब तक चार्ज दे दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्राप्त सूचनानुसार तहसील बहेड़ी की सभी गांव सभाओं के प्रधानों को पूर्ण चार्ज दिया जा चुका है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

पांच मेगावाट की तापीय एवं जलीय विद्युत इकाइयों का विवरण

114–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दस वर्षों में प्रदेश में 5 मेगावाट से अधिक अधिष्ठापित क्षमता की तापीय एवं जलीय कौन-कौन सी विद्युत उत्पादन इकाइयां कार्यरत थीं तथा प्रत्येक वर्ष में इनमें से प्रत्येक का औसत प्लांट लोड फैक्टर कितना-कितना था ? प्रत्येक इकाई की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी ?

श्री सुनील शास्त्री–

विगत दस वर्षों में प्रदेश में 5 मेगावाट से अधिक अधिष्ठापित क्षमता की तापीय एवं जलीय इकाइयों का विवरण संलग्न है।† तापीय इकाइयों के प्लान्ट लोड फैक्टर (प्रतिशत) वर्षवार संलग्नक-1 में दर्शाये गये हैं। जलीय उत्पादन पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है और इसका उत्पादन सामान्यतः मिलियन यूनिट में ही आंका जाता है जो कि संलग्नक-2† में दिखाया गया है।

हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायती पत्र

115–श्री किरनपाल सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 15-6-85 बुलन्दशहर के हरिजन समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर की गयी छात्रवृत्ति की राशि के घोटाले के सम्बन्ध में मिला था? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती–स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

†छापी नहीं गयी।

बरेली जनपद के ग्राम हरसुनगला निवासी श्री सेवा राम के गेहूं को विद्युत से क्षति एवं मुआवजा

116—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 1ले शुक्र को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 42 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रश्नगत गेहूं विद्युत परिषद् की असावधानी से जल कर नष्ट हुआ तो क्या कारण है कि श्री सेवाराम पुत्र, श्री तोताराम, निवासी ग्राम हरसुनगला, तहसील व जिला बरेली को अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है? क्या मंत्री जी अविलम्ब ब्याज समेत मुआवजे का भुगतान कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

मुआवजा दिये जाने का मामला उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में अभी भी विचाराधीन है।

प्रदेश के ग्रामों का विद्युतीकरण एवं खम्भों का मानक

117—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामों की आबादी का विद्युतीकरण करते समय प्रत्येक ग्राम में लगाए जाने वाले खम्भों की संख्या को तय करने के लिये कोई मानक निर्धारण है? यदि हां, तो मानक क्या है? यदि नहीं, तो खम्भों की संख्या का निर्णय कैसे होता है?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं, खम्भों की संख्या का निर्णय गांव की भौगलिक स्थिति तथा विद्युत लेने वालों की संख्या पर निर्भर करता है।

बरेली के ब्लाक शेरगढ़ व मीरगंज के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

118—श्री जयदीप सिंह बरार—

द्वितीय सत्र 85 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित अताप्र0सं0 99 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बचे हुए ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु योजना में क्या कोई निश्चित समय दिया गया है? यदि हां, तो वह समय क्या है?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के विद्युत गृहों में अग्निकाण्ड को रोकने हेतु उपाय और ओबरा तापीय विद्युत गृह में अग्निकाण्ड एवं मरम्मत

119—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित ता0प्र0सं0-3 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित कोड के मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं तथा उन्हें लागू करने में कितने धन की आवश्यकता है? क्या इस धन की व्यवस्था करके उक्त कोड के क्रियान्वयन हेतु कोई निश्चित कार्यक्रम बना लिया है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

उल्लिखित कोड के मुख्य तीन बिन्दु हैं:—(1) अग्नि का पता लगाना (2) आग का फैलाव रोकना तथा (3) अग्नि नियंत्रण व्यवस्था। इनको ओबरा, हरदुआगंज तथा पनकी में लागू करने में क्रमशः लगभग रु0 7.5 करोड़, 2.5 करोड़ तथा 2.0 करोड़ की आवश्यकता है। इस अनुमानित धन की व्यवस्था "स्टेट स्पांसर्ड रेनोवेशन स्कीम" के अन्तर्गत की जा रही है। कोड की संस्तुतियों के क्रियान्वयन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

120—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तक अग्निकाण्डों से क्षतिग्रस्त कौन-टेबुल है? क्या इसके लिये आवश्यक धन प्रत्येक को ठीक करने का क्या टाइम टेबल है? क्या इसके लिये आवश्यक धन की व्यवस्था कर ली गयी है?

श्री सुनील शास्त्री—

अग्निकांडों से क्षतिग्रस्त हुई इकाइयों में से केवल ओबरा तापीय विद्युत गृह की 200 मेगावाट की इकाई संख्या-10 अभी उत्पादन नहीं कर रही है। इस इकाई को "रोल" कर दिया गया है तथा इस इकाई के कामर्शियल लोड पर फरवरी, 1986 में चालू होने की आशा है। अग्नि-कण्डों में क्षतिग्रस्त इकाइयों को ठीक करने के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था का प्राविधान कर लिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये आवंटित धनराशि और व्यय

121—श्री जयदीप सिंह बरार—

द्वितीय सत्र 85 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 122 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरा धन समय से व्यय न करने के क्या कारण थे और क्या यह सही है कि इस प्रकार आवंटित धनराशि को समय से व्यय न करने के कारण केन्द्र से आगामी वर्षों में धन प्राप्ति के समय यह कमी उत्तर प्रदेश के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है?

श्री सुनील शास्त्री—

योजना के लिये स्वीकृत धन को मार्च, 83 तक व्यय करने की कोई बंदिश नहीं है। योजनायें चल रही हैं। यह धन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण के रूप में लिया जाता है, अतः केन्द्र से आगामी वर्षों में धन प्राप्ति के समय इस कमी का उत्तर प्रदेश के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामों का विद्युतीकरण के लिए धन का प्राविधान और लक्ष्य

122—श्री जयदीप सिंह बरार—

द्वितीय सत्र 85 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित ता0प्र0सं0 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85-86 में तथा प्रदेश की सप्तम पंचवर्षीय योजना में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिये धन का प्राविधान किया गया है?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1985-86 में 4600 ग्रामों तथा सप्तम पंच-वर्षीय योजना में 25,170 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए धन का प्राविधान किया गया है।

123—श्री जयदीप सिंह बरार—

द्वितीय सत्र 85 के प्रथम शुक्र के लिये निर्धारित ता0प्र0सं0 19 के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने ग्राम ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है और इन सबके मार्च, 1995 तक विद्युती-करण करने हेतु प्रतिवर्ष औसतन कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करना पड़ेगा?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के कुल 1,12,568 ग्रामों के विरुद्ध अभी तक 48093 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इन सबके वर्ष 1995 तक विद्युतीकरण करने के लिये प्रतिवर्ष औसतन 4810 ग्रामों का विद्युती-करण करना आवश्यक होगा।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील की पोखरियों का पट्टा

124—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के घोसी तहसील की किन-किन ग्राम सभाओं ने अपने भूमि को किन-किन परिवारों को कितनी-कितनी धनराशि में पट्टों पर दिया है तथा उनके पट्टों की स्वीकृति कब और किस अधिकारी ने की है? जिन पोखरियों में बिना पट्टा प्राप्त किये कुछ ग्राम सभा पदाधिकारी खुद मछलियां मरवा कर स्वयं बेच रहे हैं तो उन पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ की घोसी तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

125—श्री विष्णु देव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ की तहसील घोसी के किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा किन-किन ग्रामों में पूरा होना शेष है? कब तक अधूरा कार्य पूरा हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बरेली जनपद के शीशगढ़ बहेड़ी मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

126—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के स्पेशल लैण्ड एक्वीजीशन अधिकारी अथवा जिलाधिकारी के पास विभिन्न विभागों द्वारा किसानों की भूमि पर जनहित के कार्यों का सम्पादन करने हेतु कब्जा कर लेने के पश्चात् मुआवजे के भुगतान हेतु कितना-कितना धन कब-कब जमा कर दिया गया है? क्या मंत्री जी इस धन का भुगतान किसानों को तीन महीनों के अन्दर करांने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बरेली में केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग की शीशगढ़-बहेड़ी मार्ग परियोजना के लिए 65 एकड़ भूमि, 17 ग्राम क्रमशः शीशगढ़, बीसलपुर, लखा, जियानगला, कुतबपुर, पंडरी, कनकटी उर्फ कनकपुरी, मनकरा, शहपुरा मानपुर सुल्तानपुर, टाडामीर नगर, चगासी, दौलतपुर, उनई मकरका, नई खालसा एवं नरायन नगला की अर्जित की गई है जिसके लिए अध्याप्ति निकाय से प्रतिकर की धनराशि रुपये 9,34,375 जमा करायी जा चुकी है। अधिग्रहीत भूमि पर दिनांक 9-12-85 को कब्जा दिया गया है और ग्राम चगासी, पंडरी, बीसलपुर एवं नारायण नगला की भूमि का प्रतिकर रु0 1,35,202-68 पैसा का भुगतान 22-1-86 को किया जा चुका है। शेष 13 ग्रामों के अभिनिर्णय तैयार कर लिये गये हैं जिनकी जांच की जा रही है। इन ग्रामों से सम्बन्धित भू-स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान 3 माह के अन्दर कर दिया जायेगा।

रामपुर में राजकीय पालीटेक्निक, औद्योगिक संस्थान एवं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

127—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के स्पेशल लैण्ड एक्वीजीशन अधिकारी अथवा जिलाधिकारी के पास विभिन्न विभागों द्वारा किसानों की भूमि पर जनहित के कार्यों का सम्पादन

करने हेतु कब्जा कर लेने के पश्चात् मुआवजे के भुगतान हेतु कितना-कितना धन कब-कब जमा कर दिया है? क्या मंत्री जी इस धन का भुगतान किसानों को तीन महीने के अन्दर कराने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

रामपुर में वर्तमान समय में केवल राजकीय पालीटेक्निक, औद्योगिक संस्थान एवं भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के लिए अधिग्रहीत भूमि के लिए प्राप्त प्रतिकर की धनराशि क्रमशः रु0 4,95,000 दिनांक 17-4-84 को, रु09,30,428 दिनांक 12-8-85 को एवं 20,00,000 दिनांक 31-7-85 को कोषागार में जमा किया जा चुका है। उक्त तीनों अध्याप्ति निकाय को क्रमशः 14-6-85, 17-9-85 एवं 6-1-86 को उनके लिए अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा देकर 80% अनुमानित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को नियमानुसार किया जा चुका है। तीनों प्रकरणों में अवार्ड तैयार किया जा रहा है तथा अवार्ड की घोषणा के उपरान्त शेष प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा।

नैनीताल जिले में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजे का भुगतान

128–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के स्पेशल लैण्ड एक्वीजीशन अधिकारी अथवा जिलाधिकारी के पास विभिन्न विभागों द्वारा किसानों की भूमि पर जनहित के कार्यों का सम्पादन करने हेतु कब्जा कर लेने के पश्चात् मुआवजे के भुगतान हेतु कितना कितना धन कब-कब जमा कर दिया है? क्या मंत्री जी इस धन का भुगतान किसानों को तीन महीने के अन्दर कराने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद नैनीताल के 7 ग्रामों की 207 एकड़ भूमि का कब्जा सम्बन्धित विभागों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अर्जित करके दिया गया है जिसके सापेक्ष कुल 1,08,33,445-80 पैसा का अनुमानित प्रतिकर जमा है। इन सभी मामलों में सम्बन्धित काश्तकारों को नियमानुसार अग्रिम का भुगतान रु0 12,86,661-29 पैसा किया जा चुका है व अन्तिम भुगतान एवार्ड घोषित करने के बाद किया जायेगा। यह कार्य 3 माह के अन्दर पूरा करा दिया जायेगा।

आजमगढ़ में ग्राम कबलपुरा की चकबन्दी

129–श्री विष्णु देव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कबलपुरा (कुंवरपुरवा) जनपद आजमगढ़ में बांध के उत्तर करीब 400 एकड़ भूमि चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 15-5-85 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया के ग्राम श्रीपत खण्ड के विद्युतीकरण सम्बन्धी कथित प्रार्थना-पत्र

130–श्री विष्णु देव–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सुन्दर सिंह शेरे का पत्र दिनांक 16-1-85 शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ग्राम श्रीपत खण्ड पोस्ट बसडीला पाण्डेय विद्युत सब स्टेशन कसया जिला देवरिया जहां लगभग 15 वर्ष पूर्व खम्भे गड़े रहने एवं पावर कनेक्शन हेतु 5 व्यक्तियों द्वारा धन जमा करने के बावजूद संबंधित आवेदकों को अभी तक विद्युत कनेक्शन

नहीं दिया गया है और न ही हटाया गया ट्रांसफार्मर ही पुनः लगाया गया है? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री—

श्री राम सुन्दर सिंह शेरे का पत्र दिनांक 16-1-85 शासन में उपलब्ध नहीं है। ग्राम श्रीपत खण्ड पोस्ट वसडीला पांडेय विद्युत सब स्टेशन कसया (देवरिया) के किसी भी व्यक्ति ने न तो पावर कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है और न ही धन जमा किया है। अस्तु कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक ट्रांसफार्मर को पुनः लगाने की बात है, उक्त ट्रांसफारर्मर केवल एक निजी नलकूप तथा एक पंखा/बत्ती का कनेक्शन देने हेतु लगाया गया था परन्तु उक्त कनेक्शन क्रमशः फरवरी, 80 व मई, 81 में स्थायी रूप से कट जाने के कारण ट्रांसफारमर को अनुपयोगी होने व चोरी होने के भय से नवम्बर, 81 में हटा लिया गया। सूचनीय है कि उक्त ग्राम के 4 व्यक्तियों ने पंखा/बत्ती कनेक्शन हेतु अर्नेस्ट मनी 25 रु0 दिनांक 14-11-84 को जमा किया परन्तु अभी तक उनके द्वारा न तो औपचारिकतायें पूर्ण की गयी हैं और न ही धन जमा किया गया है। अतः कार्य पूर्ण किये जाने का औचित्य नहीं बनता।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की प्रति नियुक्ति

131—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतायेंगे कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक कितने समय से प्रतिनियुक्ति पर अपने मूल विभाग से बाहर हैं ? इसका क्या औचित्य है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ दिनांक 17-10-84 के अपराह्न से अपने पैतृक विभाग के बाहर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। उन्हें, उनकी सेवाओं की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त संस्था में बाह्य सेवा पर भेजा गया है।

बांदा जनपद के ग्राम सरधुवा में तकावी ऋण पर ब्याज की वसूली

132—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सूखा बाढ़ आदि से प्रभावित स्थानों पर जो तकावी वितरित की जाती है उस पर शासन साढ़े पांच प्रतिशत के स्थान पर बारह प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल कर रही है? यदि नहीं, तो बांदा जिले के ग्राम सरधुवा में ऐसा किसके आदेश से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन पुनर्विचार कर दैवी आपदा से पीड़ित किसान को राहत देने हेतु ब्याज की दर कम कर साढ़े पांच प्रतिशत ही वसूल करेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

नियमानुसार, दिनांक 1-7-84 से तकावी ऋण पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि समय से भुगतान करने पर 3-3/4 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी और अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि भूसंरक्षण के प्रयोजनों के लिए या प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा उत्पन्न आपदा निवारण हेतु ऋण देने या जहां ऋण का वितरण पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाय, तो छूट की दर साढ़े 6 प्रतिशत होगी। पहली किश्त समय पर अदा न करने के फलस्वरूप ग्राम सरथुवा में तकावी की वसूली 12 प्रतिशत ब्याज की दर से की जा रही है। परगनाधिकारी कर्वी द्वारा ग्रामीणों की आपत्तियों का समाधान किया जा चुका है।

आजमगढ़ में विद्युत विभाग के सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

133—श्री विष्णु देव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में किन-किन विद्युत सहायक अभियन्ताओं का वर्ष 1985 में स्थानान्तरण कहां-कहां किया गया है और उसका आधार क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1985 में जनपद आजमगढ़ में नियुक्त जिन सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण परिषदीय कार्य के हित में अन्य जनपदों में किया गया है उनके नाम, तत्कालीन पद तथा स्थानान्तरणोपरान्त पद/स्थान संलग्न तालिका में इंगित हैं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ पर 88)

ग्रामीण फीडरों पर मीटर लगाने की मांग

134—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि इस समय ग्रामीण फीडरों को प्रतिदिन दी जाने वाली बिजली के समय का विवरण सब स्टेशन पर मौजूद एक रजिस्टर पर रखा जाता है जिसमें गलत इन्द्राज होने की सम्भावना तथा शिकायत रहती है ? क्या मंत्री जी इस व्यवस्था के स्थान पर प्रत्येक फीडर पर एक आवर मीटर लगाने का निर्देश देंगे जिससे इस फीडर को दी गई बिजली के कुल समय का सही आंकलन हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

ग्रामीण फीडरों पर आवर मीटर लगाने पर भी बिजली परिचालन के कुल समय में गलत आंकलन करने की सम्भावना बनी रहेगी । अतः इस प्रकार की व्यवस्था करना समस्या का समाधान नहीं है ।

प्रदेश के ग्रामों का एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण

135—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल ग्रामों में से कितने ग्रामों में वास्तव में एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा कितने ग्रामों में विद्युत प्रकाश हेतु खम्भे और तार डालकर विद्युत प्रवाह चालू कर दिया गया है?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश के कुल 1,12,568 ग्रामों (1981 की जनगणना के अनुसार) में से 32,297 ग्रामों में एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण दिसम्बर, 1985 तक किया जा चुका है (28.7 प्रतिशत)। उक्त सभी ग्रामों में विद्युत प्रकाश हेतु खम्भे और तार डालकर विद्युत प्रवाह चालू कर दिया गया है ।

136—श्री जयदीप सिंह बरार—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

बरेली, बहेड़ी तहसील की ग्राम सभाओं के सम्पत्ति रजिस्टर

137—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के समस्त ग्राम समाजों के सम्पत्ति रजिस्टर अद्यावधिक है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इन्हें एक निश्चित अवधि के अन्दर पूरा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम सभाओं के सम्पत्ति रजिस्टरों को अद्यावधिक कराया जा रहा है । जिनके शीघ्र पूर्ण हो जाने की आशा है ।

ग्राम समाज भूमि एवं सीलिंग भू आवंटियों को कृषि विकास हेतु ऋण दिये जाने का प्राविधान

138—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज व सीलिंग भू आवंटियों को कृषि विकास हेतु ऋण देने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक ऋण देने का प्राविधान किया जायेगा ताकि संबंधित भू आवंटी अपने भूमि का विकास कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें तथा आवंटन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम सभा भूमि के आवंटी को कृषि विकास हेतु शासन द्वारा ऋण देने का कोई प्राविधान नहीं है । सीलिंग भू-आवंटियों को कृषि विकास हेतु 1000/- प्रति एकड़ की दर से सेन्ट्रल सेक्टर योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है ।

राजकीय नलकूपों एवं निजी नलकूपों को स्वीकृत विद्युत लोड

139—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी ऊर्जीकृत राजकीय नलकूपों तथा निजी नलकूपों का कुल स्वीकृत विद्युत लोड कितना है ?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश के राजकीय नलकूपों एवं निजी नलकूपों का विद्युत लोड 31 मार्च, 1985 को क्रमशः 2,82,787 के0 डब्लू0 तथा 18,31,254 के0 डब्लू0 है।

प्रदेश में राजकीय नलकूपों निजी नलकूपों, उद्योगों आदि द्वारा विद्युत खपत

140—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रदेश की कुल विद्युत खपत का कितने प्रतिशत भाग क्रमशः राजकीय नलकूपों, निजी नलकूपों, घरेलू उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक उपयोग तथा उद्योगों द्वारा खर्च किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के कुल विद्युत खपत का निम्न वर्गों में विद्युत खपत निम्न प्रतिशत रहा:—

	राजकीय नलकूप	निजी नलकूप	घरेलू	वाणिज्य	उद्योग
1980—81	7·18	25·18	12,04	4,01	38,98
81—82	5·42	25·61	12·88	4·49	41·00
82—83	6·61	24·90	12·59	3·91	39·56
83—84	6·51	24·16	12·16	5·64	37·42
84—85 (अनन्तिम)	6·51	23·99	13·83	5·49	37·34

प्रदेश में लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं भारी उद्योगों द्वारा विद्युत खपत

141—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्ष में प्रदेश में विद्युत बोर्ड द्वारा सप्लाई की गई विद्युत में से उद्योगों द्वारा कुल कितनी विद्युत खपत हुई तथा इसमें प्रत्येक वर्ष लघु, मध्यम तथा भारी उद्योगों का कितना-कितना प्रतिशत भाग रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री–

पिछले पांच वर्षों में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सप्लाई की गई विद्युत में से उद्योगों द्वारा निम्न खपत हुई एवं लघु, मध्यम तथा भारी उद्योगों का निम्न प्रतिशत रहा:–

वर्ष	कुल उद्योगों द्वारा विद्युत खपत (मि0 यूनिट में)	विद्युत बोर्ड द्वारा सप्लाई में से लघु एवं मध्यम उद्योगों का प्रतिशत	भारी उद्योगों का प्रतिशत
1980–81	3195.592	7.76	31.22
1981–82	3548.570	8.03	32.97
1982–83	4063.874	7.70	31.86
1983–84	4051.980	7.47	29.95
1984–85 (अनन्तिम)	4166.858	7.93	29.41

जिला सहकारी बैंक लि0, बरेली के कर्मचारी, श्री हर्षवर्धन गंगवार की वरिष्ठता सूची

142–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0 बरेली के कर्मचारी श्री हर्षवर्धन गंगवार की वरिष्ठता निर्धारण का विवाद उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ में 1979 से लम्बित है ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक विवाद का निर्णय न देने के क्या कारण हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, वरिष्ठता सम्बन्धी विवाद माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा श्री हर्ष वर्धन गंगवार के प्रत्यावेदन पर निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है ।

शाहजहांपुर जिले की ग्राम सभा हर्रायपुर की भूमि का पट्टा

143–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अंतर्गत तह0 पुवायां, परगना खुटार के ग्राम सभा हर्रायपुर में दिनांक 12-11-83 को ग्राम सभा की भूमि का 161 पट्टों द्वारा आवंटन किया गया? यदि हां, तो यह किन-किन व्यक्तियों को दिया गया तथा इन आवंटियों की पात्रता का मापदंड क्या था और क्या पूरे ग्राम सभा सर्किल के खेत मजदूरों, भूमिहीनों की सूची बनाई गई थी? क्या फर्जी पट्टों के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा है और शिकायत कर्त्ता श्री माया प्रकाश ने जांच अधिकारी श्री रणजीत सिंह पंकज के समक्ष हाई कोर्ट की रूलिंग के साथ बयान दाखिल किया था? क्या जांच कार्यवाही पूरी हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम सभा हर्रायपुर में दिनांक 12-11-83 को नहीं, बल्कि दिनांक 12-11-82 को 161 पट्टे दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया जिनमें से 28 पट्टे जांच के समय अस्वीकृत किये गये तथा शिकायत होने पर 22 पट्टे और अनियमित प्रतीत होने पर उनके

खारिज करने हेतु अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय में वाद दायर किये गये जो अभी विचाराधीन हैं ।

इन आवंटियों की पात्रता का मापदंड नियमानुसार ही रखा गया था और ग्राम सभा के 6 ग्राम—1. मंडनपुर मु0 सुजानपुर, 2. मैंनिया मु0 महुआ. 3. सुजानपुर, 4. टोडरपुर तह0 खुटार, 5. चठिया बलरामपुर, 6. बन्डुलिया, जिनके कागजात मौजूद थे, उनमें ही भूमिहीनों की सूची बनाई गई थी तथा शेष 6 ग्राम-1. हरायपुर, 2. पुनौतीखुर्द, 3. घुमौती कलां, 4. तिलोकपुर, 5. कजरा, 6. चकदता के कागजात लेखपाल श्री सूरज प्रसाद सेवा-निवृत होने के बाद लेकर भाग गये थे। इसलिए उपलब्ध 6 ग्रामों के अलावा शेष ग्रामों का आवंटन नहीं हो सकता । इस समय फर्जी पट्टों के सम्बन्ध में कोई आन्दोलन नहीं चल रहा है ।

श्री माया प्रकाश ने 22 अनियमित पट्टे जिनके निरस्तीकरण के बाद अपर कलेक्टर, न्यायालय में चल रहे हैं, में आपत्ति प्रस्तुत की है ।

मुरादाबाद जिले की तहसील अमरोहा में तहसीलदार के पद पर नियुक्ति

144—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद की तह0 अमरोहा में तहसीलदार का स्थान काफी दिनों से रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो तहसीलदार की नियुक्ति न होने के क्या कारण हैं तथा सरकार अमरोहा में तहसीलदार भेजने का कब तक इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । तहसील अमरोहा में तहसीलदार के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है ।

बाराबंकी के ग्राम बरावां के तालाब भूमि की चकबन्दी

145—श्री पूरन सिंह माहरा —

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तालाब नं0 26 ग्राम बरावां परगना रुदौली तहसील राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी का रकबा चकबन्दी के पहले कितना था और चकबन्दी के बाद कितना है? क्या यह सही है कि उक्त तालाब को उसी गांव के किसी व्यक्ति के चक में भर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बरावां, परगना रुदौली तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी का गाटा सं0—26 का रकबा 05-15 आधार वर्ष खतौनी के खाता संख्या 195 में तालाब वर्ग 6 अंकित है तथा चकबन्दी क्रियाओं में भी उक्त गाटे का यही क्षेत्रफल अंकित किया गया है ।

यह सत्य है कि गाटा सं0 26/2, रकबा 0-3-0 रामधीरज, पुत्र दीना के चक सं0 230 में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तालाब से भूमि प्रदिष्ट की गई है । सहायक चकबन्दी अधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार तालाब का बटा चकदार के मूल गाटा 28 में शामिल होने तथा चकदार के चक की आकृति चौकोर बनाये रखने के कारण उसे चक में प्रदिष्ट किया गया ।

कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद के कर्मचारी श्री बंशीलाल के स्थायीकरण की मांग

146—हाजी मोहम्मद हयात —

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि कलेक्ट्रेट मुरादाबाद में एक कर्मचारी श्री बंशी लाल, लिपिक के पद पर वर्ष 1947 से लगातार कार्य कर रहा है ? उसको अभी तक स्थायी घोषित न किये जाने का क्या कारण है तथा उनको कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री बंशी लाल देश के विभाजन के फलस्वरूप आये हुए शरणार्थी होने के कारण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार विशेष रूप से मानवीय दृष्टिकोण पर वर्ष 1947 में लिपिक पद पर बिना मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र देखे हुये इस आश्वासन पर कि वह बाद में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे, नियुक्त किये गये। नियुक्ति के समय से आज तक श्री बंशी लाल न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। इस अवधि के बीच श्री बंशी लाल की सेवायें विभागीय कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दो बार समाप्त हुई जो न्यायालय के आदेशानुसार सेवा-समाप्ति के आदेश निरस्त हुये। तदनुसार यह सेवा में अस्थाई रूप से बने रहे। इनकी दीर्घ सेवाओं को देखते हुए इनको स्थाई किये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। सक्षम अधिकारी (राजस्व परिषद, उ0 प्र0) से इन्हें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। परिषद् द्वारा शैक्षिक योग्यता से मुक्ति प्रदान किये जाने के उपरान्त ही इनको स्थाई किया जाना सम्भव होगा।

श्री हजरत अली, सहायक वासिल बाकी नवीस, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर की सेवा समाप्ति सम्बन्धी पत्र

147—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20-6-85 को कोई पत्र श्री हजरत अली सहायक वासिल बाकी नवीस फरेन्दा, कलेक्ट्रेट गोरखपुर को सेवा से निष्कासित करने से संबंधित दिया था? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दिनांक 20-6-85 का नहीं बल्कि दि0 20-6-84 का पत्र प्राप्त हुआ है। श्री हजरत अली सहित कुछ अन्य वासिल बाकी नवीसों की नियमित नियुक्ति का मामला राजस्व परिषद् स्तर पर विचाराधीन है।

बाराबंकी के तहसीलदार, श्री कमला प्रसाद सिंह का स्थानान्तरण

148—श्री अशोक वाजपेयी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि अब से लगभग 16 वर्ष पूर्व राजस्व परिषद् द्वारा श्री कमला प्रसाद सिंह की नियुक्ति जनपद बाराबंकी की नवाबगंज तह0 में बतौर कानूनगो की गयी थी और नियुक्ति के 6 वर्ष बाद तत्कालीन जिला अधिकारी, बाराबंकी द्वारा उनकी अस्थाई पदोन्नति करके नायब तहसीलदार (सीलिंग) बना दिया गया? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उन्हें शासन द्वारा बनाये गये नियमों के विपरीत एक ही जिले में 16 वर्षों तक लगातार रखे जाने का औचित्य क्या है और क्या सरकार संदर्भित मामले की जांच कराकर स्थानान्तरण करने तथा दोषी अधिकारी को दंडित करने की कृपा करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

राजस्व परिषद् द्वारा नहीं बल्कि आयुक्त, फैजाबाद मंडल द्वारा वर्ष 1970 में श्री कमला प्रसाद सिंह की नियुक्ति जनपद बाराबंकी में सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर की गयी। जनवरी, 1972 से 15-4-74 तक वह जनपद की तहसील नवाबगंज में सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर कार्यरत रहे। तत्कालीन जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा उन्हें 16-4-74 से स्थानीय प्रबंध में नायब तहसीलदार (सीलिंग) के पद पर नियुक्त किया गया। श्री कमला प्रसाद सिंह, स्थायी सुपरवाइजर कानूनगो हैं। सुपरवाइजर कानूनगो की एक जनपद में बनाये रखने की निर्धारित अवधि 10 वर्ष की पूर्ण होने पर आयुक्त, फैजाबाद

मंडल द्वारा श्री सिंह का स्थानान्तरण 2 बार किया गया किन्तु जनपद में सीलिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने तथा श्री सिंह द्वारा सीलिंग का कार्य पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करने के कारण जिलाधिकारी द्वारा उनका स्थानांतरण स्थगित रखा गया । राजस्व परिषद् के इस आशय के आदेश भी हैं कि जिन नायब तहसीलदारों का सीलिंग का कार्य अच्छा हो उनका स्थानांतरण परिपक्व होने पर भी उन्हें स्थानांतरित न किया जाये । श्री सिंह को शासकीय तथा सीलिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य के हित में बनाये रखा गया था । नियमों के विपरीत कोई कार्यवाही नहीं की गयी है अतएव किसी को दण्डित करने की आवश्यकता नहीं है। परिषद् के आदेश दिनांक 3.12.85 द्वारा श्री सिंह को नायब तहसीलदार के पद पर तदर्थ प्रोन्नत करके लखनऊ मंडल में तैनात किया गया है । परिषद् के इन आदेशों के अनुपालन में आयुक्त, लखनऊ मंडल द्वारा श्री सिंह की तैनाती जनपद लखनऊ में की गयी । दिनांक 26-12-85 को जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा श्री सिंह को उनके कार्य से मुक्त कर दिया गया है तथा उन्होंने जनपद लखनऊ में अपने पद का कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है । इस समय श्री सिंह जनपद लखनऊ में सदर कानूनगो के पद पर कार्यरत हैं

श्री शिवराज, निवासी ग्राम चोटिहा मजरा चैनपुर, जिला उन्नाव का ऋण सम्बन्धी शिकायती पत्र

149—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि श्री शिवराम पुत्र श्री राम औतार, निवासी ग्राम चोटिहा मजरा चैनपुर, वि0 खं0 सुमेरपुर जिला उन्नाव के एक शिकायती पत्र पर जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां उन्नाव ने पत्रांक 180/स0 वि0/संग्रह/जांच दिनांक 18-2-84 द्वारा अपर जिला सहकारी अधिकारी/तहसील प्रभारी पुरवा को उक्त शिकायती पत्र की जांच करने को सौंपा था? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और जांच के क्या परिणाम सामने आये हैं?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां, वसूली की समस्त कार्यवाहियां स्थगित कर दी गई थीं । जांच के परिणामस्वरूप सदस्य का ऋण सन्देहास्पद पाया गया, जिसके "राइटआफ" की कार्यवाही की जा रही है ।

थानाध्यक्ष, कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा लिया गया अवैधानिक विद्युत कनेक्शन

150—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 5वें शुक्र के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 4 के प्रत्युत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष द्वारा अवैधानिक विद्युत कनेक्शन लेने के अपराध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुनील शास्त्री—

थानाध्यक्ष, कुमारगंज फैजाबाद द्वारा अवैधानिक रूप से उपभोग की गई विद्युत का अनुमानित बिल रू0 178.60 दिनांक 4-9-85 को राज्य विद्युत परिषद् द्वारा भेजा गया । इसका भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

अवैधानिक रूप से विद्युत उपभोग के लिए कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही के लिए ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को सम्पूर्ण तथ्य उपलब्ध करा दिए गए हैं ।

बाल विकास परियोजना, औरास, जनपद उन्नाव में दूषित पोषाहार के फलस्वरूप बच्चों की कथित मृत्यु एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र

151—श्री मित्रसेन—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास परियोजना औरास, जनपद उन्नाव में माह अक्टूबर, 83 में बच्चों की मृत्यु दूषित पोषाहार से हुई ? यदि हां, तो उनकी आयु व स्थाई पता क्या है ? मृत्यु से संबंधित चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा स्पष्ट पोष्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है तथा मृत दर्शाये गये बच्चे/व्यक्ति के उक्त परियोजना के आंगन बाड़ी केन्द्र में पंजीकृत होने का दिनांक क्या है ? क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में औरास क्षेत्र में कोई संक्रामक रोग व्याप्त था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

बाल विकास परियोजना औरास जनपद उन्नाव में माह अक्टूबर 83 में 6 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे की मृत्यु दूषित पोषाहार से नहीं हुई है । अतः चिकित्सा प्रमाण-पत्र, पोष्ट मार्टम रिपोर्ट तथा पंजीकरण से संबंधित सूचना का प्रश्न नहीं उठता । औरास क्षेत्र में उक्त अवधि में संक्रामक रोग व्याप्त होने के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सूचना मांगी गई है ।

152—श्री मित्रसेन—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त परियोजना के खाद्यान्नों का सैम्पुल जन विश्लेषक को भेजा गया था ? यदि हां, तो जन विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो संबंधित बाल विकास परियोजना औरास उन्नाव को जारी पत्र दि0 24-2-84 जिससे क्रमशः 2 तथा 5 सैम्पुल दर्शाये गए हैं को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव द्वारा जारी प्रमाल पत्र दिनांक 24-2-84 की प्रतिलिपि प्रस्तुत है (संलग्न)

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 89 पर)

गोरखपुर जिले के ग्राम हैमधापुर तप्पा केवटली के श्री शिवधन को भूमि का पट्टा

153—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री शिवधन पुत्र बन्धु हरिजन, ग्राम हैमधापुर तप्पा केवटली, तह0 सदर थाना पिपराइच, जनपद गोरखपुर को 19-6-71 को 3-92 एकड़ भूमि का परगनाधिकारी सदर गोरखपुर द्वारा पट्टा हुआ था ? यदि हां, तो क्या 22-10-81 को जिलाधिकारी द्वारा कब्जा दिलाया गया एवं 22-9-82 को एस0 एस0 पी0, गोरखपुर द्वारा दूसरी बार कब्जा दिलाया गया था ? यदि हां, तो क्या शिवधन हरिजन का उक्त भूमि पर कब्जा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुनः कब्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

केवल 2.36 एकड़ का पट्टा किया गया था ।

श्री शिवधन के बयान के अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा कब्जा दिलाये जाने की पुष्टि किसी अभिलेख द्वारा नहीं होती ।

वर्तमान समय में 1.99 एकड़ भूमि पर शिवधन का कब्जा है, किन्तु शेष 0.37 एकड़ पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है ।

आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय के उपरान्त यथाविधि कार्यवाही की जायगी ।

देवरिया जिले में स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम के अन्तर्गत बैलगाड़ी एवं दुधारू पशुओं के लिये दिया गया ऋण

154—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 81-82, 82-83, 83-84 में बैलगाड़ी तथा दुधारू पशुओं के लिए कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया? क्या शासन द्वारा खरीददारों को प्राप्त होने वाली सब्सिडी भेज दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? उन्हें शासन कब तक सब्सिडी की धनराशि प्रेषित कर देगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जनपद देवरिया में बैलगाड़ी तथा दुधारू पशुओं के लिये वर्ष 1981-82, 82-83, 83-84 में 2073 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया गया तथा 2060 व्यक्तियों को सब्सिडी दी गई। केवल 13 व्यक्तियों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी क्योंकि लाभार्थियों द्वारा ब्लाक स्तर पर आवश्यक कागजात एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये। लाभार्थियों से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर सब्सिडी नियमानुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।

साधन सहकारी समिति, सकरापार अरईपार, जिला देवरिया के अन्तर्गत पी0 डी0 एस0 के काम की बन्दी

155—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति, सकरापार अरईपार, वि0 खं0 बैतालपुर, जनपद देवरिया में पी0 डी0 एस0 का काम वर्ष 83 से क्यों बन्द है? क्या इस समिति के लिपिक/विक्रेता को 22-8-83 को निलम्बित किया गया? यदि हां, तो क्या कारण था? इस समिति को वित्तीय त्रुटियों की जानकारी स्थानीय अधिकारियों जिला सहायक निबंधक को कब हुई थी तथा अनियमितता प्रकाश में आने के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा कब तथा क्या कार्यवाही हुई?

श्री अरुण कुमार सिंह—

साधन सहकारी समिति सकरापार अरईपार, विकास खण्ड बैतालपुर, जनपद देवरिया में वित्तीय अनियमिततायें होने के कारण जुलाई, 83 से जनवरी, 85 तक पी0 डी0 एस0 का काम बन्द रहा। परन्तु फरवरी, 85 से कार्य प्रारम्भ हो गया है।

समिति की वस्तुओं के बिक्री के धन को मनमाने ढंग से रोकने तथा बैंक में जमा न करने के कारण समिति के लिपिक/विक्रेता को निलम्बित किया गया था।

वित्तीय त्रुटियों की जानकारी दिनांक 16-10-82/27-6-83 को हुई थी। सितम्बर, 83 में जांच करने तथा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सहायक विकास अधिकारी (सह0) को आदेश दिये गये थे। जांचोपरान्त दिनांक 15-5-84 से समिति के विक्रेता/लिपिक को हटा दिया गया है।

देवरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

156—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में माह अप्रैल, मई, जून, 1985 में औसतन प्रतिदिन कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की गयी है? क्या

जुलाई, 85 में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के किसानों के नियमित विद्युत आपूर्ति न मिलने के कारण उनसे लिये जाने वाले नियत दर को समाप्त कर उनसे विद्युत आपूर्ति के अनुपात में उतना ही चार्ज लिया जायेगा, जितना उन्हें विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो ऐसा न करने के कारण क्या हैं ?

श्री सुनील शास्त्री–

देवरिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 7 घंटे प्रतिदिन निर्धारित के सापेक्ष माह अप्रैल, मई एवं जून, 85 में क्रमशः 5 2/4 घं0, 6 3/4 घं0 तथा 8 1/4 घं0 विद्युत आपूर्ति प्रणाली नियंत्रण द्वारा की गई।

माह जुलाई, 85 में 21 ता0 तक औसत 7 घंटे प्रतिदिन, तत्पश्चात् 10 घं0 प्रतिदिन की व्यवस्था रही है। माह जुलाई, 85 में देवरिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को 10 1/2 घंटे प्रतिदिन (औसत) विद्युत आपूर्ति प्रणाली नियंत्रण द्वारा की गई।

केवल देवरिया के ही नहीं अपितु प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की निर्धारित दर लगभग 3 घंटे प्रति दिन (औसत) के विद्युत उपभोग से पूर्ण हो जाती है जबकि विद्युत आपूर्ति का औसत इससे कहीं अधिक आता है।

शाहजहांपुर की तहसील सदर के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी एवं लगाये गये पत्थर

157–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के तहसील सदर के ग्राम खमरिया, अजीजपुर जिगनेश गन्धार बरुआ बुजुर्ग एवं तहसील जलालाबाद के ग्राम कुंवरपुर, वांक बहादुरपुर, उदरापुर, लहसन्डी, अन्डपुर रुकमपुर, आगरा तिलऊआ, सिउड़ी गुलहा मलेवा जहां चकबन्दी कार्य चल रहे हैं एवं सरकार की ओर से पत्थर लगाये जाने थे, फर्जी जमाबन्दी बनाकर काश्तकारों से भुगतान ले लिया गया है एवं पत्थर केवल कागजों पर खरीदे दिखाये गये हैं परन्तु चकों में नहीं लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्या शासन इस सम्बन्ध में कोई जांच करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में कब्जा परिवर्तन के समय चकों की अन्तिम पैमाइश करके पत्थर लगाये गये थे। यह सही नहीं है कि फर्जी जमाबन्दी बनाकर काश्तकारों से भुगतान ले लिया गया है। चकबन्दी अधिकारी द्वारा मौके पर जांच कर ली गई है ? इन ग्रामों में चकों पर पत्थर लगे पाये गये हैं। सम्बन्धित ग्रामों के ग्राम सभा प्रधानों ने प्रमाण पत्र दिये हैं कि चकों का पैमाइश के समय उनके ग्रामों में चकों पर पत्थर लगवाये गये हैं। उक्त स्थिति में जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

158–डा0 दिनेश जौहरी–

[पहले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

159–160–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[1ले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0-44–45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

161–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नत्थू सिंह के निधन की सूचना अधिकारियों द्वारा समय से न भेजे जाने पर आपत्ति

(12 बजकर 20 मिनट पर)

श्री राम सरन–

मान्यवर, आपसे मेरा एक अनुरोध है कि नवम्बर के पहले सप्ताह में श्री नत्थू सिंह, जो मैनपुरी जिले से एम0 एल0 ए0 रहे थे, की डेथ हुई और उनके दाह संस्कार में अधिकारी लोग भी गये थे किन्तु आज की जो सूची आयी है उसमें उनका कहीं जिक्र नहीं है। इसलिये मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों की मृत्यु हो जाये उसकी सूचना अधिकारी लोग समय पर भेज दिया करें ताकि सदन उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर सके।

विधान सभा सदस्य, श्री डूंगर सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, बड़े दु:ख के साथ इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस सम्मानित सदन के सदस्य श्री डूंगर सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन 2 जनवरी, 1986 को प्रात: 10 बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चिकित्सालय, नई दिल्ली में हृदयगति रुक जाने से हुआ। वे 68 वर्ष के थे। उनका जन्म 18 मार्च, 1918 को जनपद अलीगढ़ के एक ग्राम सूरतगढ़ में हुआ था। उन्होंने एम0 एस-सी0, एल-एल0 बी0 की शिक्षा प्राप्त की और 1957, 1962, 1985 में इस सदन के सदस्य रहे। इसके अलावा वह उ0 प्र0 विधान परिषद् के सदस्य भी रहे एवं 1980 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्होंने हर तरह से समाज में रहकर समाज की सेवा की। वह कोआपरेटिव बैंक के निदेशक रहे और उन्होंने बहुत से विद्यालय खोलकर समाज की सेवा की। उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिये बहुत बड़ा कार्य किया। उनके निधन से इस प्रदेश और देश को बड़ी क्षति पहुंची है। आप इस सदन की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक भिजवाने की कृपा करें।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, नेता सदन ने जो विचार स्वर्गीय डूंगर सिंह के बारे में व्यक्त किया है उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, वह एक विद्वान और प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति थे। वह इस माननीय सदन के तीन बार सदस्य रहे, वह विधान परिषद् के और लोक सभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने व्याकरण की और अन्य पुस्तकें लिखी हैं। उनके निधन से हमीरपुर जिले ने ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता ने एक राजनीतिज्ञ खो दिया जिसकी पूर्ति होना मुश्किल होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्री डूंगर सिंह के शोक संतप्त परिवार तक मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें आप भेजने का कष्ट करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो सभी के लिये, जिनका सूची में नाम है, एक साथ शोक प्रकट कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

इनका हो जाने दें। बाद में सभी के लिये एक साथ शोक संवेदनायें प्रकट करेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, डूंगर सिंह जी इस सदन में तीन बार सदस्य रहे और उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिभा से सभी परिचित हैं। उनका जन्म 18 मार्च, 1918 को अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने एम0 एस-सी0 और एल-एल0 बी0 की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्होंने हमीरपुर में, खासतौर से उनकी सेवाओं को वहां के लोग हमेशा याद रखेंगे। वह विधायक ही नहीं थे बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां थीं और आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। निर्बल वर्ग के लोग खासतौर से उनके कार्यों की याद करेंगे क्योंकि उन्होंने पिछड़े, दबे और थके लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मान्यवर, मैं और मेरा दल आपके द्वारा उनके परिवार को शोक संवेदनायें भेजता है। आपसे आग्रह है कि आप उनके परिवार तक हमारी भावनायें भिजवाने की कृपा करेंगे।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय डूंगर सिंह के निधन के सन्दर्भ में जो शोकोद्गार नेता सदन, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा, मा0 रेवती रमण सिंह जी ने व्यक्त किये हैं, उनके साथ में अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, स्वर्गीय डूंगर सिंह के साथ मेरे बड़े निकट के और घनिष्ठ सम्बन्ध थे। मेरे जनपद अलीगढ़ के जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, वह स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे घर से मात्र 8 किलोमीटर दूर है। मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क उनसे होता रहा और उनके व्यक्तित्व से सदैव मैंने प्रेरणा प्राप्त की और प्रभावित भी रहा। उनके उठ जाने के बाद देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। इसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव कर रहा हूं, कि मानो मेरा कोई सरपरस्त उठ गया हो। राजनीतिक क्षेत्र में मूल्यों की राजनीति में वह विश्वास करते थे। सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी सेवायें नहीं भुलाई जा सकती हैं शैक्षिक क्षेत्र में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था।

एक बात और, मैंने उनके जन्म स्थान के उस मकान को देखा है, जहां वह पैदा हुए थे, वह बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हालत में था, उसमें एक दीन परिवार, एक भूमिहीन परिवार। ऐसे परिवार में वह जन्मे थे, परन्तु इसके बावजूद सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और शैक्षिक क्षेत्र में वह जिस ऊंचाई तक बढ़े, यह वास्तव में हम सबके लिए एक प्रेरणा की बात है। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध करके दिखा दिया है-"क्रियासिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे" महापुरुषों के सारे कार्यकलाप स्वयं उनके बल पर सिद्ध होते हैं, किसी के बल पर और साधनों के सहारे नहीं। एक छोटे परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति किस महत्ता तक पहुंचा, यह सबके लिए प्रेरणा देने वाली बात है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, श्री डूंगर सिंह जी के निधन से मैं और मेरे दल के सभी लोग दुखी हैं। इस सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन और माननीय बेनी प्रसाद वर्मा ने व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शोक-संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना का संदेश पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, श्री डूंगर सिंह जी के निधन पर माननीय नेता सदन और माननीय उपनेता, लोकदल और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो विचार और उद्गार प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी ओर से उनके परिवार तक यह शोक संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने और प्रतिपक्ष के सभी नेताओं ने डूंगर सिंह जी के प्रति जो अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, अपनी संवेदना व्यक्त की है, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। डूंगर सिंह जी का राजनीतिक और सामाजिक जीवन आज की पीढ़ी के लिए अति प्रेरणादायक बात है और इस सदन के सदस्य की हैसियत से उन्होंने अपने जनपद की जो सेवा की, प्रदेश के निर्बल और पीड़ित वर्ग के लोगों की जो सेवा की और उनके लिए आवाज उठाते रहे, वह उनकी वाणी के रूप में आज अमर हो गये हैं। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे और हमारे दल की तरफ से शोक संवेदना का संदेश उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, साथी डूंगर सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनके न रहने से बड़ी क्षति हुई है। हम लोगों के बीच से एक बहुत ही अच्छा सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा-हमेशा के लिए उठ गया है। उनके बारे में माननीय नेता सदन और विरोधी दल के नेता वर्मा जी, माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय कल्यान सिंह, माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह, माननीय रमाशंकर कौशिक और माननीय राम नरेश जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं उन भावनाओं से अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरी संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। अन्त में मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, जिस समय माननीय डूंगर सिंह जी के निधन का समाचार मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे हार्दिक चोट लगी। वह बुन्देलखण्ड के उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने उस क्षेत्र की शोषित और पीड़ित जनता के लिए अमूल्य कार्य किया। वह केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है वह सदैव स्मरणीय रहेगा। बुन्देलखण्ड संभाग उनका सदैव ऋणी रहेगा। मान्यवर, आज निधन के निर्देश से मालूम हुआ कि उनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। बुन्देलखण्ड के लोग उनको बुन्देलखण्ड का मानते रहे और उस क्षेत्र में उनकी अटूट सेवायें थीं। जो भावनायें माननीय नेता सदन और विरोधी दल के नेताओं ने व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी ओर से संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

*श्री शेर बहादुर सिंह–

मान्यवर, श्री डूंगर सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम और हमारा दल उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। माननीय नेता सदन और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधी दल के नेताओं ने जो भावनायें उनके निधन के सम्बन्ध में व्यक्त की हैं, मैं अपनी भावनाओं को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि शोक संवेदना का संदेश उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। मैं इन शब्दों के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डूंगर सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। कल तक वह हमारे साथ बैठते थे। वह आज हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं मगर जो हमारा करीब का साथी होता है उसके उठ जाने से बड़ा दुख होता है। जो भावनायें आपने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट मौन खड़े हुए)।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री महेन्द्र प्रताप सिंह, बल्देव सिंह, देवदत्त शर्मा, केदार नाथ अग्रवाल, राजेश कुमार सिंह, राम सूरत सिंह तथा उमा शंकर के निधन पर शोकोद्गार

* मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, बड़े दुख के साथ आपको और आदरणीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस सम्मानित सदन के भूतपूर्व सदस्य कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह, (बरेली) श्री बल्देव सिंह (गोण्डा), श्री देव दत्त शर्मा (बुलन्दशहर), श्री केदार नाथ अग्रवाल (बहराइच), श्री राजेश कुमार सिंह (आगरा), श्री राम सूरत सिंह (गाजीपुर), श्री उमाशंकर (आजमगढ़) हमारे बीच में नहीं रहे।

मान्यवर, कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह का निधन दिनांक 15 अगस्त, 1985 को हृदय गति रुक जाने से हो गया। वे 54 वर्ष के थे। इनका जन्म दिनांक 2 अगस्त, 1931 को हुआ था। 1967 के सामान्य निर्वाचन में श्री सिंह निर्वाचन क्षेत्र शेरगढ़, जिला बरेली से निर्वाचित होकर इस सम्मानित सदन में आये थे। श्री सिंह ने विद्यार्थी जीवन से ही स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। वर्ष 1953 में शेरगढ़ ब्लाक के प्रमुख बनाये गये। कुंवर टाकन लाल इण्टर कालेज की आपने स्थापना की जो आज भी चल रहा है। खेल-कूद तथा कृषि की उन्नति में आपकी विशेष रुचि थी। श्री सिंह के निधन से जनपद बरेली ने ही नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश ने एक जनप्रिय समाजसेवी खो दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी ओर से हार्दिक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री बल्देव सिंह का निधन दिनांक 18 सितम्बर, 1985 को रात्रि 9.45 मिनट पर हो गया वे लगभग 78 वर्ष के थे। इनका जन्म 6 जून, 1907 ई0 को गोण्डा जिले के एक ग्राम में मध्यम श्रेणी के परिवार में हुआ था। वर्ष 1955 में जनपद गोण्डा के उप चुनाव में विजयी होकर उन्होंने सर्वप्रथम इस सम्मानित सदन में पदार्पण किया था। सन् 1957 में पुनः निर्वाचन क्षेत्र महादेवा (गोण्डा) से निर्वाचित होकर आए तथा श्री सिंह प्रारम्भ से ही राष्ट्रप्रेमता की भावना से ओत-प्रोत थे। वर्ष 1930 में मातृभूमि की आजादी के लिए उन्होंने सर्वप्रथम आंन्दोलन में भाग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिया । फिर वर्ष 1930 में ही 144 धारा तोड़ने के आरोप में, 1932 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के गैर कानूनी करार देने पर तथा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह के फलस्वरूप श्री सिंह ने अनेकों बार जेल यात्रायें कीं और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर इन्हें 20 माह तक नजरबन्द किया गया तथा जिला परिषद् गोण्डा, जिला किसान संघर्ष समिति एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष होने के साथ ही उन्होंने जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के उपाध्यक्ष एवं दो बार मनकापुर ब्लाक के ब्लाक प्रमुख पदों को भी सुशोभित किया। श्री बल्देव के निधन से सिर्फ गोण्डा ने ही नहीं अपितु सारे प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को खो दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री देवदत्त शर्मा का निधन 1-10-85 को प्रातः सात बजे हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री देवदत्त जी का जन्म दिनांक 3 मई, 1901 को हुआ था। श्री शर्मा वर्ष 1952-1957 की अवधि में निर्वाचन क्षेत्र अनूपशहर (दक्षिण) जिला बुलन्दशहर से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस दलीय सदस्य रहे हैं। वर्ष 1925 में मुख्तारी प्रारम्भ करने के उपरान्त श्री शर्मा 1931 में भारतीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गये थे और इन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वर्ष 1936 में जिला परिषद् के सदस्य निर्वाचित होने के साथ ही जिला परिषद् के एजूकेशन चेयरमैन, 1948 में अनूपशहर नगर पालिका के चेयरमैन, 1958 में आल इण्डिया रेलवे बोर्ड के सदस्य, जनवरी, 1985 तक अनूपशहर बार एसोसियेशन के अध्यक्ष तथा दिनांक 10-7-1985 में कांग्रेस (शहर) कमेटी के अध्यक्ष मनोनीत किये गये। श्री देवदत्त जी के निधन से जनपद बुलन्दशहर ने ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं कर्मठ समाजसेवी को खो दिया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, श्री केदार नाथ अग्रवाल का निधन 13-10-85 को बम्बई में हो गया। उनकी अंत्येष्टि उनके निवास स्थान बहराइच में की गई। वे लगभग 56 वर्ष के थे और इनका जन्म 1929 में बहराइच जिले में ही हुआ था। वर्ष 1969 में श्री केदार नाथ जी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर प्रथम बार इस सम्मानित सदन में आए थे इसके उपरान्त सन् 1974 में भी अपने उक्त निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए थे । श्री केदार नाथ जी वर्ष 1953 में नगर पालिका, बहराइच के सदस्य व अध्यक्ष, भारत सेवक समाज, आई0टी0आई0, नेशनल चिल्ड्रेन एकेडेमी के अध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष आदि पदों को उन्होंने कुशलतापूर्वक सुशोभित किया । उनके निधन से जनपद बहराइच ने ही नहीं अपितु सारे देश और प्रदेश ने एक उच्च कोटि का समाजसेवी खो दिया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इनके शोक-संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक संवेदनाएं भिजवाने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं सांसद श्री राजेश कुमार सिंह का निधन दिनांक 3 नवम्बर, 1985 को प्रातः 7 बजकर 55 मिनट पर हो गया। श्री सिंह दिनांक 31-10-1985 को आगरा हाथरस रोड पर एक कार दुर्घटना में घायल हो गये थे। वे लगभग 44 वर्ष के थे। श्री राजेश कुमार

सिंह का जन्म आगरा जनपद के एक ग्राम में दिनांक 25 मार्च, 1942 को हुआ था।

वर्ष 1977 के सामान्य निर्वाचन में वे निर्वाचन क्षेत्र टुन्डला (अ0 जा0) जिला आगरा से जनता पार्टी के टिकट पर प्रथम बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1980 में जनता (एस) के प्रत्याशी के रूप में फिरोजाबाद से वे लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए।

श्री सिंह ने वर्ष 1967 में डा0 राम मनोहर लोहिया एवं चौधरी चरण सिंह आदि नेताओं से प्रेरणा लेकर राजनीति में पदार्पण किया। वे लोक सभा की कई एक कमेटियों के सदस्य रहे थे। वर्ष 1977 में आगरा जिले के जनता पार्टी के संयोजक भी रहे थे उन्होंने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लिया तथा जेल यात्राएं की।

श्री राजेश कुमार सिंह के निधन से जनपद आगरा ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया। आपसे आग्रह है कि हमारी हार्दिक संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचने की कृपा करें।

श्री राम सूरत सिंह, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन दिनांक 11 दिसम्बर, 1985 को हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री राम सूरत सिंह का जन्म वर्ष 1905 में जनपद गाजीपुर के मेदनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम सूरत जी वर्ष 1969-74 की अवधि में जिला गाजीपुर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। वे विधान परिषद् के भी सदस्य थे। श्री सिंह ने वर्ष 1921 में अल्पायु में ही राजनीति में प्रवेश कर लिया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाये जाने वले नमक एवं असहयोग आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया वर्ष 1921 से 1947 तक की अवधि में अनेकों बार जेल गये। रूरल डेवलपमेंट एसोसियेशन, गाजीपुर के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गाजीपुर, जिला परिषद् गाजीपुर तथा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम दिन तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर रह कर संगठन को शक्तिशाली बनाये रखा। श्री राम सूरत जी के निधन से जनपद गाजीपुर ने एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। हमारा आपसे आग्रह है कि हमारी हार्दिक संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उमा शंकर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन दिनांक 21 जनवरी, 1986 को लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे।

श्री उमा शंकर जी का जन्म जिला आजमगढ़ के भवनपुर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री उमा शंकर जी जिला आजमगढ़ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वर्ष 1952-1957 एवं 1962-67 की अवधि में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। कुछ वर्षों तक वह विधान परिषद् के सदस्य भी रहे।

श्री उमाशंकर ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल यात्राएं की। वह सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता सदस्य एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और जिला कांग्रेस कमेटी तथा प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। वर्ष 1973 में जिला

कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और कई वर्षों तक उस पद पर कार्य किया। उनका अन्तिम जीवन कांग्रेस पार्टी की सेवा में ही व्यतीत हुआ।

श्री उमा शंकर जी के निधन से जनपद आजमगढ़ ने एक श्रेष्ठ समाज सेवी खो दिया। हमारा आपसे आग्रह है कि हमारी हार्दिक संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् विधान सभा के 7 भूतपूर्व माननीय सदस्य सर्वश्री कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह, बल्देव सिंह, देवदत्त शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, राजेश कुमार सिंह, राम सूरत सिंह, उमा शंकर हमारे बीच में नहीं रहे। मान्यवर, इनमें से 5 माननीय सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और हम लोगों की शासन से सदैव यह शिकायत रही है कि जो निधन की सूचनाएं हैं, वे समय से नहीं प्राप्त होती हैं। कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह का निधन दिनांक 15-8-85 को हुआ था, उस समय विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था, किन्तु यह सूचना उस समय नहीं आई और इतने दिनों बाद यह सूचना प्राप्त हुई है, इसलिए आज हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी व मेरे दल की संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री बल्देव सिंह, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का निधन 18 सितम्बर, 1985 को हो गया। वे 78 वर्ष के थे। श्री बल्देव सिंह गोण्डा जनपद के निवासी थे और वे 1955 में जनपद गोण्डा के एक उप चुनाव में विजयी होकर सर्व प्रथम इस सदन में आये। 1957 में वे पुनः स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। उनके निधन से जनपद गोण्डा को और प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारा आपसे अनुरोध है कि मेरी और दल की संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री देवदत्त शर्मा का निधन दिनांक 1-10-85 को प्रातः 7 बजे हो गया। उनकी आयु 84 वर्ष की थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। वे बुलन्दशहर के निवासी थे। स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी पंक्ति में उनका नाम है। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी संवेदनायें उनके परिवार को भेजने का कष्ट करें।

स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल बहराइच जनपद के निवासी थे। यह दो बार विधान सभा के सदस्य रहे। वह अपने जनपद के बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। उनके निधन से बहराइच जनपद की ही नहीं वरन् पूरे प्रदेश की क्षति हुई है। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी और सम्पूर्ण विपक्ष की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार को भेजने का कष्ट करें।

श्री राजेश कुमार सिंह की मृत्यु 3 नवम्बर, 1985 को कार दुर्घटना में हुई। श्री राजेश कुमार सिंह से समाज और प्रदेश को बड़ी आशायें थीं। बड़ी कम उम्र में ही वह हमारे बीच से उठ गये। 1977 में वह पहली बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। श्री राजेश कुमार सिंह बड़े क्रान्तिकारी, बड़े समाजसेवी और लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके निधन से आगरा जनपद और प्रदेश की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। हमारी आपसे प्रार्थना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि आप हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक भेजने का कष्ट करें ।

श्री राम सूरत सिंह का जन्म गाजीपुर में हुआ था। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने समाज और प्रदेश की बहुत सेवा की, उनके न रहने से पूरे प्रदेश को बहुत क्षति पहुंची है हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री उमाशंकर 1952-57 एवं 1962-67 में विधान सभा के सदस्य रहे।। इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। उमाशंकर जी आजमगढ़ के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से निश्चय ही प्रदेश के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ी कमी आई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी तथा हमारे दल की संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय नेता सदन तथा उप नेता लोकदल ने जो विचार व्यक्त किए मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए कुंवर टाकन लाल इन्टर कालेज की स्थापना की। आज यह हमारे बीच नहीं रहे, इनके न रहने से हम सभी को बहुत दुख है। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी तथा मेरे दल की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

श्री बल्देव सिंह जी सन् 1955 में उप चुनाव में पहली बार जीतकर आए। सन् 1957 में वह दूसरी बार चुनकर आए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में पूरा योगदान दिया । हम सब उनकी बातों को याद करके दुखी है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी तथा मेरे दल की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री देवदत्त शर्मा का निधन दिनांक 1-10-85 को हो गया । उनका जन्म 3 मई, 1901 को हुआ था । वह 1952 से 57 की अवधि में विधान सभा के सदस्य रहे । उनका योगदान न केवल राजनीतिक क्षेत्र में था बल्कि समाज के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने सराहनीय कार्य किया । उनके निधन से बुलन्दशहर की काफी क्षति हुई है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी व मेरे दल की संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री केदार नाथ अग्रवाल का निधन 13-10-85 को बम्बई में हो गया वह 1969 तथा 74 में दो बार विधान सभा के लिये चुने गये । उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी काफी काम किये हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी व मेरे दल की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजेश कुमार सिंह का निधन 3 नवम्बर, 1985 को एक कार दुर्घटना में हो गया । वह 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर विधान सभा में आये थे, उसके बाद 1980 में वह लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । श्री सिंह अभी नौजवान थे उनसे इस प्रदेश को और हम सब को काफी अपेक्षायें थीं । आपसे प्रार्थना है कि मेरी व मेरे दल की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम सूरत सिंह का निधन 11 दिसम्बर, 1985 को हो गया । वे लगभग 80 वर्ष के थे । वह गाजीपुर के रहने वाले थे । वह 1969 में विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गये । श्री सिंह स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में कूद पड़े । उन्होंने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सराहनीय कार्य किया। आज ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं हैं । मेरी प्रार्थना है कि मेरी व मेरे दल की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री उमाशंकर जी का निधन दिनांक 21 जनवरी, 1986 को लखनऊ में हो गया । वे लगभग 77 वर्ष के थे । श्री उमा शंकर आजमगढ़ के रहने वाले थे । श्री उमा शंकर जी इस माननीय सदन के सदस्य रहे । उन्होंने अपने प्रारम्भिक जीवन काल से ही स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना शुरू कर दिया था । वे सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार जीतकर आये थे कुछ वर्षों तक वह विधान परिषद् के भी सदस्य रहे । वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे । आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, इससे हम सभी दुःखी हैं । आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी व मेरे दल की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, श्री देव दत्त शर्मा, श्री केदार नाथ अग्रवाल, श्री राजेश कुमार सिंह, श्री राम सूरत सिंह, श्री उमाशंकर, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री बल्देव सिंह के निधन के संदर्भ में माननीय नेता सदन, और अन्य दलों के नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी व मेरे दल की शोक संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, सर्वश्री कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह, बल्देव सिंह, देवदत्त शर्मा, केदार नाथ अग्रवाल, राजेश कुमार सिंह, राम सूरत सिंह एवं उमाशंकर जी के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना उनके शोक संतप्त परिवारों को भेजने की कृपा करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, सर्वश्री कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह, बल्देव सिंह, देवदत्त शर्मा, केदार नाथ अग्रवाल, राजेश कुमार सिंह, राम सूरत सिंह एवं उमा शंकर जी के निधन के प्रति जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये शोकोद्गार उनके शोक संतप्त परिवारों को भेजने की कृपा करें ।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, सर्वश्री कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह, बल्देव सिंह, देवदत्त शर्मा केदार नाथ अग्रवाल, राजेश कुमार सिंह, राम सूरत सिंह एवं उमाशंकर जी, इन दिवंगत माननीय सदस्यों के प्रति जो विचार माननीय नेता सदन, एवं प्रतिपक्ष के सभी नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं और मेरा दल उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करता है कि उनके शोक संतप्त परिवारों को हमारी ये शोक संवेदनाएं भेजने का कष्ट करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने माननीय सर्वश्री कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह, बल्देव सिंह, देवदत्त शर्मा, केदार नाथ अग्रवाल, राजेश कुमार सिंह, राम सूरत सिंह एवं उमा शंकर जी के निधन के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की हैं और उनके जीवन परिचय के बारे में जो माननीय नेता सदन तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने कहा, सचमुच ही उनका सामाजिक और राजनैतिक जीवन बहुत ही शानदार रहा और उनका जीता जागता सम्बन्ध जनता की जिन्दगी से रहा। उनके निधन से बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी और हमारी पार्टी की संवेदनाएं प्रेषित करने की कृपा करें।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, माननीय नेता सदन तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने जिन दिवंगत महान आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इन विभूतियों ने देश की आजादी और देश के आर्थिक विकास में जो योगदान किया है, उससे आगामी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। मान्यवर, मैं अपने को और अपने दल को इन भावनाओं के साथ सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि इन संवेदनाओं को उनके परिवारों को भेजने की कृपा करेंगे।

*श्री शेर बहादुर सिंह–

मान्यवर, कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह, बल्देव सिंह, देवदत्त शर्मा, केदार नाथ अग्रवाल, राजेश कुमार सिंह, राम सूरत सिंह एवं उमाशंकर जी के निधन के प्रति जो विचार माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उन भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन है कि उनके शोक सन्तप्त परिवारों को ये संवेदनाएं भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

पिछले सत्र और इस सत्र के दरमियान सात और हमारे साथी गुजर गये। माननीय, कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय बल्देव सिंह, माननीय केदार नाथ अग्रवाल, माननीय देवदत्त शर्मा, माननीय राजेश कुमार सिंह, माननीय राम सूरत सिंह और माननीय उमाशंकर जी ने अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। इनके बारे में जो विचार नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आशा करते हैं कि जो परम्परायें वे छोड़ गये हैं, उस पर हम अमल करेंगे जो दिशा वे दिखा गये हैं उस मार्ग दर्शन पर हम चलेंगे। जो संवेदनाएं आप लोगों ने व्यक्त की हैं, सदन की संवेदना उनके परिवारजन को भेज दी जायेगी।

अब हम खड़े होकर दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, सोमवार को 11-00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन मध्याह्न 1 बजे सोमवार 10 फरवरी, 1986 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
7 फरवरी, 1986

भालचन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर ।)

लाभार्थियों की सूची

1—श्री अस्तीबाज (गांव के पास) पुत्र श्री फूरनचन्द्र अली ।
2—श्री विश्राम पुत्र श्री भूषण (गांव से दूर)
3—श्री नफीस अहमद पुत्र श्री खालिक हुसैन ,,
4—श्री सफीक अहमद पुत्र श्री खालिक हुसैन ,,
5—श्री सादिक अली पुत्र श्री पीरगुलाम ,,
6—श्री मनोहर पुत्र श्री बालगोविन्द ,,
7—श्री केदार ,,
8—श्री सुन्दर लाल पुत्र देवी दीन ,,
9 —श्री पंचम पुत्र मैकू ,,
10—श्री हौंसला प्रसाद ,,
11—श्री वारिस अली पुत्र श्री रहमत अली ,,
12—श्री कायूम पुत्र हनीफ ,,
13—श्री रमेश पुत्र श्री टीका ,,
14—श्री बीर सिंह ,,

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर ।)

राष्ट्रहित । उद्योग हित ।। मजदूर हित ।।।

उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ

(सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ एवं अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ)

प्रेषक,

अख्तर हुसैन,
महामंत्री ।

प्रान्तीय कार्यालय (फोन 53550)
2, नवीन मार्केट, कानपुर ।

रजिस्टर्ड नोटिस

पत्र संख्या–926/उ0प्र0वि0म0संघ/85 दिनांक 16-9-85

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्,
14, अशोक मार्ग, लखनऊ ।

2–माननीय ऊर्जा मंत्री/श्रम मंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन,
विधान सभा भवन, लखनऊ।

विषय :–कर्मचारियों की मांगों/समस्याओं के समाधानार्थ एवं पिछले समझौते, आश्वासनों की पूर्ति हेतु दिनांक 10-10-85 को क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों के समक्ष धरना तथा दिनांक 14-10-85 को शक्ति भवन, लखनऊ पर धरना एवं शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री/श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश, शासन के निवास स्थान लखनऊ पर दिनांक 15-10-85 को प्रदर्शन व धरना आदि के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

उक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि संघ की ओर से कर्मचारियों की मांगों/समस्याओं को समय-समय पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् व शासन को निराकरण हेतु भेजा गया परन्तु उनका आज तक निस्तारण नहीं किया गया है । इतना ही नहीं माननीय ऊर्जा मंत्री एवं अध्यक्ष तथा परिषद् के साथ जो समझौते व आश्वासन हो जाते हैं उनको भी वर्षों तक क्रियान्वित नहीं किया जाता । परिषद् द्वारा टाल-मटोल की नीति अपनाई जा रही है । चूंकि 1-4-69 से चली आ रही वेतन विसंगतियों को आज तक भी दूर नहीं किया गया है तथा 1-4-84 से वेतन पुनर्निरीक्षण हेतु जो समिति गठित की गई थी उसका समय भी व्यतीत हो चुका है परन्तु वेतन पुनरीक्षण का मामला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है । सरकार के बार-बार घोषणा एवं आदेशों के बावजूद परिषद् में श्रमिकों की भागीदारी आज तक नहीं दी गई है । इतना ही नहीं जो वार्ता कर्मचारियों की समस्याओं पर होती है उनका विवरण देने में भी काफी समय लगा दिया जाता है तथा निर्णयों के विपरीत लिखित में दिया जाता है ।

उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ की प्रान्तीय कार्यसमिति ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि परिषद् की मजदूर विरोधी नीति के विरोध में तथा कर्मचारियों की समस्याओं/मांगों के समाधान हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिनांक 10-10-85 को विद्युत परिषद् की समस्त परियोजनाओं/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता कार्यालयों पर धरना/प्रदर्शन व ज्ञापन दिया जायेगा । दिनांक 14-10-85 को विद्युत परिषद् के मुख्यालय शक्ति भवन पर धरना दिया जायेगा तथा 15-10-85 को माननीय ऊर्जा मंत्री/माननीय श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के यहां प्रदर्शन, धरना दिया जायेगा। उपरोक्त आन्दोलन का पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का होगा ।

प्रमुख मांगें निम्न प्रकार हैं :–

1–उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी दी जाय ।

2–1-4-84 से वेतन पुनरीक्षण/वेतन विसंगतियों का निवारण किया जाय ।

3–सेवाकाल में प्रत्येक कर्मचारी को 3 पदोन्नति अथवा एक समान समयबद्ध वेतनमान दिया जाय ।

4–आई0 टी0 आई0 योग्यता धारकों को एक पदनाम व वेतनमान दिया जाय ।

5–लिपिकीय कर्मचारियों का समान कार्य के आधार पर एल0 डी0 ए0, यू0 डी0 ए0/अनुभाग अधिकारी में समायोजन तथा परिषद् स्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाय तथा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ रेगुलेशन को निरस्त किया जाय ।

6–मस्टर रोल व ठेका श्रमिकों को परिषदीय सेवा में विनियमितिकरण किया जाय ।

7–शिफ्ट एलाउन्स/प्रतिशत प्रणाली महंगाई भत्ता/एल0 टी0 सी0/हाइड्रो प्रोजेक्टस के कर्मचारियों को जनरेशन इन्सेन्टिव दिया जाय ।

8–कर्मचारी की सेवा शर्तें/सेवा नियमावली बनाया जाना ।

9–भूतपूर्व लाइसेन्सधारी कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन मण्डल की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान/पदनाम/पदोन्नति एवं वरिष्ठता का निर्धारण किया जाय।

10–भन्डार कर्मचारियों की परिषद् स्तर पर वरिष्ठता व पदोन्नति की नीति बनायी जाय ।

11–जूनियर मीटर टेस्टर व रिपेयरर को समान कार्य और योग्यता के आधार पर मीटर टेस्टर व रिपेयरर की भांति 1-4-69 से 150–285 का वेतनमान दिया जाय तथा पदनाम भी मीटर टेस्टर का घोषित किया जाय ।

12–पावर हाउस में कार्यरत आपरेटर ग्रेड प्रथम, टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम के पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त किये जायें। पनकी एवं हरदुआगंज पावर हाउस में इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनिक ग्रेड द्वितीय का ओबरा पावर हाउस की भांति ग्रेड प्रथम घोषित किया जाय।

13—विद्युत सब स्टेशनों पर कार्यरत कर्मचारियों से 8 घण्टे से अधिक कार्य लिए जाने पर ओवरटाइम दिया जाय तथा सब स्टेशन स्टाफ को अन्य अवकाश दिए जायं तथा राष्ट्रीय पर्व के दिनों में कार्य करने पर समस्त कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जाय ।

14—ड्राफ्ट्समैन की वेतन विसंगतियां दूर की जायं तथा समान उत्तरदायित्व व कार्य के कारण समान वेतन दिया जाय ।

15—मुख्य अभियन्ता संवर्ग "क" आशुलिपिकों को 25 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय तथा नामकरण वैयक्तिक सहायक दिया जाय। उनको शत-प्रतिशत पदोन्नति मुख्यालय पर की जाय एवं परिषद् मुख्यालय पर सम्बद्ध वैयक्तिक सहायकों की सीधी भरती समाप्त की जाय।

16—समस्त कर्मचारियों को निःशुल्क विद्युत एवं आवास की सुविधा दी जाय तथा जहां आवास उपलब्ध नहीं है वहां मूल वेतन का 17-1/2% आवास भत्ता दिया जाय तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी निःशुल्क विद्युत दी जाय ।

17—अथराइज्ड पेट्रोलमैन, फ्यूजमैन, ड्यूटीमैन एवं सहायक लाइनमैन आदि जो गर्म लाइन पर लाइनमैन का कार्य करते हैं उन्हें लाइनमैन का वेतनमान व पद दिया जाय ।

18—लाइनमैनों को चालू लाइन पर कार्य करने का गर्म लाइन भत्ता दिया जाय ।

19—यार्ड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से खण्डों में नए पद स्वीकृत किए जायं क्योंकि कार्य अधिक बढ़ गया है एवं नए-नए बिजली घर बन गए हैं । स्वीकृत पदों पर विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाय तथा शेष पद पर मस्टर रोल/लेबर सप्लाई तथा एप्रेन्टिस कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय

20—अन्य वार्ता के समय ।

अतः उपरोक्त मांगें/समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया गया तथा समय-समय पर जो आश्वासन दिए गए हैं उनको तुरन्त पूरा नहीं किया गया तो संघ बाध्य होकर उपरोक्त आन्दोलन प्रारम्भ कर देगा ।

संघ को पूर्ण आशा है कि आप समय रहते उपरोक्त समस्याओं का निदान राष्ट्र-हित, उद्योग हित एवं श्रमिक हित को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय,

अख्तर हुसैन,

महामंत्री ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 133 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर।)

तालिका

क्रम संख्या	सहायक अभियन्ता का नाम	तत्कालीन पद/स्थान	स्थानान्तरणोपरान्त पद तथा स्थान
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1	वी0बी0 सिंह	उपखण्ड अधिकारी-11 वि0वि0 खण्ड मऊ	सहा0 अभियन्ता (रा) वि0वि0 खण्ड (प्रथम) वाराणसी
2	एस0एच0 कुरैसी	सहा0 अभियन्ता (मीटर) मऊ आजमगढ़	उपखण्ड अधिकारी, शाहगंज, जौनपुर
3	अशोक कुमार सिंह	उपखण्ड अधिकारी, लालगंज, आजमगढ़	सहा0 अभियन्ता (निर्माण) वेसू-वाराणसी
4	बृज किशोर प्रसाद	उपखण्ड अधिकारी (पारेषण) आजमगढ़	सहायक अभियन्ता (पारेषण) बलिया
5	एम0यू0 खान	उपखण्ड अधिकारी फूलपुर, आजमगढ़	उपखण्ड अधिकारी (प्रथम) सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 152 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर ।)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/स्थानीय (स्वास्थ्य) अधिकारी, उन्नाव

पत्रांक पी0एफ0ए0/84–85 दिनांक 24-2-84

श्री पी0 लाल, सी0डी0पी0ओ0 पुत्र----------

निवासी–औरास डा0–औरास

जिला–उन्नाव।

खाद्य निरीक्षक प्रा0स्वा0केन्द्र/नगर पालिका–औरास जनपद उन्नाव के द्वारा नमूना संख्या–नीचे अंकित है जो दिनांक----------को लिया गया था, उसमें राजकीय जन विश्लेषक उत्तर प्रदेश लखनऊ की आख्या संख्या----------दिनांक——————के द्वारा कोई मिलावट नहीं पाई गई है और नमूना विशुद्ध घोषित किया गया है ।

उपरोक्त सूचना आपको खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 9–ए के अन्तर्गत प्रेषित की जाती है।

(1)–	ए एस-2/83 दि0 7-10-83	16983 / 19-11-83	रद्द–मूंगफली भूनी ह0/–
(2)–	ए एस-3/83 दि0 7-10-83	16780 / 17-11-83	ग्लूकोज बिस्कुट ह0/–
(3)–	ए एस-4/83 दि0 7-10-83	16732 / 23-11-83	विशुद्ध सोयाबीन संयुक्त ह0/
(4)–	ए एस-5/83 दि0 7-10-83	16727 / 17-11-83	दरिया गेहूं का ह0/–
(5)–	ए एस-6/83 दि0 7-10-83	16984 / 19-11-83	लाई भूना ह0/–

(ह0)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उन्नाव ।

प्रतिलिपि खाद्य निरीक्षक प्रा0स्वा0 केन्द्र/नगर पालिका औरास——————जनपद उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उन्नाव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी उन्नाव

पत्रांक पी0एफ0ए0/ दिनांक 24-2-84

श्री पी0 लाल, सी0डी0पी0ओ0 पुत्र----------

निवासी–औरास डा0–औरास

जिला–उन्नाव।

मुख्य खाद्य निरीक्षक प्रा0 स्वा0 केन्द्र/औरास, उन्नाव जनपद उन्नाव के द्वारा नमूना नीचे अंकित है जो दिनांक 6-10-83 को लिया गया था, उसमें राजकीय जन विश्लेषक उत्तर प्रदेश लखनऊ की आख्या संख्या-नीचे अंकित से दिनांक 17-8-83 के द्वारा कोई मिलावट नहीं पाई गई है और नमूना विशुद्ध घोषित किया गया है।

उपरोक्त सूचना आपकी खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 9–ए के अन्तर्गत प्रेषित की जाती है।

(1)– सी0एफ0आई0/2/83 दि0 6-10-83, 16729/17-11-83 मानक न होने के कारण मूंगफली रद्द है0–

(2)–सी0एफ0आई0/3/83 दि0 6-10-83, 16728/17-11-83 विशुद्ध खिचड़ी है0/–

(ह0)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उन्नाव।

प्रतिलिपि खाद्य निरीक्षक प्रा0 स्वा0 केन्द्र ----- - औरास जनपद उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उन्नाव।

पी0एस0यू0पी0–एल0–435 वि0 सभा–(755)–1986–8131